

# इन्दौर स्मार्ट सिटी

डेवलपमेंट लिमिटेड

## Indore Smart City

Development Limited



प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन  
2016-17

1st ANNUAL REPORT  
2016-17





**इन्दौर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड**  
**Indore Smart City Development Limited**

**प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन**  
**I<sup>st</sup> Annual Report**

(दिनांक 31 मार्च 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए  
मूल अंग्रेजी अभिलेख के हिंदी अनुवाद सहित)  
(For Financial Year Ended on 31st March 2017)

**पंजीकृत कार्यालय :**  
स्मार्ट सिटी कार्यालय, नेहरू पार्क परिसर, इन्दौर, मध्यप्रदेश, 452003

**Registered Office:**  
Smart City Office, Nehru Park Campus, Indore, Madhya Pradesh, 452003



## इन्दौर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड

### Indore Smart City Development Limited

विषय	पृष्ठ क्र.	Contents	Page No.
कम्पनी की जानकारी	1	Company Information	1
प्रथम वार्षिक साधारण सभा का नोटिस	3	Notice of 1st Annual General Meeting	65
उपस्थिति पर्ची	4	Attendance Slip	66
प्रॉक्सी प्रारूप	5	Proxy Form	67
स्थगित द्वितीय वार्षिक साधारण सभा का नोटिस	7	Notice of Adjourned 2nd Annual General Meeting	69
संचालक मंडल का प्रतिवेदन	9	Board's Report	71
वार्षिक विवरणी का सार	20	Extract of Annual Return	83
सचिवीय लेखापरीक्षा प्रतिवेदन	29	Secretarial Audit Report	92
नियंत्रक एवं महालेखाकार की टिप्पणियाँ	33	Comments of Comptroller and Auditor General	96
नियंत्रक एवं महालेखाकार की टिप्पणियों पर संचालक मंडल का स्पष्टीकरण	36	Board's Explanation on CAG's Comments	99
स्वतंत्र लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन	40	Independent Auditor's Report	103
स्वतंत्र लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन का परिशिष्ट	45	Annexure to Independent Auditor's Report	108
तुलन पत्र	49	Balance Sheet	112
लाभ एवं हानि विवरण	51	Profit and Loss Statement	114
नगद प्रवाह विवरण	53	Cash Flow Statement	116
वित्तिय विवरण पर नोट्स	56	Notes to Financial Statement	119



## कम्पनी संबंधी जानकारी (23.12.2017 तक की स्थिति) Company Information (Status upto 23.12.2017)

### निदेशक मंडल

#### Board of Directors

- अध्यक्ष/Chairman  
श्री पारीकी पांडला नरहरि, आईएएस (18.09.2017 तक)  
Shri Parikipandla Narahari, IAS (upto 18.09.2017)  
श्री निशांत वरवडे, आईएएस (18.09.2017 से)  
Shri Nishant Warwade, IAS (w.e.f. 18.09.2017)
- कार्यपालन निदेशक/Executive Director  
श्री मनीष सिंह, आईएएस (11.03.2016 से)  
Shri Manish Singh, IAS (w.e.f. 11.03.2016)
- नामांकित निदेशक/Nominee Directors  
डॉ. कुमार विनय प्रताप (14.09.2017 तक)  
Dr. Kumar Vinay Pratap (upto 14.09.2017)  
श्री अश्विनी कुमार (14.09.2017 से)  
Shri Ashwini Kumar (w.e.f. 14.09.2017)  
श्रीमती प्रियंका दास, आईएएस (16.09.2017 तक)  
Smt. Priyanka Das, IAS (upto 16.09.2016)  
श्री सुरेन्द्र सिंह राजपूत (14.10.2016 से)  
Shri Surendra Singh Rajpoot (w.e.f. 14.10.2016)  
श्री मोहित बुन्दास, आईएएस (23.06.2017 से)  
Shri Mohit Bundas, IAS (w.e.f. 23.06.2017)  
श्री राकेश सिंह (18.09.2017 तक)  
Shri Rakesh Singh (upto 18.09.2017)  
श्री राजेश नागल (16.09.2016 से)  
Shri Rajesh Nagal (w.e.f. 16.09.2016)  
श्री गजरा मेहता (16.09.2016 से)  
Shri Gajra Mehta (w.e.f. 16.09.2016)  
श्री कृष्ण कुमार सोनगारिया (26.09.2016 से)  
Shri Krishna Kumar Songaria (w.e.f. 26.09.2016)  
श्री शंकर यादव (19.12.2016 से)  
Shri Shankar Yadav (w.e.f. 19.12.2016)
- स्वतंत्र निदेशक/Independent Director  
प्रो. ऋषिकेश थिरुवेंकटा कृष्णन (12.05.2017 से)  
Prof. Rishikesha Thiruvenkata Krishnan (w.e.f. 12.05.2017)
- मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
Chief Executive Officer  
श्री रोहन सक्सेना (27.04.2016 से)  
Shri Rohan Saxena (w.e.f. 27.04.2016)
- कम्पनी सचिव/Company Secretary  
श्री अनुराग कुमार सक्सेना (02.09.2016 से)  
Shri Anurag Kumar Saxena (w.e.f. 02.09.2016)
- मुख्य वित्तीय अधिकारी/  
Chief Financial Officer  
श्री संतोष काग (31.03.2017 तक)  
Shri Santosh Kag (upto 31.03.2017)  
श्रीमती रचना गौर (29.09.2017 से)  
Smt. Rachna Gaur (w.e.f. 29.09.2017)



**सांविधिक अंकेक्षक / Statutory Auditors**

मेसर्स गुप्ता एंड अशोक, सनदी लेखाकार  
202, सनराइज टॉवर, 579, एम.जी. रोड, इंदौर, मध्यप्रदेश, 452001  
M/s Gupta & Ashok  
Chartered Accountants  
202, Sunrise Tower, 579, M.G. Road, Indore, Madhya Pradesh, 452001

**सचिवीय अंकेक्षक / Secretarial Auditors**

मेसर्स पी.एस. त्रिपाठी एंड एसोसिएट्स, कम्पनी सचिव  
306, मानस भवन एक्स. 11, आरएनटी मार्ग, इन्दौर, मध्यप्रदेश  
M/s P.S. Tripathi & Associates  
Company Secretaries  
306, Manas Bhawan Extn., 11, R.N.T. Marg, Indore, Madhya Pradesh

**बैंकर्स / Bankers**

— एक्सिस बैंक लिमिटेड, इतवारिया बाजार, शाखा इन्दौर  
— आईडीबीआई बैंक लिमिटेड, विजय नगर, शाखा इन्दौर  
● Axis Bank Limited, Itwaria Bazar, Branch, Indore  
● IDBI Bank Limited, Vijay Nagar Branch, Indore

**पंजीकृत कार्यालय / Registered Office**

स्मार्ट सिटी कार्यालय, नेहरू पार्क परिसर, इन्दौर, मध्यप्रदेश, 452003  
फोन : 0731-2535572  
Smart City Office, Nehru Park Campus, Indore,  
Madhya Pradesh, 452003; Ph. No.: 0731-2535572  
E-mail: smartcityindore16@gmail.com,  
Website: www.smartcityindore.org

**प्रथम वार्षिक साधारण सभा  
1st Annual General Meeting**

- दिनांक / Date
- दिन / Day
- समय / Time
- स्थान / Venue

23 दिसंबर 2017 / 23rd December 2017  
शनिवार / Saturday  
दोपहर 4 बजे / 4.00 P.M.  
स्मार्ट सिटी कार्यालय, नेहरू पार्क परिसर, इन्दौर, मध्यप्रदेश, 452003  
Smart City Office, Nehru Park Campus, Indore,  
Madhya Pradesh, 452003



## सूचना पत्र

एतद् द्वारा यह सूचित किया जाता है कि, कम्पनी के सदस्यों की प्रथम वार्षिक साधारण सभा शनिवार 23 दिसंबर 2017 को सायं 4 बजे कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय, स्मार्ट सिटी कार्यालय, नेहरू पार्क परिसर, इन्दौर, म.प्र. 452001 पर निम्न कार्यो हेतु आयोजित की जावेगी।

### 1. साधारण व्यवसाय :-

1. कम्पनी के 31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखा परीक्षित तुलन-पत्र, लाभ एवं हानि खाते, निदेशक मंडल प्रतिवेदन, स्वतंत्र लेखा परीक्षक रिपोर्ट सहित, को प्राप्त करना, उस पर विचार करना तथा अंगीकृत करना।
2. श्री गजरा मेहता (डीआईएन: 07578666) के स्थान पर निदेशक नियुक्त करना, जो रोटेशन से सेवानिवृत्त होकर, स्वयं पात्र होकर, पुनर्नियुक्ति हेतु स्वयं को प्रस्तावित कर रहे है।
3. श्री राजेश नागल (डीआईएन: 07084452) के स्थान पर निदेशक नियुक्त करना जो रोटेशन से सेवानिवृत्त होकर, स्वयं पात्र होकर, पुनर्नियुक्ति हेतु स्वयं को प्रस्तावित कर रहे है।
4. श्री कृष्ण कुमार सोनगरिया (डीआईएन: 075623713) के स्थान पर निदेशक नियुक्त करना जो रोटेशन से सेवानिवृत्त होकर, स्वयं पात्र होकर, पुनर्नियुक्ति हेतु स्वयं को प्रस्तावित कर रहे है।
5. कम्पनी के संवैधानिक अंकेक्षक की नियुक्ति, रिकॉर्ड पर लेना।

स्थान : इन्दौर  
दिनांक : 23.12.2017

इन्दौर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड  
के निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से  
सही/-  
अनुराग कुमार सक्सेना  
कम्पनी सचिव  
एफसीएस क्र. 8115

### टीपः

1. एक सदस्य जिसे सभा में भाग लेने एवं मत देने का अधिकार है, उसे अपने स्थान पर उपस्थित होने एवं मतदान हेतु प्रॉक्सी नियुक्त करने का अधिकार है। प्रॉक्सी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। वैध एवं प्रभावी हेतु प्रॉक्सी प्रपत्र कम्पनी कार्यालय पर सभा के नियत समय से कम से कम 48 घण्टे पूर्व जमा किया जाना चाहिए।
2. सूचना पत्र से संबंधित दस्तावेज एवं वैधानिक रजिस्टर, सभी कार्य दिवसों में शनिवार को छोड़कर प्रातः 11 बजे से अपरान्ह 1 बजे तक निरीक्षण हेतु, कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय पर रखे गये है।
3. सदस्यों से अनुरोध है कि, कम्पनी के खातों एवं संचालन संबंधी कोई भी जानकारी प्राप्त करने हेतु सभा की तिथि से कम से कम 7 दिवस पूर्व कम्पनी को लिखित रूप में प्रश्नों के साथ आवेदन देवें।



## उपस्थिति पची प्रथम वार्षिक साधारण सभा

फोलियो नं.	
धारित अंश (अंशों) की संख्या	
पंजीकृत अंशधारक का नाम एवं पता	


मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि मैं कम्पनी का पंजीकृत अंशधारक/प्रॉक्सी हूँ।

एतद् द्वारा मैं दिनांक 23 दिसम्बर 2017, शनिवार को स्मार्ट सिटी कार्यालय, नेहरू पार्क परिसर, इन्दौर, म.प्र., 452003 पर होने वाली कम्पनी की प्रथम वार्षिक साधारण सभा में अपनी उपस्थिति दर्ज करता हूँ।

टिप्पणी :— कृपया इसे पूर्ण भरकर सभागृह के प्रवेश द्वार पर प्रस्तुत करें।

सदस्य / प्रॉक्सी के हस्ताक्षर

### कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के मार्ग का नक्शा, स्मार्ट सिटी कार्यालय, नेहरू पार्क परिसर, इन्दौर, म.प्र. 452003





## प्रारूप संख्या एमजीटी- 11

### प्रॉक्सी प्रारूप

(कम्पनी अधिनियम, 2013 की धार 105(6) एवं कम्पनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 19(3) के अनुसरण में)

सीआईएन: U75100MP2016SGC035528

कम्पनी का नाम : इन्दौर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : स्मार्ट सिटी कार्यालय, नेहरू पार्क परिसर, इन्दौर, मध्यप्रदेश, 452003

सदस्य (सदस्यों) का नाम :

पंजीकृत पता :

ईमेल आईडी :

फोलियों क्रमांक :

मैं /हम, उपर्युक्त नामक कम्पनी के सदस्य होते हुए द्वारा निम्न को नियुक्त करते है।

1. नाम :

पता :

ईमेल आईडी :

हस्ताक्षर : ....., अथवा उनके न होने पर

2. नाम :

पता :

ईमेल आईडी :

हस्ताक्षर : ....., अथवा उनके न होने पर

3. नाम :

पता :

ईमेल आईडी :

हस्ताक्षर : .....

दिनांक 23 दिसंबर 2017, शनिवार को स्मार्ट सिटी कार्यालय, नेहरू पार्क परिसर, इन्दौर, म.प्र. 452003 पर होने वाली कम्पनी की प्रथम वार्षिक साधारण सभा में मेरे/हमारे प्रॉक्सी के रूप में निम्नवत दर्शित ऐसे संकल्पों के संबंध में या उसके स्थगन में मेरे/हमारे लिए भाग लेंगे एवं मत देंगे (मतदान में):-

संकल्प संख्या

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....





5. ....
6. ....
7. ....
8. ....
9. ....
10. ....
11. ....
12. ....
13. ....

2017 को ..... दिन हस्ताक्षरित

अंशधारक के हस्ताक्षर

प्रॉक्सी धारक(कों) के हस्ताक्षर

राजस्व  
टिकिट  
चस्पा करें

टीप :- यह प्रॉक्सी प्रारूप प्रभावी करने के लिए सम्यक रूप से पूर्ण भरकर कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में सभा प्रारम्भ होने के अभिहित 48 घंटे पूर्व जमा किया जाना चाहिए।

**टिप्पणी :**

1. प्रॉक्सी प्रारूप को कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में, सभा के 48 घंटे पूर्व जमा किया जाना चाहिए।
2. प्रॉक्सी प्रारूप में किये गये सभी परिवर्तन हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।
3. कृपया हस्ताक्षर करने के पूर्व उचित राजस्व टिकिट चस्पा करें।
4. एक से अधिक प्रॉक्सी होने पर, बाद में हुआ प्रॉक्सी मान्य होगा।
5. प्रॉक्सी का अंशधारक होना आवश्यक नहीं है।



## सूचना-पत्र

एतद् द्वारा यह सूचित किया जाता है कि, कम्पनी के सदस्यों की **स्थगित 2री वार्षिक आम सभा** गुरुवार, 26 सितम्बर, 2019 को दोप. 2.15 बजे कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय, स्मार्ट सिटी कार्यालय, नेहरू पार्क परिसर, इन्दौर, म.प्र. 452001 पर निम्न कार्य हेतु आयोजित की जावेगी।

### 1. साधारण व्यवसाय :-

- कम्पनी के 31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वित्तीय लेखों पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ, लेखा परीक्षा रिपोर्ट आदि जो संचालक मंडल की रिपोर्ट के अनुलग्नक के रूप में है, को प्राप्त करना, उस पर विचार करना तथा अंगीकृत करना।
- कम्पनी के 31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखा परीक्षित तुलन-पत्र, लाभ एवं हानि खाते, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ सहित निदेशक मंडल का प्रतिवेदन, स्वतंत्र लेखा परीक्षक प्रतिवेदन, को प्राप्त करना एवं अंगीकृत करना।

स्थान : इन्दौर

दिनांक : 26.09.2019

इन्दौर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड  
के निदेशक मंडल के आदेश से  
सही/-

अनुराग कुमार सक्सेना  
कम्पनी सचिव

एफसीएस क्र. 8115

टीपः

- एक सदस्य जिसे सभा में भाग लेने एवं मत देने का अधिकार है, उसे अपने स्थान पर उपस्थित होने एवं मतदान हेतु प्रॉक्सी नियुक्त करने का अधिकार है। प्रॉक्सी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। वैध एवं प्रभावी हेतु प्रॉक्सी प्रपत्र कम्पनी कार्यालय पर सभा के नियत समय से कम से कम 48 घण्टे पूर्व जमा किया जाना चाहिए।
- सूचना पत्र से संबंधित दस्तावेज एवं वैधानिक रजिस्टर, सभी कार्य दिवसों में शनिवार को छोड़कर प्रातः 11 बजे से अपरान्ह 1 बजे तक निरीक्षण हेतु, कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय पर रखे गये हैं।
- सदस्यों से अनुरोध है कि, कम्पनी के खातों एवं संचालन संबंधी कोई भी जानकारी प्राप्त करने हेतु सभा की तिथि से कम से कम 1 दिवस पूर्व कम्पनी को लिखित रूप में प्रश्नों के साथ आवेदन दें।

## उपस्थिति पर्ची द्वितीय स्थगित वार्षिक साधारण सभा

फोलियो नं.	
धारित अंश (अंशों) की संख्या	
पंजीकृत अंशधारक का नाम एवं पता	

मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि मैं कम्पनी का पंजीकृत अंशधारक/प्रॉक्सी हूँ।

एतद् द्वारा मैं दिनांक 26 सितम्बर, 2019, गुरुवार को स्मार्ट सिटी कार्यालय, नेहरू पार्क परिसर, इन्दौर, म.प्र., 452003 पर होने वाली कम्पनी की स्थगित द्वितीय वार्षिक साधारण सभा में अपनी उपस्थिति दर्ज करता हूँ।

टिप्पणी :- कृपया इसे पूर्ण भरकर सभागृह के प्रवेश द्वार पर प्रस्तुत करें।

.....  
सदस्य / प्रॉक्सी के हस्ताक्षर



## प्रारूप संख्या एमजीटी- 11

### प्रॉक्सी प्रारूप

(कम्पनी अधिनियम, 2013 की धार 105(6) एवं कम्पनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 19(3) के अनुसरण में)

सीआईएन: U75100MP2016SGC035528

कम्पनी का नाम : इन्दौर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : स्मार्ट सिटी कार्यालय, नेहरू पार्क परिसर, इन्दौर, मध्यप्रदेश, 452003

सदस्य (सदस्यों) का नाम :

पंजीकृत पता :

ईमेल आईडी :

फोलियों क्रमांक :

मैं / हम, उपर्युक्त नामक कम्पनी के सदस्य होते हुए द्वारा निम्न को नियुक्त करते हैं।

1. नाम :

पता :

ईमेल आईडी :

हस्ताक्षर : ....., अथवा उनके न होने पर

2. नाम :

पता :

ईमेल आईडी :

हस्ताक्षर : ....., अथवा उनके न होने पर

3. नाम :

पता :

ईमेल आईडी :

हस्ताक्षर : .....

दिनांक 26 सितम्बर 2019, गुरुवार को स्मार्ट सिटी कार्यालय, नेहरू पार्क परिसर, इन्दौर, म.प्र. 452003 पर होने वाली कम्पनी की द्वितीय स्थगित वार्षिक साधारण सभा में मेरे/हमारे प्रॉक्सी के रूप में निम्नवत दर्शित ऐसे संकल्पों के संबंध में या उसके स्थगन में मेरे/हमारे लिए भाग लेंगे एवं मत देंगे (मतदान में):-

संकल्प संख्या

1. ....

2. ....

2019 को ..... दिन हस्ताक्षरित

अंशधारक के हस्ताक्षर

प्रॉक्सी धारक(कों) के हस्ताक्षर

राजस्व  
टिकिट  
चस्पा करें

टीप :- यह प्रॉक्सी प्रारूप प्रभावी करने के लिए सम्यक रूप से पूर्ण भरकर कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में सभा प्रारम्भ होने के अभिहित 48 घंटे पूर्व जमा किया जाना चाहिए।

टिप्पणी :

1. प्रॉक्सी प्रारूप को कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में, सभा के 48 घंटे पूर्व जमा किया जाना चाहिए।
2. प्रॉक्सी प्रारूप में किये गये सभी परिवर्तन हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।
3. कृपया हस्ताक्षर करने के पूर्व उचित राजस्व टिकिट चस्पा करें।
4. एक से अधिक प्रॉक्सी होने पर, बाद में हुआ प्रॉक्सी मान्य होगा।
5. प्रॉक्सी का अंशधारक होना आवश्यक नहीं है।



## संचालक मंडल का प्रतिवेदन

प्रति,  
सदस्यगण,  
इन्दौर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लि. इन्दौर

आपकी कम्पनी के निदेशकगणों को, संचालक मंडल का प्रथम प्रतिवेदन जिसके साथ कम्पनी के 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के अंकेक्षित वित्तीय विवरण भी संलग्न है, प्रस्तुत करते हुए हर्ष होता है।

### 1) कारोबारी मामलों की स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन एवं भविष्य का दृष्टिकोण

#### i) वित्तीय परिणाम:

कम्पनी के दिनांक 11.03.2016 से 31.03.2017 तक के वित्तीय परिणाम संक्षेप में निम्नानुसार है:—

(राशि रुपये में)  
31.03.2017  
को समाप्त वर्ष में

कुल आय	84333039.00
मूल्यहास एवं ब्याज के पूर्व का लाभ/हानि	720599.00
घटाएँ: मूल्य हास	720424.00
ब्याज	175.00
मूल्यहास के पश्चात लाभ/हानि	0.00
घटाएँ: अपवाद स्वरूप मद	0.00
घटाएँ: असाधारण मद	0.00
घटाएँ: चालू कर	0.00
घटाएँ: अस्थगित कर	3410423.00
कर पश्चात लाभ/हानि	3410423.00

#### ii) संचालन एवं प्रदर्शन की समीक्षा

कम्पनी का गठन भारत सरकार के स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत एस.पी.वी. के रूप में किया गया, जिसके द्वारा शहर का धरोहर, अध्यात्मिकता, बुनियादी ढांचे, परिवहन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, शिक्षा एवं रहवासियों के दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों में स्मार्ट समाधान के लिए समग्र रूप से विकसित कर इन्दौर को स्मार्ट सिटी बनाया जा सके।

कम्पनी के प्रथम वर्ष के संचालन एवं प्रदर्शन के दौरान कुल आय रुपये 843.33 लाख रही एवं इसके विरुद्ध कम्पनी ने रुपये 34.10 लाख का लाभ अर्जित किया।



आपकी कम्पनी ने, कम्पनी में लाभप्रदता लाने के लिए अपनी परिचालन क्षमता और राजस्व अर्जन क्षमता में सुधार के लिए कई पहल की है। आपके निदेशक गण इस चुनौतीपूर्ण एवं प्रतिस्पर्धात्मक पूंजी बाजार उद्योग में कम्पनी की सफलता सुनिश्चित करने के लिए कड़े उपाय करने के लिए प्रतिबद्ध है।

### iii) व्यवसाय की प्रकृति में परिवर्तन :

वर्ष के दौरान कम्पनी की व्यवसायिक गतिविधियों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ।

### iv) अंश पूंजी में परिवर्तन :

वित्तीय वर्ष के दौरान, कम्पनी द्वारा 10,35,60,000 अंश 10 रुपये प्रति अंश की दर से आवंटित किये गये, जिसका कुल मूल्य 1,03,56,00,000 होता है। जिसमें संगम-ज्ञापन के अभिदाताओं को जारी किये गये अंश एवं दिनांक 23 मई 2016 को राइट इश्यू के माध्यम से आवंटित किये गये 10 रुपये प्रति अंश वाले 10,34,60,000 समता अंश शामिल हैं। इसके अतिरिक्त कम्पनी की पूंजी संरचना में कोई परिवर्तन नहीं हुआ एवं ना ही विभिन्न अधिकारों वाले समता अंश, स्वेट समता अंश, ईएसओएस (कर्मचारी स्कंध विकल्प) वाले बकाया अंश जारी किये गये। हालांकि कम्पनी को भारत सरकार एवं मध्यप्रदेश सरकार से अनुदान प्राप्त हुआ है, एवं इस राशि का उपयोग कम्पनी की अंशपूंजी 200 करोड़ रुपये तक बढ़ाने में किया जा सकता है।

## 2. वार्षिक विवरणी का सार

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 92 के अन्तर्गत चाही गई वार्षिक विवरणी के सार वाले भाग की जानकारी प्रारूप संख्या एम.जी.टी-9 में, अनुलग्नक-1 के रूप में इस प्रतिवेदन में शामिल है।

## 3. संचालक मंडल एवं समितियों की बैठकों की संख्या :

बोर्ड के निदेशकगण वर्ष के दौरान विधिवत रूप से 6 बार मिले। संचालक मंडल की बैठकों का विवरण निम्नानुसार है :-

अनु क्रमांक	निदेशक	संचालक मंडल की बैठकों की संख्या		पिछली वार्षिक साधारण सभा में उपस्थिति
		आयोजित	उपस्थिति	
1.	श्री पारीकीपंडला नरहरि	6	5	लागू नहीं
2.	श्री मनीष सिंह	6	6	लागू नहीं
3.	श्री राकेश सिंह	3	2	लागू नहीं
4.	श्री राजेश नागल	3	2	लागू नहीं
5.	श्री गजरा मेहता	3	2	लागू नहीं
6.	श्री कुमार विनय प्रताप	3	2	लागू नहीं
7.	श्री कृष्ण कुमार सोनगरिया	2	1	लागू नहीं
8.	श्री सुरेन्द्र सिंह राजपूत	2	1	लागू नहीं
9.	श्री शंकर यादव	1	1	लागू नहीं
10.	श्री मोहित बुंदास	0	0	लागू नहीं
11.	श्रीमती प्रियंका दास	3	0	लागू नहीं
12.	श्री ऋषिकेश थिरुवेंकट कृष्णन	0	0	लागू नहीं

\*टीप :- श्री ऋषिकेश थिरुवेंकट कृष्णन को 12.05.2017 से स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया एवं श्री मोहित बुंदास को 23.06.2017 से निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।



समीक्षागत वर्ष के दौरान निदेशक मंडल की 6 (छह) बैठकें 12.03.2016, 27.04.2016, 23.05.2016, 20.09.2016, 19.12.2016 एवं 27.03.2017 को आयोजित की गई, तथा इसके संबंध में उचित सूचना पत्र दिये गये और कार्यवाहियों को उचित रूप से मिनट्स पुस्तिका में दर्ज किया गया।

**समिति के बैठक का विस्तृत विवरण :-** समीक्षागत वर्ष के दौरान कम्पनी को किसी समिति के गठन की आवश्यकता नहीं रही। 16.11.2017 को लेखा परीक्षा समिति और हितधारक संबंध समिति का गठन किया गया।

#### 4. निदेशकों की जिम्मेदारी संबंधी कथन :-

कम्पनी अधिनियम 2013 के प्रावधान 134(5) के पालन में आपके निदेशक यह पुष्टि करते हैं कि :-

- अ) 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष हेतु वार्षिक खातों को तैयार करने में लागू लेखा संबंधी मानकों का पालन किया गया है, साथ ही महत्वपूर्ण अपसरण, यदि कोई है, पर उचित स्पष्टीकरण दिया गया है ;
- ब) निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों को चुना एवं निरन्तरता से उन्हें लागू किया और ऐसे निर्णय एवं प्रकलन किए गए जो कि वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर कम्पनी के कारोबारी मामलों का तथा उसी अवधि में कम्पनी के लाभ और हानि का उचित एवं विवेकपूर्ण चित्रण प्रस्तुत किया जा सके ;
- स) निदेशकगणों ने इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप पर्याप्त लेखांकन अभिलेख रखने में तथा कम्पनी आस्तियों की सुरक्षा व अन्य अनियमितताओं की रोकथाम एवं कपट जाँचने हेतु समुचित एवं पर्याप्त सावधानियाँ बरती है ;
- द) निदेशकगणों ने वार्षिक लेखें चालू इकाई आधार पर बनाए है ;
- ई) कम्पनी ने आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित की है, और ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त है और प्रभावी रूप से परिचालन में रहे हैं ;  
व्याख्या :- इस कंडिका के प्रयोजन के लिए शब्द "आंतरिक वित्तीय नियंत्रण" का अर्थ व्यवसाय के सुचारु रूप से चलाने हेतु कम्पनी द्वारा अपनायी गई नीतियों व प्रक्रियाओं का सही तरीके से एवं गुणवत्तायुक्त प्रदर्शन का पालन सुनिश्चित किया जाना है, जिसमें आस्तियों का संरक्षण, छल-कपट व त्रुटियों पर रोक निवारण, लेखांकन के अभिलेखों की पूर्णता एवं सटीकता, तथा सही समय अवधि में विश्वसनीय वित्तीय जानकारीयों तैयार करना शामिल है, तथा -
- फ) निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार की और इस तरह की पद्धतियाँ प्रभावी ढंग से कार्यरत रही है।

#### 5. सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग

कम्पनी में किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी नहीं हुई जिसे कम्पनी अधिनियम की धारा 143 की उपधारा 12 के अंतर्गत कम्पनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा प्रतिवेदित करने की आवश्यकता रही हो।

#### 6. स्वतंत्र निदेशक की घोषणा का कथन

कम्पनी ने कम्पनी के सभी स्वतंत्र निदेशकों की घोषणा प्राप्त की है जिसमें उनके द्वारा यह पुष्टि की गई है कि वे अधिनियम की धारा 149 की उपधारा (6) के अधीन स्वतंत्रता संबंधी मानकों को पूर्ण करते हैं।

#### 7. नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति एवं हितधारक संबंधी समिति



कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 178(1) एवं कम्पनी (मंडल की बैठकें एवं उसकी शक्तियाँ) नियम 2014 के नियम 6 के अन्तर्गत कम्पनी को नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति के गठन की आवश्यकता रही, लेकिन, कम्पनी ने, बोर्ड में केवल एक स्वतंत्र निदेशक होने से इस समिति का गठन नहीं किया। अधिनियम की धारा 178(1) के अन्तर्गत कम्पनी को हितधारक संबंध समिति के गठन की आवश्यकता नहीं रही।

#### 8. (i) अंकेक्षकों का प्रतिवेदन

अंकेक्षकों ने अपने प्रतिवेदन में उन टीप को संदर्भित किया है जो अंतिम लेखांकन का भाग है एवं वस्तुगत सिद्धान्तों को ध्यान में रखते हुए यह टीप स्वतः ही व्याख्या करती है और इस पर कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 134 के अंतर्गत आगे कोई भी कथन करने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही प्रतिवेदन में निम्न अर्हताओं को दृष्टांत किया गया है:—

- 1) रुपये 16,84,62,889 की राशि का व्यय गलत रूप से पूंजी संबंधी कार्य की प्रगति के रूप में चिन्हित हुआ है (नोट 5) जबकि इस राशि को स्मार्ट सिटी मिशन प्रोजेक्ट हेतु व्यय के रूप में चिन्हित किया जाना चाहिए था, और उसके पश्चात संबंधित उत्तरदायित्वों को घटाया जाना था (प्राप्त अनुदान) जिसके परिणामस्वरूप (पूंजी संबंधी कार्य में प्रगति) में अतिशयोक्तिपूर्ण कथन हुआ है और इतनी ही राशि को न्यूनशयोक्ति रूप से (स्मार्ट सिटी मिशन प्रोजेक्ट) हेतु व्यय करने का कथन किया गया है।
- 2) रुपये 182,44,00,000, जो कि स्मार्ट सिटी मिशन प्रोजेक्ट के पेटे प्राप्त अनुदान राशि के रूप में चिन्हित की गई है तथा रुपये 13,19,12,551 जो कि आय पर ब्याज के रूप में अंशधारकों की पूंजी – कॉरपस फंड के रूप में अर्जित मानी गई है, जबकि इसे “वर्तमान चालू उत्तरदायित्वों” माना जाना चाहिए था, जो कि परिणामस्वरूप अंशधारकों के फंड के कथन के अधीन घोषित हुई है। इतनी ही राशि चालू उत्तरदायित्वों के मामलों में कमतर हो गई है।
- 3) रुपये 10,00,00,000 की राशि को प्रशासन एवं अन्य कार्यालयीन व्यय हेतु प्राप्त अनुदान, अंशधारकों का फंड, साधारण फंड के रूप में चिन्हित किया गया है। जबकि इसे “चालू उत्तरदायित्व के मद में होना चाहिए” जो कि अंशधारकों के फंड में अतिशयोक्तिपूर्ण है और उतनी ही राशि चालू उत्तरदायित्वों के पेटे कटौती में हो गई है।
- 4) सभी बैंक में राशियाँ, स्थिर जमा (फिक्सड डिपोजिट), ब्याज की राशि जो फिक्सड डिपोजिट की पावतियों के रूप में हो, और जो रुपये 182,44,00,000 के अनुदान के रूप में दर्शायी गई, तथा ब्याज से 13,19,12,551 की आय और बची हुई उपयोग में नहीं आयी राशि को “ट्रस्ट में धारित आस्तियों” के रूप में दर्शाया जाना था, ना कि कम्पनी की स्वयं की आस्तियों के रूप में।

अध्यक्ष महोदय, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3) (एफ) के अन्तर्गत ऐसी सभी अर्हताओं पर बिन्दुवार टिप्पणी करेंगे—

- 1) बिंदु क्रमांक 1 की व्याख्या – पूंजी परियोजनाओं में प्रगति पर व्यय हेतु 16.85 करोड़ को ए.एस. 26 के अनुसरण में चिन्हित करने की आवश्यकता है। यह कि कम्पनी द्वारा लिये जा रहे सभी पूंजीगत परियोजनाओं को इन्दौर नगर निगम के माध्यम से ही कम्पनी के नियंत्रण में रखा जावे। कार्य पूर्ण होने पर इन्हें अमूर्त आस्तियों के रूप में पूंजीकृत किया जाना चाहिए, चूंकि इन परिसम्पत्तियों के उपयोग से आय अर्जन करने का अधिकार कम्पनी के पास है।



यह भी कि सहयोजन के ज्ञाप्य में कम्पनी कथन करती है कि कम्पनी का मूल उद्देश्य स्मार्ट सिटी क्षेत्र में उपयोग करने के शुल्क, उपकर, फीस, कर, फ्लोर एरिया रेशो, फ्लोर एरिया इंडेक्स तथा विकसित करने के अधिकार आदि के द्वारा राजस्व अर्जन करना है। यह कि कम्पनी द्वारा हाथ में लिये पूंजीगत परियोजना से कम्पनी को भविष्य में अर्जन करने की पात्रता प्राप्त होगी, जिससे भविष्य में उद्यम को वित्तीय लाभ मिलेंगे।

तदनुसार पूंजी परियोजनाओं पर होने वाले व्यय को पूंजीगत कार्यों में प्रगति के रूप में माना जाना आवश्यक है।

- 2) बिंदु क्रमांक 2 की व्याख्या – यह कि मिशन संबंधी विवरण व कथन, एवं मार्गदर्शन तथा सहयोजन के अनुच्छेद के अनुसार कम्पनी को केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार से पूंजी प्राप्त हुई है, और उसे पृथक रूप से अनुदान निधि में रखा जाना है। इस अनुदान पूंजी (फंड) को केवल केन्द्र द्वारा इंगित किये गये प्रयोजन अथवा राज्य सरकार या सरकार के उपक्रम के द्वारा निर्धारित प्रयोजन के लिए ही उपयोग में लेना है, यह कि लेखा विनिर्दिष्टता (एएस-12) की कंडिका 16 के अनुसार “आईसीएआई” के द्वारा जारी शासकीय अनुदान के लेखाबद्ध करने में प्रवर्तक योगदान की प्रकृति के शासकीय अनुदान को संरक्षित पूंजी में आंकलित किया जाना चाहिए और इसे अंशधारक की पूंजी के रूप में मान्य किया जाना चाहिए।

अतः 182.44 करोड़ की परियोजना पूंजी को तथा 13.19 करोड़ की ब्याज से आय को अंशधारकों की पूंजी के रूप में माना गया है, और इसे पृथक रूप से संरक्षित व अधिशेष मद में कारपस फंड के रूप में दर्शाया गया है।

- 3) बिंदु क्रमांक 3 की व्याख्या – यह कि 31.03.2017 को रुपये 1.66 करोड़ की राशि के लिए शेष निधि के उपचार के लिए (ए एंड ओ ई) के संबंध में हमने लेखांकन मानक (ए.एस.-12) के अनुच्छेद 15 पर निर्भर किया है – “आई.सी.ए.आई द्वारा जारी शासकीय अनुदान की लेखाबद्धता” दर्शाती है कि राजस्व से संबंधित शासकीय अनुदान को तंत्रात्मक आधार पर लाभ हानि के कथन में उस आवश्यक अवधि के लिए, संबंधित लागत से मिलान करते हुए चिन्हित किया जाना चाहिए। जिसकी क्षतिपूर्ति का आशय उनसे है। ऐसे अनुदानों को “अन्य आय” के अन्तर्गत पृथक से दर्शाना चाहिए, या पृथक रूप से संबंधित व्यय के प्रतिवेदन में से घटाया जाना चाहिए।

यह कि हमने ए एंड ओ ई से संबंधित अनुदान को पहचानने की नीति को अपनाया है। लाभ व हानि के खाते में व्यय, तथा अन्य उपयोग में नहीं ली गई राशि को आगे की ओर गणना में सम्मिलित करना तथा उसके लेखे उपयोग होने वाले वर्ष में दर्ज करना।

यह कि चालू उत्तरदायी मद के अन्तर्गत दिखाये जाने के संबंध में, हम यह कहना चाहेंगे कि यह स्थिति विवरण की बिना पर कंपनी का कर्तव्य नहीं है तथा इसे ए.एस. 29 लेखा मानकों के प्रावधानों के अनुसरण में उत्तरदायित्वों के रूप में नहीं पहचाना जा सकता है। आकस्मिक उत्तरदायित्व व आकस्मिक आस्तियों के बारे में यह कहना है कि कोई उत्तरदायित्व पूर्व की घटना से उत्पन्न होकर किसी उद्यम का वर्तमान उत्तरदायित्व है, जिसका बंदोबस्त संभाव्य तौर पर वित्तीय लाभों को आत्मसात करते हुए उद्यम के संसाधनों का उपयोग द्वारा किया जाना है।

अतः इसे ही कम्पनी के संरक्षित राजस्व के भाग के रूप में माना जाता है और जब इसे व्यय किया जायेगा तो यह कम्पनी के लाभ और हानि के खाते में हस्तांतरित हो जायेगा।





- 4) बिंदु क्रमांक 4 की व्याख्या – यह कि बैंक में जमा राशि के बरताव के संबंध में, फिक्स डिपॉजिट तथा ब्याज की स्थिति, जो कि फिक्स डिपॉजिट की पावतियों पर मिलेगा, इस संबंध में हमारा कथन है कि स्थिति विवरण की दिनांक को कम्पनी का यह कतव्य नहीं है कि अनुदान का प्रतिभुगतान किया जाये एवं कम्पनी के पास अनुदान से संबंधित स्वयं के अधिकार है।
- अतः, यह फिक्स डिपॉजिट एवं बैंक जमा राशि कम्पनी की चालू आस्तिया है, तथा यह ट्रस्ट में धारित की गई राशि नहीं है, अतः इसकी पहचान नगद तथा बैंक में जमा राशि, अन्य चालू आस्तियों के मद में की जायेगी, और कम्पनी अधिनियम 2013 (III) अनुसूची द्वारा पुष्टि से संदर्भित है।

## ii) सांविधिक अंकेक्षक

कम्पनी के निवेदन पर, भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार के आदेश क्र. सी.ए.वी./सी.ओ.वाय./मध्यप्रदेश, आईएससीडीएल (1)/1052 दिनांक 18.08.2016 के माध्यम से मेसर्स गुप्ता एंड अशोक, सनदी लेखाकार, इन्दौर की नियुक्ति 31.03.2017 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए, कम्पनी अधिनियम की धारा 139(5) के संदर्भ में सांविधिक अंकेक्षक के रूप में की गई एवं मेसर्स गुप्ता एंड अशोक, सनदी लेखाकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 139 के अंतर्गत सांविधिक अंकेक्षक के रूप में कार्य करने हेतु सहमति भी प्रदान की गई।

## iii) लागत संबंधी रिकॉर्ड एवं/अथवा लागत का अंकेक्षण

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 148 के प्रावधान, सपटित कम्पनी (लागत रिकॉर्ड तथा अंकेक्षण) नियम 2014 के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं होते हैं। अतः ऐसे किसी रिकॉर्ड के रखरखाव की आवश्यकता नहीं है।

## iv) सचिवीय अंकेक्षण प्रतिवेदन

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 204, सपटित कम्पनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम 2014 के नियम 9 के प्रावधान कम्पनी पर लागू होते हैं। वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिये कम्पनी के सचिवीय अंकेक्षक मेसर्स पी.एस. त्रिपाठी एंड एसोसिएट्स, कम्पनी सेक्रेटरीज से एक प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। सचिवीय अंकेक्षक द्वारा निम्न अर्हताएँ प्रदर्शित की गई हैं जो निम्नानुसार उल्लेखित हैं –

प्रतिवेदन का बिंदु क्रमांक 2 :—

- अ) कम्पनी द्वारा कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 149(1) के अंतर्गत सुश्री प्रियंका दास के कार्यकाल समाप्ति के तीन माह के भीतर अथवा आगामी बोर्ड बैठक जो बाद में हो, में कम्पनी द्वारा बोर्ड में महिला निदेशक की नियुक्ति नहीं की गई।
- स्पष्टीकरण :— मध्यप्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कम्पनी लिमिटेड द्वारा दिनांक 18.12.2017 को डॉ. मंजू शर्मा के नामांकन हेतु आदेश जारी किया गया। निदेशक के रूप में उनकी नियुक्ति के मामले पर दिनांक 23.12.2017 को आयोजित बोर्ड बैठक में विचार किया गया।
- ब) कम्पनी द्वारा अधिनियम की धारा 149 के अंतर्गत दिनांक 31.03.2017 तक दो स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति नहीं की गई।
- स्पष्टीकरण :— एक स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति की जा चुकी है, तथा अन्य स्वतंत्र निदेशक के नाम के नामांकन हेतु मध्यप्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कम्पनी लिमिटेड द्वारा आदेश जारी नहीं किया गया। कम्पनी अन्य स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति म.प्र.अ.डे.कं.लि. से प्राप्त नामांकन के पश्चात करेगी।



स) कम्पनी द्वारा, अधिकांश स्वतंत्र निदेशकों के साथ लेखा परीक्षा समिति, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का गठन नहीं किया गया। यह कम्पनी अधिनियम की धारा 149, 177 एवं 178 का गैर-अनुपालन है।

स्पष्टीकरण :- एक स्वतंत्र निदेशक के साथ लेखा परीक्षा समिति का गठन दिनांक 16.11.2017 को किया गया है तथा नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का गठन अन्य स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति पश्चात किया जावेगा।

द) कम्पनी द्वारा कम्पनी के अनुच्छेदों के खण्ड 12.15 में वर्णित अन्य विभिन्न समितियों का गठन नहीं किया गया।

स्पष्टीकरण :- अन्य स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति पश्चात समितियों का गठन किया जावेगा।

इ) कम्पनी ने अपनी वेबसाइट पर विभिन्न जानकारीयों एवं नीतियों को अपलोड नहीं किया है, जैसे कि आम बैठक की सूचना, निदेशकों के इस्तीफे की सूचना, स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति हेतु शर्तों का विवरण, निदेशक हेतु नियुक्ति की उम्मीदवारी, सीआईएन एवं पंजीकृत कार्यालय पहुँच मार्ग का नक्शा।

स्पष्टीकरण :- कम्पनी की वेबसाइट [www.smartcityindore.org](http://www.smartcityindore.org) पर एक अतिरिक्त टेब को जोड़ने हेतु कदम उठाये गये हैं तथा कमांड एंड कंट्रोल सेंटर द्वारा इन्दौर स्मार्ट सिटी पोर्टल में परिवर्धन हेतु प्रावधान किया गया है।

#### 9. धारा 186 के अन्तर्गत ऋण, प्रत्याभूति अथवा निवेश के विवरण

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कम्पनी द्वारा ऋण/प्रत्याभूति नहीं दी गई एवं ऐसा कोई निवेश नहीं किया गया जो कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 186 के अन्तर्गत हो।

#### 10. संबंधित पक्षों से समव्यवहार

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कम्पनी ने ऐसे किसी भी संव्यवहार में प्रवेश नहीं किया है जो कि कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 188(1) के अधीन आता हो।

तथा समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कम्पनी के व्यवसाय की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ।

#### 11. संरक्षित पूँजी में हस्तांतरण

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कम्पनी द्वारा कोई राशि साधारण संरक्षित पूँजी में हस्तांतरित नहीं की गई।

#### 12. लाभांश

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, पूँजी की आवश्यकता एवं कम्पनी के पूँजी आधार को मजबूत बनाने के कारण, आपके निदेशकों द्वारा 31 मार्च 2017 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए कोई लाभांश की अनुशंसा नहीं की गई।

#### 13. प्रतिवेदन की दिनांक एवं वित्तीय वर्ष के अन्त के मध्य की अवधि वाले, वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तन एवं प्रतिबद्धताएँ

वित्तीय वर्ष की समाप्ति से इस प्रतिवेदन की दिनांक तक दिए जाने वाले वित्तीय विवरण में ऐसा कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन एवं प्रतिबद्धताएँ नहीं हैं जो कि कम्पनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करती हैं।



#### 14. ऊर्जा संरक्षण, तकनीकी समावेशन तथा विदेशी विनिमय अर्जन व निर्गम

##### 1) ऊर्जा संरक्षण :-

- अ) ऊर्जा संरक्षण हेतु उठाये गये कदम अथवा उनका प्रभाव  
ऊर्जा की खपत कम करने एवं ऊर्जा की अधिकतम संभावित बचत के लिए कम्पनी द्वारा लगातार प्रयास किये जा रहे हैं।
- ब) कम्पनी द्वारा ऊर्जा के अन्य स्रोतों के उपयोग करने हेतु उठाये गये कदम  
जब भी और जितना संभव हो सका, कम्पनी ने ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का उपयोग किया है।
- स) ऊर्जा संरक्षण संबंधी उपकरणों पर पूंजीगत निवेश – निरंक

##### 2) तकनीकी समावेशन

- अ) तकनीकी समावेशन के लिए किये गये प्रयास –  
कम्पनी द्वारा कोई विशिष्ट गतिविधि नहीं की गई।
- ब) उत्पाद सुधार, लागत कटौती, उत्पाद विकास अथवा आयत वैकल्पिकता जैसे उत्पन्न लाभ –  
कम्पनी द्वारा कोई विशिष्ट गतिविधि नहीं की गई।
- स) वित्तीय वर्ष के आरंभ से लेकर विगत 3 वर्षों की अवधि के दौरान आयातित प्रौद्योगिकी के बारे में  
– लागू नहीं
- द) अनुसंधान एवं विकास पर हुए व्यय – निरंक

##### 3) विदेशी विनिमय, अर्जन एवं निर्गम

ऐसा कोई विदेशी विनिमय अर्जन एवं निर्गम, जो कम्पनी (लेखांकन) नियम 2014 में चाहा गया हो, वित्तीय वर्ष के दौरान नहीं किया गया है।

#### 15. ज़ौखिम प्रबंधन नीति एवं विकास को इंजित करने वाला कथन –

कम्पनी के निदेशक मंडल का कथन है कि मंडल द्वारा व्यवसाय से संबंधी निर्णय लेते समय व्यवसाय से जुड़े जौखिमों का ध्यान रखा जाता है तथा कम्पनी को किसी विशिष्ट जौखिम प्रबंधन नीति बनाने की आवश्यकता नहीं है।

#### 16. कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व –

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 134(3) के अनुसार कम्पनी को कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्वों संबंधी कथन देने की आवश्यकता नहीं है। यह कम्पनी, कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 135(1) के मानकों के अंतर्गत नहीं आती है, अतएव, ऐसी कोई समिति का गठन नहीं किया गया है।

#### 17. बोर्ड के प्रदर्शन का वार्षिक मूल्यांकन –

सरकारी कम्पनी होने के कारण, कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 134(3)(पी) के अनुसरण में एवं कम्पनी (लेखांकन) नियम 2014 के नियम 8(4) के अन्तर्गत कम्पनी को औपचारिक रूप से अपने बोर्ड, इसकी समितियों एवं एकल निदेशकों के



वार्षिक मूल्यांकन की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, कम्पनी के संचालकगण कम्पनी के निदेशक के तौर पर अपनी जिम्मेदारियों एवं कर्तव्यों के प्रति सदैव सतर्क रहते हैं।

#### 18. कर्मचारियों के मतदान का अधिकार –

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कम्पनी के किसी कर्मचारी को कम्पनी अधिनियम की धारा 67(3)(सी) के क्रम में, कम्पनी ने स्वयं के अंश क्रय करने हेतु ऋण प्रदान नहीं किया। अतएव कम्पनी द्वारा कम्पनी (अंशपूँजी एवं ऋणपत्र) नियम 2014 के नियम 16(4) संबंध में किसी भी प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है।

#### 19. कर्मचारी स्कंध (स्टॉक) विकल्प संबंधी प्रकटीकरण

कम्पनी (अंशपूँजी एवं ऋणपत्र) नियम 2014 के नियम 12(9) के प्रावधानों के अनुसरण में कम्पनी द्वारा कर्मचारी स्कंध विकल्प जारी नहीं किये हैं; अतएव कर्मचारियों द्वारा मताधिकारों का प्रयोग नहीं किये जाने के संबंध में प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

#### 20. स्वेट समता अंश को जारी करने संबंधी सूचना

कम्पनी द्वारा धारा 54 कम्पनी (अंशपूँजी एवं ऋणपत्र) नियम 2014 के नियम 8 के साथ सहपठित, के अनुसरण में वित्तीय वर्ष के दौरान स्वेट समता अंश जारी नहीं किये गये।

#### 21. निदेशकगण एवं मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक

वर्ष के दौरान सुश्री प्रियंका दास द्वारा कम्पनी के निदेशक पद को त्याग दिया गया तथा श्री राकेश सिंह, श्री राजेश नागल, श्री गजरा मेहता, श्री कुमार विनय प्रताप, श्री कृष्णकुमार सोनगरिया, श्री सुरेन्द्रसिंह राजपूत एवं श्री शंकर यादव को नामांकित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया तथा श्री अनुराग कुमार सक्सेना को कम्पनी के कम्पनी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया, श्री रोहन सक्सेना को मुख्य कार्यपालन अधिकारी नियुक्त किया गया एवं श्री संतोष काग को मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया गया।

श्री ऋषिकेश थिरुवेनकाटा कृष्णन को 12.05.2017 से स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया। श्री मोहित बुन्दास को 23.06.2017 से निदेशक नियुक्त किया गया। श्री अश्विनी कुमार को श्री कुमार विनय प्रताप के स्थान पर दिनांक 14.09.2017 से निदेशक नियुक्त किया गया। 18.09.2017 से, श्री निशांत वरवड़े को नामित निदेशक नियुक्त किया गया एवं श्री पारीकी पंडला नरहरि, निदेशक के रूप में कम्पनी में नहीं रहे। श्री राकेश सिंह 18.09.2017 से कम्पनी में निदेशक नहीं रहे क्योंकि श्री गौतमसिंह को कम्पनी के निदेशक के तौर पर नामित किया गया। श्री संतोष काग भी कम्पनी के मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में नहीं रहे एवं श्री रचना पाराशर को श्री संतोष काग की जगह पर 29.09.2017 से मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया गया।

श्री गजरा मेहता, श्री राजेश नागल एवं श्री कृष्णकुमार सोनगरिया आगामी वार्षिक आम सभा में रोटेशन द्वारा सेवा निवृत्त होने वाले हैं, जिनकी पात्रता के साथ पुनर्नियुक्ति का प्रस्ताव रखा गया है।

#### निदेशकगणों की अयोग्यता

वर्ष के दौरान कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 164 के अनुसरण में कम्पनी के निदेशकगणों से घोषणाएं प्राप्त हुईं। बोर्ड द्वारा इन घोषणाओं का मूल्यांकन किया गया और पाया गया कि कोई भी निदेशक संचालक पद हेतु अयोग्य नहीं है।



## 22. समनुषंगी, सहयुक्त कम्पनियां एवं संयुक्त उद्यम

कम्पनी की कोई भी समनुषंगी कम्पनी, संयुक्त उद्यम अथवा सहयुक्त कम्पनी नहीं है। हालांकि कम्पनी स्वयं मध्यप्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कं. लिमिटेड की समनुषंगी (सब्सिडियरी) कम्पनी है।

## 23. जमा राशियाँ

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 73 सहपठित कम्पनी (जमा राशियों की स्वीकृति) नियम 2014 के मायनों के अंतर्गत कम्पनी द्वारा जनता से कोई जमा राशियाँ नहीं ली गई है।

## 24. न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण द्वारा पारित महत्वपूर्ण एवं वस्तुगत आदेश

नियामक/न्यायालय/न्यायाधिकरणों द्वारा कोई महत्वपूर्ण व वस्तुगत आदेश पारित नहीं किया गया है जिससे कम्पनी की निरन्तरता एवं उसका संचालन प्रभावित हो।

## 25. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली एवं उनकी पर्याप्तता

वित्तीय कथनों के संबंध में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली एवं उसकी पर्याप्तता के मामले में कम्पनी के निदेशक मंडल द्वारा विधिवत रूप से ध्यान रखा गया है। प्रणाली में आंतरिक नियंत्रण मौजूद है एवं आंतरिक प्रणाली को अद्यतन करने की जब भी और जहाँ भी आवश्यकता होती है उसके लिये पर्याप्त उपाय किये जाते हैं। प्रणाली यह भी सुनिश्चित करती है कि जैसे और जब आवश्यक हो सभी समव्यवहार उचित रूप से अधिकृत, अभिलेखित एवं प्रतिवेदित किये गये हो।

## 26. स्वतंत्र निदेशक द्वारा पदधारण

कम्पनी बोर्ड में केवल एक स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति की गई है तथा कम्पनी को कम्पनी अधिनियम 2013 के पालनार्थ निदेशक मंडल में न्यूनतम संख्या के स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति करने की आवश्यकता है।

## 27. लेखा परीक्षा समिति

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 177(1) के अधीन एवं कम्पनी (बोर्ड की बैठके एवं उसकी शक्तियाँ) नियम 2014 के नियम 6 के अनुसार लेखा परीक्षा समिति के गठन करने की आवश्यकता है। कम्पनी द्वारा 31.03.2017 के पश्चात दिनांक 16.11.2017 को आयोजित बोर्ड बैठक में लेखा परीक्षा समिति का गठन किया गया। समिति का गठन निम्नानुसार है:—

अ. क्र.	निदेशक का नाम	वर्ग	डीआईएन	अध्यक्ष/सदस्य
1	श्री ऋषिकेश थिरुवें काटा कृष्णन	स्वतंत्र निदेशक	00064067	अध्यक्ष
2	श्री राजेश नागल	गैर कार्यकारी निदेशक	07084452	सदस्य
3	श्री गजरा मेहता	गैर कार्यकारी निदेशक	07578666	सदस्य



## 28. सतर्कता तंत्र की स्थापना

आपकी कम्पनी को, कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 177(9) सपटित कम्पनी (बोर्ड की बैठके एवं उसकी शक्तियां) नियम 7 में दर्शायी गई आवश्यकताओं के नहीं होने पर सतर्कता तंत्र को स्थापित करने की आवश्यकता नहीं रही, अतएव बोर्ड द्वारा ऐसे किसी तंत्र की स्थापना नहीं की गई।

## 29. नियंत्रि/समनुषंगी कम्पनी से निदेशकों को प्राप्त कमीशन

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कम्पनी के किसी भी निदेशक ने नियंत्रि अथवा समनुषंगी कम्पनियों, यदि कोई हो, से ऐसा वेतन अथवा कमीशन प्राप्त नहीं किया है जो कि कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 197(14) के अंतर्गत प्रावधानित है।

## 30. कर्मचारियों का विवरण

कम्पनी के किसी कर्मचारी द्वारा पूरे वित्तीय वर्ष के दौरान नियोजित रहने पर रु. 1,02,00,000 (अक्षरी रुपये एक करोड़ दो लाख) प्रतिवर्ष अथवा वित्तीय वर्ष के किसी भाग के दौरान नियुक्त रहने पर रुपये 8,50,000 (अक्षरी रुपये आठ लाख पचास हजार) प्रतिमाह से अधिक वेतन प्राप्त नहीं किया जा रहा है। तथा यह कि प्रबंध निदेशक अथवा पूर्णकालिक निदेशक अथवा प्रबंधक (जहाँ भी वे नियुक्त हो) के द्वारा भी इससे अधिक वेतन किसी कर्मचारी को प्राप्त नहीं हुआ है, तथा इसमें से कोई स्वयं के द्वारा अथवा अपने जीवनसाथी एवं निर्भर बच्चों के द्वारा, कम्पनी के 2 (दो) प्रतिशत अथवा अधिक के सममूल्य के अंशों का धारण नहीं करता है। यह जानकारी उन कर्मचारियों के संबंध में है जो कम्पनी के निदेशकों के अलावा है, निदेशकगणों के संबंध में विवरण एमजीटी-9 में दिया गया है जो इस प्रतिवेदन का संलग्न परिशिष्ट-1 है।

## 31. विशाका समिति

31.03.2017 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान कम्पनी में 10 से अधिक कर्मचारी नहीं थे। अतएव कम्पनी को महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिबंध और प्रतितोष) अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अंतर्गत कोई आंतरिक शिकायत निवारण समिति का गठन करने की आवश्यकता नहीं रही।

## 32. आभार

आपके संचालक, कम्पनी के सदस्यों का कम्पनी प्रबंधन में उनकी निष्ठा एवं विश्वास के लिए आभारी हैं।

स्थान : इन्दौर

दिनांक : 23/12/2017

इन्दौर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड के

निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से

सही/-  
मनीष सिंह  
कार्यपालन निदेशक  
डीआईएन:05277748

सही/-  
निशांत वरवडे  
अध्यक्ष  
डीआईएन:05340409



## परिशिष्ट – I

### प्रारूप सं. एमजीटी-9

### वार्षिक विवरणी का सार

31.03.2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) एवं कम्पनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम 2014 के नियम 12(1) के संदर्भ में

#### I. पंजीयन एवं अन्य विवरण :

1.	सीआईएन	यू75100एमपी2016एसजीसी035528
2.	पंजीयन दिनांक	11/03/2016
3.	कम्पनी का नाम	इन्दौर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड
4.	कम्पनी की श्रेणी / उप-श्रेणी	अंशों द्वारा सीमित कम्पनी / राज्य सरकार कम्पनी
5.	पंजीकृत कार्यालय का पता एवं सम्पर्क विवरण	स्मार्ट सिटी कार्यालय, नेहरू पार्क परिसर, इन्दौर म.प्र. 452003 ईमेल: smartcityindore16@gmail.com दूरभाष: 0731-2535572
6.	क्या कम्पनी सूचीबद्ध है	नहीं
7.	पंजीयक एवं अंतरण अभिकर्ता का नाम, पता एवं सम्पर्क विवरण, यदि हो	लागू नहीं

#### II. कंपनी की प्रमुख व्यावसायिक गतिविधियाँ

कंपनी के कुल आवर्त का 10% या उससे अधिक योगदान करने वाली सभी व्यावसायिक गतिविधियाँ उल्लेखित की जावेगी:—

क्रं.	मुख्य उत्पाद/सेवाओं का नाम एवं विवरण	उत्पाद/सेवाओं का एनआईसी कोड	कंपनी के कुल आवर्त का %
—	—	—	—

#### III. नियंत्री, समनुषंगी एवं सहयुक्त कंपनियों का विवरण— कंपनी की कोई नियंत्री/समनुषंगी/संयुक्त उद्यम/सहयुक्त नहीं है।

क्रं.	कंपनी का नाम एवं पता	सीआईएन/जीएलएन	नियंत्री, समनुषंगी एवं सहयुक्त	धारित अंशों का %	लागू धारा
1.	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक



#### IV. अंश धारण प्रतिमान (कुल समता की प्रतिशतता के रूप में साम्य अंशपूँजी ब्यौरा) –

##### i) श्रेणीवार अंश धारण

अंशधारकों की श्रेणी	वर्ष के प्रारम्भ में धारित अंशों की संख्या (यथा 11 मार्च 2016 को)				वर्ष के अन्त में धारित अंशों की संख्या (31 मार्च 2017)				वर्ष के दौरान परिवर्तन का %
	डीमेट	भौतिक	कुल	कुल अंशों का %	डीमेट	भौतिक	कुल	कुल अंशों का %	
<b>अ. संप्रवर्तक</b>									
<b>(1) भारतीय</b>									
क) व्यक्तिगत/अ.हि.प.	-	50	50	0.05	-	50	50	0.00	निरंक
ख) केन्द्र सरकार	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग) राज्य सरकार (रे)	-	49990	49990	49.99	-	51779990	51779990	50.0	निरंक
घ) निगमित निकाय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ड) बैंक/वि.सं.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
च) अन्य कोई (स्थानीय निकाय)	-	49960	49960	49.96	-	51779960	51779960	50.0	निरंक
उप योग (अ)(1)	निरंक	100000	100000	100	-	103560000	103560000	100.00	निरंक
<b>(2) विदेशी</b>									
क) अ.भा./व्यक्तिगत	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) अन्य व्यक्ति	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग) निगमित निकाय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ) बैंक/वि.सं.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ड) अन्य कोई	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप योग (अ)(2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>प्रवर्तक की कुल अंश धारिता अ=(अ)(1) + (अ)(2)</b>	निरंक	100000	100000	100	-	103560000	103560000	100.00	निरंक
<b>ब. सार्वजनिक अंश</b>									
<b>(1) संस्थाएं</b>									
क) म्युचुअल फंड	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) बैंक/वि.सं.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग) केन्द्र सरकार	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ) राज्य सरकार (रे)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ड) उद्यम पूंजी कोष	-	-	-	-	-	-	-	-	-
च) बीमा कंपनियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-
छ) वि.सं.नि.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ज) विदेश उद्यम पूंजी कोष	-	-	-	-	-	-	-	-	-
झ) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप योग (ब)(1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-





<b>(2) गैर संस्थागत</b>									
अ) निगमित निकाय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i) भारतीय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) विदेशी	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ब) व्यक्तिगत	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i) रु. 1 लाख तक की सांकेतिक अंशपूजी धारक व्यक्ति	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) रु. 1 लाख से अधिक की सांकेतिक अंशपूजी धारक व्यक्ति	-	-	-	-	-	-	-	-	-
स) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप योग (ब)(2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>कुल सार्वजनिक अंशधारिता</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>(ब)=(ब)(1)+(ब)(2)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
स. जीडीआर एवं एडीआर अभिरक्षक द्वारा धारित अंश	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>कुल योग (अ+ब+स)</b>	निरंक	100000	100000	100	-	103560000	103560000	100.00	निरंक

नोट : राज्य सरकार और स्थानीय निकाय के नामांकित व्यक्तियों द्वारा 50 अंश धारण किये गये हैं।

## ii) संप्रवर्तकों की अंशधारिता

क्र.	अंशधारक का नाम	वर्ष के प्रारंभ में अंशधारिता			वर्ष के अन्त में अंशधारिता			वर्ष के दौरान अंशधारिता में परिवर्तन का %
		अंशों की संख्या	कंपनी के कुल अंश का %	कुल अंशों में प्रतिभूत/भारित अंशों का %	अंशों की संख्या	कंपनी के कुल अंशों का %	कुल अंशों में प्रतिभूत/भारित अंशों का %	
1.	*श्री पारिकीपांडला नरहरि	10	0.01	-	10	0.00	-	-
2.	इन्दौर नगर पालिक निगम	49960	49.96	-	51779960	50.00	-	0.04
3.	*श्री रोहन सक्सेना	10	0.01	-	10	0.00	-	-
4.	*श्री राकेश सिंह	10	0.01	-	10	0.00	-	-
5.	*श्री राजेश नागल	10	0.01	-	10	0.00	-	-
6.	मध्यप्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कं. लिमिटेड	49.99	-	51779990	50.00	-	0.01	-
7.	**श्रीमती मंजू शर्मा	10	0.01	-	10	0.00	-	-

\*इन्दौर नगर पालिक निगम की नामिती की क्षमता में धारित अंश

\*\*मध्यप्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कं. लिमिटेड के नामिती की क्षमता में धारित अंश



iii) संप्रवर्तकों की अंशधारिता में परिवर्तन (कोई परिवर्तन नहीं होने की स्थिति में कृपया स्पष्ट करें)

क्र. सं.	विवरण	वर्ष के प्रारंभ में अंशधारिता		वर्ष के दौरान संचित अंशधारिता	
		अंशों की संख्या	कंपनी के कुल अंशों का %	अंशों की संख्या	कंपनी के कुल अंशों का %
1.	*श्री पारीकीपांडला नरहरि				
	वर्ष के प्रारम्भ में	10	0.00	10	0.00.
	वर्ष के दौरान लेनदेन	-	-	10	0.00
	वर्ष के अन्त में	10	0.00	10	0.00
2.	इन्दौर नगर पालिक निगम				
	वर्ष के प्रारम्भ में	49960	0.05	49960	0.05
	दिनांक 23.05.2016 को आवंटन	51730000	49.95	51779960	50.00
	वर्ष के अन्त में	51779960	50.00	51779960	50.00
3.	*श्री रोहन सक्सेना				
	वर्ष के प्रारम्भ में	10	0.00	10	0.00
	वर्ष के दौरान लेनदेन	-	-	10	0.00
	वर्ष के अन्त में	10	0.00	10	0.00
4.	*श्री राकेश सिंह				
	वर्ष के अन्त में	10	0.00	10	0.00
	वर्ष के दौरान लेनदेन	-	-	10	0.00
	वर्ष के अन्त में	10	0.00	10	0.00
5.	*श्री राजेश नागल				
	वर्ष के प्रारम्भ में	10	0.00	10	0.00
	वर्ष के दौरान लेनदेन	-	-	10	0.00
	वर्ष के अन्त में	10	0.00	10	0.00
6.	मध्यप्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कं. लिमिटेड				
	वर्ष के प्रारम्भ में	49990	0.05	49990	0.05
	दिनांक 23.05.2016 को आवंटन	51730000	49.95	51779990	50.00
	वर्ष के अन्त में	51779990	50.00	51779990	50.00
7.	**श्रीमती मंजू शर्मा				
	वर्ष के प्रारम्भ में	10	0.00	10	0.00
	वर्ष के दौरान लेनदेन	-	-	10	0.00
	वर्ष के अन्त में	10	0.00	10	0.00

\*इन्दौर नगर पालिक निगम के नामिती की क्षमता में धारित अंश

\*\*मध्यप्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कं. लिमिटेड के नामिती की क्षमता में धारित अंश



**iv) शीर्ष दस अंशधारकों का अंशधारिता प्रतिमान : लागू नहीं**

(निदेशकों, संप्रवर्तकों एवं जीडीआरएस और एडीआर के धारकों के अतिरिक्त) :-

प्रत्येक शीर्ष दस अंशधारकों के लिए	वर्ष के आरंभ में अंशधारिता		वर्ष के दौरान संचयी अंशधारिता	
	अंशों की संख्या	कंपनी के कुल अंशों का %	अंशों की संख्या	कंपनी के कुल अंशों का %
वर्ष के प्रारम्भ में	-	-	-	-
वर्ष के दौरान लेनदेन	-	-	-	-
वर्ष के अन्त में	-	-	-	-

**v) निदेशकों एवं प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की अंशधारिता :**

क्र. सं.	प्रत्येक निदेशक एवं प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की अंशधारिता	वर्ष के आरंभ में अंशधारिता		वर्ष के दौरान संचयी अंशधारिता	
		अंशों की संख्या	कंपनी के कुल अंशों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल अंशों का %
1.	<b>*श्री पारीकीपांडला नरहरि</b>				
	वर्ष के प्रारम्भ में	10	0.00	10	0.00.
	वर्ष के दौरान लेनदेन	-	-	10	0.00
	वर्ष के अन्त में	10	0.00	10	0.00
2.	<b>*श्री मनीष सिंह</b>				
	वर्ष के प्रारम्भ में	-	-	-	-
	वर्ष के दौरान लेनदेन	-	-	-	-
	वर्ष के अन्त में	-	-	-	-
3.	<b>*श्री रोहन सक्सेना</b>				
	वर्ष के प्रारम्भ में	10	0.00	10	0.00
	वर्ष के दौरान लेनदेन	-	-	10	0.00
	वर्ष के अन्त में	10	0.00	10	0.00
4.	<b>*श्री राकेश सिंह</b>				
	वर्ष के प्रारम्भ में	10	0.00	10	0.00
	वर्ष के दौरान लेनदेन	-	-	10	0.00
	वर्ष के अन्त में	10	0.00	10	0.00
5.	<b>*श्री राजेश नागल</b>				
	वर्ष के प्रारम्भ में	10	0.00	10	0.00
	वर्ष के दौरान लेनदेन	-	-	10	0.00
	वर्ष के अन्त में	10	0.00	10	0.00



6.	<b>***श्रीमती प्रियंका दास</b>				
	वर्ष के प्रारम्भ में	-	-	-	-
	वर्ष के दौरान लेनदेन	-	-	-	-
	वर्ष के अन्त में	-	-	-	-
7.	<b>श्री गजरा मेहता</b>				
	वर्ष के प्रारम्भ में	-	-	-	-
	वर्ष के दौरान लेनदेन	-	-	-	-
	वर्ष के अन्त में	-	-	-	-
8.	<b>श्री कृष्ण कुमार सोनगरिया</b>				
	वर्ष के प्रारम्भ में	-	-	-	-
	वर्ष के दौरान लेनदेन	-	-	-	-
	वर्ष के अन्त में	-	-	-	-
9.	<b>श्री कुमार विनय प्रताप</b>				
	वर्ष के प्रारम्भ में	-	-	-	-
	वर्ष के दौरान लेनदेन	-	-	-	-
	वर्ष के अन्त में	-	-	-	-
10.	<b>श्री सुरेन्द्र सिंह राजपूत</b>				
	वर्ष के प्रारम्भ में	-	-	-	-
	वर्ष के दौरान लेनदेन	-	-	-	-
	वर्ष के अन्त में	-	-	-	-
11.	<b>श्री शंकर यादव</b>				
	वर्ष के प्रारम्भ में	-	-	-	-
	वर्ष के दौरान लेनदेन	-	-	-	-
	वर्ष के अन्त में	-	-	-	-
12.	<b>श्री मोहित बूदास</b>				
	वर्ष के प्रारम्भ में	-	-	-	-
	वर्ष के दौरान लेनदेन	-	-	-	-
	वर्ष के अन्त में	-	-	-	-
13.	<b>श्री ऋषिकेश थिरुवें काटा कृष्णन</b>				
	वर्ष के प्रारम्भ में	-	-	-	-
	वर्ष के दौरान लेनदेन	-	-	-	-
	वर्ष के अन्त में	-	-	-	-
14.	<b>श्री अनुराग कुमार सक्सेना</b>				
	वर्ष के प्रारम्भ में	-	-	-	-
	वर्ष के दौरान लेनदेन	-	-	-	-
	वर्ष के अन्त में	-	-	-	-
15.	<b>श्री संतोष काग</b>				
	वर्ष के प्रारम्भ में	-	-	-	-
	वर्ष के दौरान लेनदेन	-	-	-	-
	वर्ष के अन्त में	-	-	-	-

\*इन्दौर नगर पालिक निगम के नामिती की क्षमता में धारित अंश

\*\*\*वर्ष के दौरान श्रीमती प्रियंका दास का कम्पनी निदेशक का पद समाप्त हो चुका है।



**v) ऋणग्रस्तता –**

कम्पनी की बकाया / प्रोद्भूत किंतु भुगतान हेतु देय नहीं ब्याज समाहित ऋणग्रस्तता।

विवरण	जमाओं को छोड़कर प्रतिभूत ऋण	असुरक्षित ऋण	निक्षेप	कुल ऋणग्रस्तता
<b>वित्तीय वर्ष के आरंभ में ऋणग्रस्तता</b>				
i) मूल धन	-	-	-	-
ii) देय किंतु असंदत्त ब्याज	-	-	-	-
iii) प्रोद्भूत किंतु असंदत्त ब्याज	-	-	-	-
<b>कुल (i+ii+iii)</b>	-	-	-	-
<b>वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में परिवर्तन</b>				
i) वृद्धि	-	-	-	-
ii) कटौती	-	-	-	-
<b>सकल परिवर्तन</b>	-	-	-	-
<b>वित्तीय वर्ष के अन्त में ऋणग्रस्तता</b>				
i) मूल धन	-	-	-	-
ii) देय किंतु असंदत्त ब्याज	-	-	-	-
iii) प्रोद्भूत किंतु असंदत्त ब्याज	-	-	-	-
<b>कुल (i+ii+iii)</b>	-	-	-	-

**VI. निदेशकों एवं प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक –**

(क) प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशकों और/या प्रबंधक का पारिश्रमिक : निरंक

क्र. सं.	पारिश्रमिक की विशिष्टियाँ	निदेशक		कुल राशि
1.	सकल वेतन	-	-	-
	(अ) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में निहित उपबंधों के अनुसार वेतन	-	-	-
	(ब) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(2) के अधीन परिलब्धियों का मूल्य	-	-	-
	(स) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(3) के अधीन वेतन के बदले लाभ	-	-	-
2.	स्टॉक विकल्प	-	-	-
3.	श्रमसाध्य साम्या (स्वेट इक्विटी)	-	-	-
4.	कमीशन - लाभ के % के रूप में - अन्य निर्दिष्ट करें	-	-	-
5.	अन्य, कृपया विनिर्दिष्ट करें	-	-	-
6.	कुल (क)	-	-	-
7.	अधिनियम के अनुसार अधिकतम सीमा	-	-	-



(ख) अन्य निदेशकों को पारिश्रमिक – निरंक

क्र. सं.	पारिश्रमिक की विशिष्टियाँ	निदेशकों के नाम		कुल राशि
1.	स्वतंत्र निदेशक	निरंक	निरंक	निरंक
	बोर्ड कमेटी की बैठकों में भाग लेने का शुल्क	निरंक	निरंक	निरंक
	कमीशन	निरंक	निरंक	निरंक
	अन्य, कृपया विनिर्दिष्ट करें	निरंक	निरंक	निरंक
	योग (1)	निरंक	निरंक	निरंक
2.	अन्य गैर कार्यकारी निदेशक	निरंक	निरंक	निरंक
	बोर्ड कमेटी की बैठकों में भाग लेने का शुल्क	निरंक	निरंक	निरंक
	कमीशन	निरंक	निरंक	निरंक
	अन्य, कृपया विनिर्दिष्ट करें	निरंक	निरंक	निरंक
3.	योग (2)	निरंक	निरंक	निरंक
4.	योग (ख)=(1+2)	निरंक	निरंक	निरंक
5.	कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक	निरंक	निरंक	निरंक
6.	अधिनियम के अनुसार अधिकतम सीमा	निरंक	निरंक	निरंक

(ग) प्रबंध निदेशक या प्रबंधक या पूर्णकालिक निदेशक के अतिरिक्त अन्य प्रबंध कार्मिकों का पारिश्रमिक

क्र.	पारिश्रमिक का विवरण	प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक			
		मुख्य कार्यकारी अधिकारी	कम्पनी सचिव	मुख्य वित्तीय अधिकारी	योग
1.	सकल वेतन		अनुराग कुमार सक्सेना	संतोष काग	
	(अ) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(1) में निहित उपबंधों के अनुसार वेतन	निरंक	389683	462727	852410
	(ब) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(2) के अधीन परिलब्धियों का मूल्य	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
	(स) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(3) के अधीन वेतन के बदले लाभ	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
2.	स्टॉक विकल्प	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
3.	श्रम साध्य साम्या (स्वेट इक्विटी)	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
4.	कमीशन	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
	लाभ के % के रूप में	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
	अन्य, विनिर्दिष्ट करें	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
5.	अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
	योग	निरंक	389683	462727	852410



## VII. शास्ति/दंड/अपराध उपशमन : निरंक

प्रकार	कंपनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	लगाए गए शास्ति/दंड/अपराध उपशमन की विशिष्टियाँ	प्राधिकारी (प्रादेशिक निदेशक या एनसीएलटी न्यायालय)	की गई अपील, यदि कोई हो (ब्योरा देवे)
<b>(क) कंपनी</b>					
शास्ति	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
दंड	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
उपशमन	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
<b>(ख) निदेशक</b>					
शास्ति	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
दंड	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
उपशमन	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
<b>(स) अन्य चूककर्ता अधिकारी</b>					
शास्ति	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
दंड	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
उपशमन	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक

स्थान : इन्दौर  
दिनांक : 23/12/2017

इन्दौर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड  
के निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से

सही/-  
मनीष सिंह  
कार्यपालन निदेशक  
डीआईएन: 05277748

सही/-  
निशांत वरवडे  
अध्यक्ष  
डीआईएन: 05340409



**P.S. Tripathi & Associates**

Company Secretaries



**Swati Tripathi**

B.Com., F.C.S.

**Pratik Tripathi**

B.Sc., A.C.A., F.C.S.

306, Manas Bhavan Extn.

11, RNT Marg, Indore, (M.P.) India

Tel: +91 731 4043080, 4043089

Email: tripathi.pratik@gmail.com

Web: www.pstripathi.com

## प्रपत्र संख्या एमआर-3 सचिवीय लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

**31 मार्च 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए**

[ कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 204(1) और प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक नियम 2014 के नियम संख्या 9 के अनुसरण में ]

प्रति,

सदस्यगण,

**इन्दौर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड**

इन्दौर

हमने, **इन्दौर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड** (जिसे इसके बाद कंपनी कहा गया है) द्वारा लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन और अच्छे कॉरपोरेट व्यवहारों को अपनाने के संबंध में सचिवीय लेखापरीक्षा की है। सचिवीय लेखापरीक्षा इस प्रकार की गई है जिससे मुझे/हमें कॉरपोरेट संचालनों/सांविधिक अनुपालनों का मूल्यांकन करने और उस पर अपने विचार रखने का तर्कसंगत आधार प्राप्त हुआ।

**इन्दौर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड** की बहियों, कागजातों, कार्यवृत्त बहियों, प्रपत्रों और दायर विवरणियों तथा कंपनी द्वारा रखे गए अन्य अभिलेखों एवं सचिवीय लेखापरीक्षा के संचालन के दौरान कंपनी, इसके अधिकारियों, एजेंटों और प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना भी, हमारे सत्यापन के आधार पर, हम एतद् द्वारा यह रिपोर्ट करते हैं कि हमारे विचार से कंपनी ने 31 मार्च 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष की लेखापरीक्षा अवधि के दौरान इसके नीचे सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी कि कंपनी में, यहां की गई रिपोर्ट के तरीके और उसके अधीन उपयुक्त बोर्ड-प्रक्रियाएं और अनुपालन-तंत्र भी है:

1. हमने 31 मार्च 2017 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए **इन्दौर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड** द्वारा रखे गए बहियों, कागजातों, कार्यवृत्त बहियों, प्रपत्रों और दायर विवरणियों तथा अन्य अभिलेखों की निम्नलिखित कानूनों के प्रावधानों के अनुसार जाँच की है:
  - i) कम्पनी अधिनियम 2013 (**अधिनियम**) और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम;
  - ii) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम 1956 (**एससीआरए**), एवं उसके अंतर्गत बनाए गए नियम
  - iii) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 और उसके अधीन बनाए गए विनियम और उप विधियां (**अंकेक्षण अवधि के दौरान यह कम्पनी पर लागू नहीं**);
  - iv) विदेशी विनियम प्रबंधन अधिनियम 1999 और उसके अधीन बनाए गए नियम और विनियम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, सीमापार प्रत्यक्ष निवेश और विदेशी वाणिज्यिक उधारियों की सीमा तक (**कोई समव्यहार नहीं पाया गया**)
  - v) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (**सेबी अधिनियम**) के अधीन विहित निम्नलिखित





**विनियम और मार्गनिर्देश; (अंकेक्षण अवधि के दौरान कम्पनी पर लागू नहीं)**

- क) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अधिग्रहण और टेकओवर) विनियम, 2011;
- ख) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (आंतरिक व्यापार का निषेध) विनियम, 1992;
- ग) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (पूंजी जारी करना और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2009;
- घ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना और कर्मचारी स्टॉक खरीद योजना) मार्ग-निर्देश, 1999 (अंकेक्षण अवधि के दौरान कम्पनी पर लागू नहीं);
- ङ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियां जारी करना और सूचीकरण) विनियम, 2008; (अंकेक्षण अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं)
- च) कंपनी अधिनियम और ग्राहकों से व्यवहार के संबंध में भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (इश्यू के रजिस्ट्रार और शेयर हस्तांतरण एजेंट) विनियम, 1993;
- छ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (इक्विटी शेयरों का असूचीकरण) विनियम, 2009; (अंकेक्षण अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं); एवं
- ज) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (प्रतिभूतियों की पुनः खरीद) विनियम, 1998; (अंकेक्षण अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं);

vi) प्रबंधन द्वारा सूचित, कम्पनी पर विशेष रूप से लागू कानून: निरंक

**2. हमने निम्न लागू खंडों के अनुपालन की भी जाँच की है :**

i) भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने निम्नलिखित टिप्पणियों के अधीन ऊपर उल्लेखित अधिनियम, नियमों, विनियमों, मार्ग-निर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का निम्न के अलावा उचित अनुपालन किया है—

- अ) कम्पनी द्वारा कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 149(1) के अंतर्गत सुश्री प्रियंका दास के कार्यकाल समाप्ति के तीन माह के भीतर अथवा आगामी बोर्ड बैठक जो बाद में हो, में कम्पनी द्वारा बोर्ड में महिला निदेशक की नियुक्ति नहीं की गई।
- ब) कम्पनी द्वारा अधिनियम की धारा 149 के अंतर्गत दिनांक 31.03.2017 तक दो स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति नहीं की गई।
- स) कम्पनी द्वारा अधिकांश स्वतंत्र निदेशकों के साथ लेखा परीक्षा समिति, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का गठन नहीं किया गया। यह कम्पनी अधिनियम की धारा 149, 177 एवं 178 का गैर-अनुपालन है।
- द) कम्पनी द्वारा अनुच्छेदों के खण्ड 12.15 में वर्णित अन्य विभिन्न समितियों का गठन नहीं किया गया।
- इ) कम्पनी ने अपनी वेबसाइट पर विभिन्न जानकारियाँ एवं नीतियों को अपलोड नहीं किया है, जैसे कि आम बैठक की सूचना, निदेशकों के इस्तीफे की सूचना, स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति हेतु शर्तों का विवरण, निदेशक हेतु नियुक्ति की उम्मीदवारी, सीआईएन एवं पंजीकृत कार्यालय पहुँच मार्ग का नक्शा।



### 3. हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि

कंपनी का निदेशक मंडल कार्यकारी निदेशकों, गैर-कार्यकारी निदेशकों और स्वतंत्र निदेशकों के उचित संतुलन के साथ विहित रूप से गठित है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में हुए परिवर्तन अधिनियम के उपबंधों के अनुपालन में किए गए थे।

बोर्ड की बैठकों की समय-सूची के संबंध में सभी निदेशकों को पर्याप्त सूचना दी जाती है, कार्यसूची और कार्यसूची पर विस्तृत नोट कम से कम सात दिन पहले अथवा जहां जरूरी था, शार्ट नोटिस पर भेजी गई, और बैठक से पूर्व कार्यसूची मदों पर और सूचना तथा स्पष्टीकरण मांगने और प्राप्त करने एवं बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए तंत्र विद्यमान है।

बहुसंख्यक सदस्यों द्वारा लिए गए निर्णय पर कार्यवाही की जाती है, जबकि अलग मत रखने वाले सदस्यों के मतों को लिखा और कार्यवृत्त के भाग के रूप में अभिलेखित किया जाता है।

### 4. हम यह रिपोर्ट करते हैं कि लागू विधियों, नियमों, विनियमों और मार्ग-निर्देशों के अनुपालन की निगरानी करने और सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार और प्रचालनों के अनुरूप कंपनी में उपयुक्त तंत्र और प्रक्रियाएं हैं।

### 5. हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी द्वारा राइट इश्यू आधार पर समता अंश जारी एवं आवंटित किये गये।

पी.एस. त्रिपाठी एंड एसोसिएट्स हेतु

कम्पनी सचिव

सही/—

प्रतीक त्रिपाठी

भागीदार

सीपी क्र. 5358

स्थान : इन्दौर

दिनांक : 06 दिसंबर, 2017

टीप :- यह प्रतिवेदन, सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट की दिनांक पर जारी परिशिष्ट के साथ पढ़ा जावे, जो कि इस प्रतिवेदन के साथ संलग्न है और इस प्रतिवेदन का अखंड भाग है।



## सचिवीय लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का परिशिष्ट

प्रति,  
सदस्यगण,  
इन्दौर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड  
इन्दौर

हमारे द्वारा दिया गया प्रतिवेदन इस पत्र के साथ पढ़ा जावे।

1. सचिवीय रिकार्डों के रखरखाव की जिम्मेदारी कम्पनी के प्रबंधन की है। हमारी जिम्मेदारी, अंकेक्षण के आधार पर सचिवीय रिकार्ड्स पर राय व्यक्त करना है।
2. हमें सचिवीय रिकार्ड की विषयवस्तु की यथार्थता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त अंकेक्षण प्रथाओं और प्रक्रियाओं का पालन किया है। सत्यापन परीक्षण आधार पर किया गया है ताकि यह सुनिश्चित हो कि सचिवीय रिकार्ड में सही तथ्य प्रस्तुत किये गये हैं। हमारा विश्वास है कि अपनाई गई प्रक्रियाएँ एवं प्रथाएँ हमारी राय को एक उचित आधार प्रदान करती हैं। हमारा प्रतिवेदन उक्त सचिवीय रिकार्ड्स पर आधारित है।
3. हम कम्पनी के वित्तीय रिकॉर्ड्स एवं लेखा पुस्तिकाओं की सत्यता एवं उपयुक्तता की पुष्टि नहीं करते हैं।
4. कॉर्पोरेट एवं विशेष रूप से लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधान का पालन करना प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी परीक्षा, परीक्षण आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक सीमित थी। हमने उन कानूनों पर ध्यान नहीं दिया है जो सामान्य प्रकृति के हैं और कम्पनी पर लागू होते हैं।
5. सचिवीय अंकेक्षण प्रतिवेदन न तो कम्पनी की भविष्य में व्यवहार्यता को सुनिश्चित करता है, ना ही प्रभावकारिता अथवा प्रभावशीलता जिसके साथ प्रबंधन ने कम्पनी मामलों का संचालन किया है।
6. जहाँ आवश्यक हुआ, हमने प्रबंधन से कानूनों, नियमों, विनियमन के अनुपालन एवं घटनाओं संबंधी घोषणा एवं अभ्यावेदन प्राप्त किया है।

स्थान : इन्दौर  
दिनांक : 06 दिसंबर, 2017

पी.एस. त्रिपाठी एंड एसोसिएट्स हेतु  
कम्पनी सचिव  
सही/—  
प्रतीक त्रिपाठी  
भागीदार  
सीपी क्र. 5358



**संचालक मंडल के प्रतिवेदन का अनुलग्नक**

क्रमांक : ओ ए डी (वाणि) / D-384

**भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग**

कार्यालय महालेखाकार

(सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा)

मध्य प्रदेश, ग्वालियर – 474 002

INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (G & SSA)

MADHYA PRADESH, GWALIOR - 474 002

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

इन्दौर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड

स्मार्ट सिटी ऑफिस, नेहरू पार्क कैम्पस

इन्दौर, मध्यप्रदेश – 452003

दिनांक / DATE : 04.02.2019

**विषय: इन्दौर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड, इन्दौर के 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लेखाओं पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(ख) के अधीन भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।**

महोदय,

मैं इन्दौर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड, इन्दौर के 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लेखाओं पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(ख) के अधीन भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ सहित प्रमाण पत्र भेज रही हूँ। जिसे आप संचालकों के प्रतिवेदन के साथ अनुलग्नक के रूप में वार्षिक लेखों में प्रकाशित करें।

वार्षिक लेखे विधान सभा में प्रस्तुत करने के बाद उसकी 5 प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें तथा पत्र की पावती भिजवाएं।

संलग्न: उपरोक्तानुसार

भवदीय

सही/—

(मोना जैन)

उपमहालेखाकार (सामाजिक क्षेत्र III)

क्रमांक/

प्रतिलिपि:—

प्रधान निदेशक (मध्य क्षेत्र), भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्यालय 9, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली की ओर, इन्दौर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड, इन्दौर के 31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लेखाओं के संबंध में भारत नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ जैसी कि संबंधित कम्पनी को भेजी गई है, अग्रेषित है।

— हस्ता—

उपमहालेखाकार

(सामाजिक क्षेत्र III)

ऑडिट भवन, झांसी रोड, ग्वालियर – 474 002, दूरभाष : 0751-2323504, 2323505, 2436827, फैक्स : 0751-2631290

AUDIT BHAWAN, JHANSI ROAD, GWALIOR-474002 Tele : 0751-2323504, 2323505, 2436827, Fax : 0751-2631290

E-Mail: agaumadhyapradesh1@cacg.gov.in



## **इन्दौर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड हेतु 31 मार्च 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में दिये गये वित्तीय विवरणों पर कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(बी) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ**

इन्दौर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट के 31 मार्च 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष हेतु वित्तीय विवरणों को कम्पनी अधिनियम 2013 द्वारा निर्धारित प्रारूप में वित्तीय प्रतिवेदन के अनुसरण में तैयार करना कम्पनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा अधिनियम की धारा 139(5) के अंतर्गत नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत वित्तीय विवरणों पर अपने विचार प्रकट करने के लिए जिम्मेदार है जो कि अधिनियम की धारा 143(10) में निर्धारित लेखा परीक्षण के मानकों के अनुसरण में स्वतंत्र लेखा परीक्षणों पर आधारित है। यह कथन उनके द्वारा दिनांक 16 नवंबर 2017 की लेखा परीक्षण प्रतिवेदन के अनुसार है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार की ओर से, इन्दौर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट के 31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के वित्तीय विवरणों का पूरक लेखा परीक्षण अधिनियम की धारा 143(6) (ए) के अंतर्गत किया है। यह पूरक लेखा परीक्षण स्वतंत्र रूप से बिना सांविधिक लेखा परीक्षकों के कार्यशील दस्तावेजों के बिना किया गया है और यह मुख्य रूप से सांविधिक लेखा परीक्षक और कंपनी के व्यक्तिगणों की पूछताछ और कुछ लेखांकन रेकार्डों की एक चयनात्मक परीक्षा तक सीमित है। मेरे द्वारा किये गये पूरक लेखांकन परीक्षण के आधार पर मैं यह इंगित करना चाहूँगा कि वे सब महत्वपूर्ण मामले जो कि अधिनियम की धारा 143(6)(बी) के अधीन जो मेरे समक्ष ध्यानाकर्षित किये गये हैं एवं जो मेरे विचार से संबंधित लेखा परीक्षण प्रतिवेदन एवं वित्तीय विवरणों एवं संबंधित लेखा परीक्षण रिपोर्ट को बेहतर रूप से समझने के लिए आवश्यक है।

### **अ) वित्तीय स्थिति पर टिप्पणी**

#### **वित्तीय स्थिति विवरण**

#### **आरक्षण एवं अधिशेष (नोट-3)**

#### **कॉर्पस फंड**

**मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्राप्त अनुदान राशि रुपये 48.22 करोड़**

**केन्द्र शासन द्वारा प्राप्त अनुदान राशि रु. 134.22 करोड़**

1. भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा जारी मिशन संबंधी कथन एवं मार्गदर्शन के अनुसार स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट हेतु, मध्यप्रदेश शासन ने यह तय किया (अगस्त 2017) कि प्रत्येक स्मार्ट सिटी कम्पनी की प्रदत्त पूंजी रुपये 200 करोड़ की रहेगी, जिसमें शहरी स्थानीय निकाय एवं मध्यप्रदेश शहरी विकास कम्पनी (मध्यप्रदेश शासन की ओर से) के बराबर-बराबर के अंश रहेंगे। रुपये 103.56 करोड़ तक की राशि के सममूल्य अंशों को पहले ही आवंटित कर दिया गया है। हालांकि शेष रुपये 96.44 करोड़ को आरक्षित एवं अधिशेष के अन्तर्गत कॉर्पस फंड के रूप में दर्शाया गया है, बजाय अंश हेतु आवेदन राशि लंबित आवंटन के रूप में। इसके परिणामस्वरूप राशि रुपये 96.44 करोड़ के आरक्षित एवं अधिशेष राशि का अति कथन किया गया है एवं राशि रु. 96.44 करोड़ का ही अंश हेतु आवेदन राशि और लंबित आवंटन के संबंध में न्यूनोक्ति कथन किया गया है।



## ब) लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन

### लेखा परीक्षक प्रतिवेदन पर टिप्पणी

2. भारत सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शन एवं मिशन कथन तथा खाता संबंधी मानक-12 की आवश्यकता के अनुसार लेखा परीक्षक द्वारा निम्न टिप्पणियां प्रतिवेदित की गई हैं और जो उनकी वैचारिक पैरा 1 से 3 तक हैं, वे सही नहीं हैं।
  - अ) स्मार्ट सिटी मिशन प्रोजेक्ट हेतु जो राशि रुपये 182.44 करोड़ को अनुदान के रूप में पहचाना गया है एवं जिस ब्याज की आय को 13.19 करोड़ अर्जित मानकर "अंश धारक पूंजी-कॉर्पस फंड" के रूप में मान्य किया गया है वह गलत है, और उसे "चालू उत्तरदायित्व" के रूप में दर्शाया जाना चाहिए था।
  - ब) प्रशासन एवं अन्य व्यय हेतु जो अतिशेष खर्च नहीं की गई अनुदान की राशि 10 करोड़ रुपये पहचानी गई है और जिसे सामान्य फंड, अंशधारकों की पूंजी के रूप में माना गया है, वह गलत है। क्योंकि उसे चालू उत्तरदायित्व के रूप में पहचाना जाना चाहिए था।

## स) सामान्य

### कम्पनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया

3. कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(बी) के अनुसार यह कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा की गई कोई भी टिप्पणी, जो कि लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पर अथवा इसके साथ संलग्न है, को कम्पनी की वार्षिक साधारण बैठक (ए.जी.एम.) के समक्ष उसी समय प्रस्तुत किया जाना चाहिए जैसे कि लेखा परीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है।  
कम्पनी उपरोक्त प्रावधानों का पालन करने में विफल हुई है और कम्पनी अधिनियम 2013 के उपरोक्त प्रावधानों का उल्लंघन कम्पनी द्वारा नियंत्रक एवं महालेखाकार की टिप्पणियों को बिना प्रस्तुत किये 23 दिसंबर 2017 को आयोजित ए.जी.एम. में वित्तीय कथन प्रस्तुत किया है।

### कम्पनी लेखा नियम 2014 का पालन नहीं किया जाना

#### आंतरिक लेखा परीक्षण

4. कम्पनी लेखा नियम 2014 के नियम 13 के अनुसार प्रत्येक कम्पनी जो कि अनुसूची में नहीं है और जिसकी प्रदत्त अंशपूंजी पिछले वित्तीय वर्ष में रुपये 50 करोड़ अथवा अधिक रही हो, को आवश्यक रूप से आंतरिक लेखा परीक्षक अथवा एक आंतरिक लेखा परीक्षक की फर्म को नियुक्ति करना है। परन्तु कम्पनी एक आंतरिक लेखांकन परीक्षक की नियुक्ति करने में विफल रही और कम्पनी का आंतरिक लेखा परीक्षण कम्पनी के मुख्य वित्तीय अधिकारी द्वारा करवाया गया, जो कि सम व्यवहार से संबंधित अधिकारी है और जो प्रबंधकीय कार्यकलापों में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार परीक्षक  
की ओर से एवं हेतु  
सही/-  
(राजीव कुमार पांडे)  
अकाउंटेंट जनरल  
(जनरल एवं सोशल सेक्टर ऑडिट)  
मध्यप्रदेश, ग्वालियर

स्थान : ग्वालियर  
दिनांक : 04.02.2019



## परिशिष्ट – II

### भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार परीक्षक द्वारा वर्ष 2016-17 के वित्तीय खातों पर टिप्पणियों पर बोर्ड की व्याख्या

क्र.	विवरण	अवलोकन	व्याख्या
1.	अ) वित्तीय स्थिति पर टिप्पणी  वित्तीय स्थिति विवरण आरक्षण एवं अधिशेष (नोट-3) कॉर्पस फंड मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्राप्त अनुदान राशि : रुपये 48.22 करोड़ केन्द्र शासन द्वारा प्राप्त अनुदान राशि रु. 134.22 करोड़	भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा जारी मिशन संबंधी कथन एवं मार्गदर्शन के अनुसार स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट हेतु, मध्यप्रदेश शासन ने यह तय किया (अगस्त 2017) कि प्रत्येक स्मार्ट सिटी कम्पनी की प्रदत्त पूंजी रुपये 200 करोड़ की रहेगी, जिसमें शहरी स्थानीय निकाय एवं मध्यप्रदेश शहरी विकास कम्पनी (मध्यप्रदेश शासन की ओर से) के बराबर-बराबर के अंश रहेंगे। रुपये 103.56 करोड़ तक की राशि के सममूल्य अंशों को पहले ही आवंटित कर दिया गया है। हालांकि शेष रुपये 96.44 करोड़ को आरक्षित एवं अधिशेष के अन्तर्गत कॉर्पस फंड के रूप में दर्शाया गया है, बजाय अंश हेतु आवेदन राशि लंबित आवंटन के रूप में। इसके परिणामस्वरूप राशि रुपये 96.44 करोड़ के आरक्षित एवं अधिशेष राशि का अति कथन किया गया है एवं राशि रु. 96.44 करोड़ का ही अंश हेतु आवेदन राशि और लंबित आवंटन के संबंध में न्यूनोक्ति कथन किया गया है।	<p>हमने राज्य शासन से निदेशालय शहरी प्रशासन एवं विकास मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक अकाउंट्स/स्मार्ट सिटी/2017/1682 दि. 25.03.2017 के द्वारा राशि रु. 48.22 करोड़ अनुदान के रूप में प्राप्त की है और यह राशि अंश हेतु आवेदन राशि के रूप में प्राप्त नहीं हुई थी।</p> <p>कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अंश हेतु आवेदन पृथक बैंक खाते में प्राप्त किया जाना है, जो कि विशेषतः अंश आवेदन राशि के जमा के लिए निर्धारित है, और आवंटनी से अंश आवेदन राशि के रूप में होनी चाहिए। अतः इसके अभाव में प्राप्त राशि को अंश आवेदन राशि के रूप में नहीं माना जा सकता।</p> <p>शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी मिशन कथन एवं मार्गदर्शन के पैरा 10.4 के अनुसार एस.पी.वी. की प्रदत्त पूंजी राशि रुपये 200 करोड़ होनी चाहिए। कम्पनी की प्रदत्त पूंजी 31.03.2017 को राशि रु. 103.56 करोड़ है एवं शेष पूंजी रुपये 96.44 करोड़ का आवंटन 31.03.2018 को किया गया है।</p> <p>अनुदान के रूप में प्राप्त राशि एवं वह राशि जो अंश आवेदन राशि के रूप में नहीं है, को अंश आवेदन हेतु लंबित राशि आवंटन के लिए प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। अतः हमने नोट क्रमांक 3 बिंदु 4 के माध्यम से वित्तीय विवरण में इसको उन्मुक्त किया है।</p>





क्र.	विवरण	अवलोकन	व्याख्या
2.	<p>ब) लेखांकन परीक्षक का प्रतिवेदन</p> <p>लेखांकन परीक्षक के प्रतिवेदन पर टिप्पणी</p>	<p>2. भारत सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शन एवं मिशन कथन तथा लेखांकन मानक-12 की आवश्यकता के अनुसार लेखा परीक्षक द्वारा निम्न टिप्पणियां प्रतिवेदित की गई हैं और जो उनकी वैचारिक पैरा 1 से 3 तक हैं, वे सही नहीं हैं।</p> <p>अ) स्मार्ट सिटी मिशन प्रोजेक्ट हेतु जो राशि रुपये 182.44 करोड़ को अनुदान के रूप में पहचाना गया है एवं जिस ब्याज की आय को 13.19 करोड़ अर्जित मानकर “अंश धारक पूंजी-कॉर्पस फंड” के रूप में मान्य किया गया है वह गलत है, और उसे “चालू उत्तरदायित्व” के रूप में दर्शाया जाना चाहिए था।</p> <p>ब) प्रशासन एवं अन्य व्यय हेतु जो अतिशेष खर्च नहीं की गई अनुदान की राशि 10 करोड़ रुपये पहचानी गई है और जिसे सामान्य फंड, अंशधारकों की पूंजी के रूप में माना गया है, वह गलत है। क्योंकि उसे चालू उत्तरदायित्व के रूप में पहचाना जाना चाहिए था।</p>	<p>लेखा परीक्षकों द्वारा अवलोकन के जवाब में सांविधिक लेखा परीक्षकों की प्रस्तुति निम्नानुसार है –</p> <p>अ) स्मार्ट सिटी मिशन कथन एवं मार्गदर्शन के परिशिष्ट 6 की ओर ध्यानाकर्षण करवाया जाता है जो विशेष तौर पर दर्शाता है कि स्वीकृत अनुदान राशि में से जो राशि खर्च नहीं हुई, अथवा बची हुई है, तो उस राशि को या तो शासन को सौंप दी जाए अथवा अगले वर्ष के दौरान देय अनुदान की राशि में उसका समायोजन कर दिया जावे। अतएवं ऐसी राशि की प्रकृति दायित्व के रूप में है। इसे अंशधारकों के फंड के रूप में नहीं पहचाना जा सकता।</p> <p>2. आगे कि, पैरा 5.2 लेखा खाता मानक (एएस-12) “शासन द्वारा अनुदान हेतु लेखा खाता” निम्न रूप से कथन करता है।</p> <p>बहुत सारे शासकीय अनुदान प्रवृत्तक योगदान की प्रकृति के होते हैं, यानि कि किसी उपक्रम में कुल निवेश के संदर्भ में दिये जाते हैं अथवा उसकी कुल पूंजी परिव्यय के योगदान के रूप में दिये जाते हैं और ऐसे अनुदान के मामलों में साधारण तौर पर किसी प्रकार के पुर्नभुगतान की अपेक्षा नहीं होती। अतएवं इन्हें प्रत्यक्ष रूप से अंश धारकों की पूंजी के रूप में जमा माना जायेगा।</p> <p>लेखांकन मानक एएस-12 के पैरा 10.1 “शासकीय अनुदान हेतु लेखांकन” यह प्रावधान करता है कि “जहां पर शासकीय अनुदान प्रवर्तक, योगदान की प्रकृति का है यानि कि किसी उपक्रम में कुल निवेश से संदर्भित होकर दिया गया हो अथवा कुल पूंजी की लागत के पेटे योगदान दिया गया हो (उदाहरणार्थ केन्द्रीय निवेश सब्सिडी योजना) एवं साधारण तौर पर इससे संबंधित कोई पुर्नभुगतान की अपेक्षा नहीं होती है, तो ऐसे अनुदानों को संरक्षित पूंजी के रूप में माना जाता है जिसे लाभांश के रूप में वितरित नहीं किया जाता है और ना ही इसे स्थगित आय माना जा सकता है।</p> <p>वित्तीय कथन एवं उपलब्ध अन्य जानकारियों के आधार पर यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि “साधारण तौर पर अनुदान से संबंधित कोई पुर्नभुगतान अपेक्षित नहीं होता है”।</p> <p>अतः हमारी राय में “स्मार्ट सिटी मिशन प्रोजेक्ट के लिए अनुदान राशि रुपये 182,44,00,000 एवं ब्याज से आय की राशि रुपये 13,19,12,551 की गलत तौर</p>





क्र.	विवरण	अवलोकन	व्याख्या
			पर पहचान अंश धारकों के फंड—कारपस फंड के रूप में की गई, जबकि उसकी पहचान “वर्तमान दायित्व” के रूप में की जाना चाहिए थी और इसके परिणामस्वरूप उस राशि से अंशधारकों की पूंजी को अतिकथन माना गया और “चालू दायित्व” को न्यूनोक्त कथन के रूप में लिया गया।
3.	स) सामान्य कम्पनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया	<p>3. कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(बी) के अनुसार यह कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा की गई कोई भी टिप्पणी, जो कि लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पर अथवा इसके साथ संलग्न है, को कम्पनी की वार्षिक साधारण बैठक (ए.जी.एम.) के समक्ष उसी समय प्रस्तुत किया जाना चाहिए जैसे कि लेखा परीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है।</p> <p>कम्पनी उपरोक्त प्रावधानों का पालन करने में विफल हुई है और कम्पनी अधिनियम 2013 के उपरोक्त प्रावधानों का उल्लंघन कम्पनी द्वारा नियंत्रक एवं महालेखाकार की टिप्पणियों को बिना प्रस्तुत किये 23 दिसंबर 2017 को आयोजित ए.जी.एम. में वित्तीय कथन प्रस्तुत किया है।</p>	<p>कम्पनी अधिनियम 2013 में वार्षिक साधारण बैठक से संबंधी प्रावधान है जो कि धारा 96 के अंतर्गत दृष्टांत होते हुए विवरणित करता है कि:—</p> <p>एकल व्यक्ति कम्पनी के अलावा प्रत्येक कम्पनी को प्रत्येक वर्ष अन्य बैठकों के अतिरिक्त एक साधारण बैठक वार्षिक साधारण बैठक के रूप में आयोजित की जानी चाहिए। जिसके अंतर्गत उसे सूचना के साथ आयोजित किया जावे और कंपनी की एक वार्षिक साधारण बैठक और अगली बैठक के बीच 15 माह से अधिक का समय व्यतीत किये बिना होना चाहिए।</p> <p>यह प्रावधान है कि प्रथम वार्षिक साधारण बैठक के मामले में यह बैठक कम्पनी के प्रथम वित्तीय वर्ष की समाप्ति की दिनांक से 9 माह की अवधि के भीतर आयोजित होना चाहिए और किसी अन्य मामले में वित्तीय वर्ष के समाप्ति के दिनांक से 6 माह की भीतर होनी चाहिए।</p> <p>यह प्रावधान है कि यदि कम्पनी उपरोक्तानुसार अपनी प्रथम वार्षिक साधारण बैठक आयोजित करती है, तो कम्पनी के लिए यह अनिवार्य नहीं होगा कि वह अपने निगमन वर्ष में कोई वार्षिक साधारण बैठक आयोजित करें।</p> <p>यह भी प्रावधान है कि पंजीयक किसी विशेष कारण से प्रथम वार्षिक साधारण बैठक के अतिरिक्त अन्य कोई भी साधारण बैठक की समयावधि तीन माह तक के लिए बढ़ा सकता है।</p> <p>हमारे प्रकरण में कम्पनी का प्रथम वित्तीय वर्ष 31.03.2017 को पूर्ण हुआ है, एवं कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 96(1) के प्रावधान एवं उसके अंतर्गत बनाये गये नियम 2014 के अनुसार कम्पनी की प्रथम वार्षिक साधारण बैठक कंपनी के प्रथम वित्त वर्ष की समाप्ति अर्थात् 30.12.2017 को अथवा उसके पहले की दिनांक के 9 महीने के भीतर आयोजित किया जाना था।</p>



क्र.	विवरण	अवलोकन	व्याख्या
			<p>कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 96(1) के अधीन आवश्यकताओं के अनुपालन को ध्यान में रखते हुए एवं प्रावधान के उल्लंघन से बचने के लिए जिसका संबंध कम्पनी की प्रथम वार्षिक साधारण बैठक को बुलाए जाने से है, कम्पनी ने अपनी प्रथम वार्षिक साधारण बैठक अल्प अवधि की सूचना पर, 23 दिसंबर 2017 को सायंकाल 4 बजे शनिवार के दिन कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की। इस कम अवधि में दी गई अंशधारकों को सूचना के संबंध में उन अंशधारकों से सहमति भी प्राप्त की गई। पश्चात इसके हमारे द्वारा विधिवत रूप से लेखा परीक्षण किये हुए वित्तीय विवरणों को प्रत्येक पात्रता रखने वाले व्यक्ति को भेजे गये। जैसा कि धारा 136 की उपधारा (1) के अन्तर्गत आवश्यक है।</p> <p>धारा 143 (6)(बी) के अधीन आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए हम ऐसा अगले वार्षिक साधारण सभा में करेंगे।</p>
4.	कम्पनी लेखा नियम 2014 का पालन नहीं किया जाना  आंतरिक लेखा परीक्षण	कम्पनी लेखा नियम 2014 के नियम 13 के अनुसार प्रत्येक कम्पनी जो कि अनुसूची में नहीं है और जिसकी प्रदत्त अंशपूंजी पिछले वित्तीय वर्ष में रुपये 50 करोड़ अथवा अधिक रही हो, को आवश्यक रूप से आंतरिक लेखापरीक्षक अथवा एक आंतरिक लेखा परीक्षक की फर्म को नियुक्ति करना है। परन्तु कम्पनी एक आंतरिक लेखांकन परीक्षक की नियुक्ति करने में विफल रही और कम्पनी का आंतरिक लेखा परीक्षण कम्पनी के मुख्य वित्तीय अधिकारी द्वारा करवाया गया, जो कि सम व्यवहार से संबंधित अधिकारी है और जो प्रबंधकीय कार्यकलापों में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं।	हमारे द्वारा पहले ही मेसर्स मेहता एंड कम्पनी को कम्पनी के आंतरिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया जा चुका है।

निदेशक मंडल की ओर से एवं हेतु

स्थान : इन्दौर  
दिनांक : 26.09.2019

सही/—  
आशीष सिंह, आईएस  
(कार्यकारी निदेशक)  
डीआईएन : 07636828  
इन्दौर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड



## स्वतंत्र लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन

सदस्यगण,  
स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड  
इन्दौर

### वित्तीय विवरणों पर प्रतिवेदन

हमने इन्दौर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड ("कम्पनी") के संलग्न वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षण किया जिसके अन्तर्गत मार्च 31, 2017 का स्थिति विवरण, समाप्त होने वाले वर्ष का लाभ एवं हानि विवरण और समाप्त हुए वर्ष का नगद प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों एवं अन्य व्याख्यात्मक जानकारियों का सारांश समाहित है।

### वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारियाँ

कम्पनी के निदेशक मंडल की जिम्मेदारी कम्पनी अधिनियम 2013 ("अधिनियम") की धारा 134(5) में बताये गये मामलों हेतु है, जिनका संबंध इन वित्तीय विवरणों की तैयारी एवं प्रस्तुति से है जो कि वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन एवं कम्पनी के नगद प्रवाह की सही एवं साफ जानकारियाँ देते हैं और जो सामान्य तौर पर भारत में स्वीकार किये गये लेखा सिद्धांतों के अनुसरण में हैं, और जिसमें अधिनियम की धारा 133 सहपठित कम्पनी (लेखा) नियम 2014 के नियम 7 में निर्देशित लेखा संबंधी मानक सम्मिलित हैं। इस जिम्मेदारी के अंतर्गत अधिनियम के प्रावधानों के अनुसरणों में पर्याप्त लेखा रिकार्ड का व्यवस्थापन एवं रखरखाव सम्मिलित है जिससे कम्पनी की सम्पत्तियों की सुरक्षा एवं अन्य अनियमितता व छलकपट से बचाव, उचित लेखा नीतियों का चयन एवं लागूकरण, फैसलों का आकलन जो कि विवेकपूर्ण एवं तथ्यपरक हो, पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हेतु डिजाइन, लागूकरण एवं रखरखाव करना जो कि लेखांकन रिकार्डों को पूर्ण एवं सटीक तौर पर प्रभावी रूप से संचालित करते हुए सुनिश्चित करते हैं, वित्तीय कथनों की उचित प्रस्तुति एवं तत्संगत प्रारूपीकरण जिससे कि वस्तुगत रूप से वे छल कपट से अथवा त्रुटि की वजह से गलत बयानी से रहित हो, जो सत्य एवं साफ दृष्टिकोण दर्शाते हैं, सम्मिलित हैं।

### लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियाँ

हमारी जिम्मेदारी इन वित्तीय विवरणों पर हमारे द्वारा किये गये लेखा परीक्षणों के आधार पर अपने विचार व्यक्त करना है।

हमने अधिनियम के प्रावधानों को अपनी विचार में रखा है और साथ ही लेखा एवं लेखा परीक्षण मानकों एवं उन मामलों को भी आवश्यक रूप से विचार में रखा है जो कि अधिनियम के प्रावधानों तथा इस संबंध में बने हुए नियमों के अंतर्गत इस लेखा परीक्षण प्रतिवेदन में सम्मिलित होने चाहिए।

हमारे द्वारा अधिनियम की धारा 143(10) के अन्तर्गत निर्देशित लेखा परीक्षण के मानकों के अनुसरण में यह लेखा परीक्षण किया गया है। यह मानक अपेक्षा करता है कि हमने नैतिक रूप से आवश्यकताओं एवं योजना की पूर्ति की है और हमारे द्वारा किया गया लेखा परीक्षण वाजिब तौर पर आश्वस्त करता है कि क्या यह वित्तीय विवरण वस्तुगत गलत बयानी से स्वतंत्र है अथवा नहीं।

किसी भी लेखा परीक्षण के अंतर्गत उन प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है जिससे कि राशियों एवं वित्तीय विवरणों में दर्शायी जानकारियों के बारे में लेखा परीक्षण संबंधी साक्ष्य प्राप्त हो सके। जो प्रक्रिया चयनित की जाती है वह लेखा परीक्षण के निर्णय पर निर्भर करती है और जिसमें वित्तीय विवरणों की वस्तुगत गलतबयानी का जौखम का आकलन सम्मिलित है, चाहे ऐसा किसी छल



अथवा त्रुटि के कारण हुआ हो। इन जोखिमों का आंकलन करने में लेखा परीक्षक कम्पनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर विचार करते हैं तथा कम्पनी द्वारा उन वित्तीय विवरणों की तैयारी एवं स्वच्छ प्रस्तुति को विचार में रखते हैं जो कि लेखा परीक्षण की प्रक्रियाओं को सत्य एवं स्वच्छ दर्शाते हैं और जो परिस्थितियों के अनुसार उचित होती है। कोई लेखा परीक्षण लेखांकन नीतियों का उचित मूल्यांकन को भी सम्मिलित करता है जिनका उपयोग लेखांकन आंकलनों में वाजिबी तौर पर किया जाता है जिन्हें कम्पनी के निदेशक गण द्वारा बनाया गया हो और साथ ही साथ वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन भी किया जाता है।

हमारा विश्वास है कि जो लेखा परीक्षण संबंधी साक्ष्य हमने प्राप्त किये हैं वे वित्तीय विवरणों पर हमारी राय देने के लिए उचित व पर्याप्त आधार है।

### योग्य विचार का आधार

1. ए) वर्ष के दौरान कम्पनी ने रुपये 16,84,62,889 के व्यय का वहन किया है और इन व्ययों का वर्गीकरण स्थिति विवरण में "स्थिर आस्तियाँ" अनुसूची-7 के अंतर्गत पूंजीगत कार्य प्रगति पर के रूप में किया गया है और विशेष रूप से निम्नानुसार है:-

सी-3. स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत चल रहे प्रोजेक्ट का कार्य प्रगति पर है।	रु.
<b>स्मार्ट सिटी मिशन</b>	
1. बड़ा गणपति से राजमोहल्ला चौराहे तक की सी.सी. रोड	67,82,650
2. महूनाका से टोरी कार्नर की सी.सी. रोड	8,68,22,916
3. व्यास ब्रिज से जिन्सी डीपो, व्हाया बड़ा गणपति का निर्माण	6,29,52,404
4. इलेक्ट्रिक केबल का कार्य	5,05,751
5. धरोहर का संरक्षण कार्य	7,62,450
6. जिन्सी हाट बाजार का पुनर्विकास	49,93,668
7. सुभाष मार्ग से लालबाग पुल तक कान्हा नदी का विकास कार्य	56,43,050
<b>कुल</b>	<b>16,84,62,889</b>

- ब) वित्तीय विवरणों की अनुसूची-7 के नोट (बी) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जो निम्नानुसार है:-

‘यह कि उन परियोजनाओं को पहचानने के दौरान जो कि स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत चल रही है और जो पूंजी डब्ल्यू.आई.पी. के रूप में है, हमारे द्वारा भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट द्वारा जारी एस-10 पर भरोसा किया गया है, जिसके अनुसार ‘सम्पत्ति, प्लांट एवं उपकरण की सामग्रियों’ की लागत को सम्पत्ति के रूप में पहचाना जाना चाहिए यदि, एवं केवल यदि: (अ) यह संभाव्य है कि उपक्रम में भविष्य में वित्तीय लाभ का प्रवाह इन सामग्रियों के सहयोजन से होगा, एवं सामग्रियों की लागत विश्वसनीय तौर पर नापी जा सकती है। यह कि एम.पी.यू.डी.सी.एल. द्वारा जारी मार्गदर्शन तथा मिशन



संबंधी कथन के अनुसार उपक्रम में भविष्यगत आर्थिक लाभ का प्रवाह मौद्रिक रूप में अथवा अमौद्रिक रूप में न होकर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सेवाओं के प्रावधान के रूप में संस्थागत उद्देश्य के अनुसार हो सकता है। यह कि लागत के संबंध में, सभी लागत आस्तियों की कीमत के पेटे प्रत्यक्ष रूप से है और इन्हें पूंजी डब्ल्यूआईपी की लागत में जोड़ा गया है जो कि पृथक रूप से चिन्हित किये जाने योग्य है।

स) उपरोक्त व्यय कम्पनियों की आस्तियाँ नहीं है क्यों कि निम्न का अभाव है :-

- i. सारिणी में दी गई सम्पत्तियों का स्वामित्व,
- ii. इन सम्पत्तियों पर आवश्यक नियंत्रण जिससे कि इनका उपयोग वित्तीय लाभ प्राप्त करने के लिए हो सके,
- iii. ऐसी सम्पत्तियों का उपयोग करने वालों से कोई राशि कर अथवा शुल्क लेने का प्राधिकार,
- iv. यह निश्चितता कि कोई भी राशि, कर अथवा शुल्क लेने हेतु आवश्यक प्राधिकार कम्पनी को शासकीय निकायों द्वारा सौंपा जावे,
- v. वहन करने वाले व्यय के साथ प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अपेक्षित वित्तीय लाभों का सहयोजन (पैरा-7(अ), एएस-10)
- vi. कम्पनी की ओर वित्तीय लाभों का अपेक्षित प्रवाह।

द) अतएवं हमारी दृष्टि में जो व्यय रुपये 16,24,62,889 का वहन वर्ष के दौरान किया गया है उसे कम्पनी के पूंजीगत कार्य प्रगति पर के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाना चाहिए।

2.. कम्पनी ने नियत दिनांक तक केन्द्र एवं राज्य शासन से स्मार्ट सिटी मिशन परियोजना को चलाने हेतु रुपये 182,44,00,000 का अनुदान प्राप्त किया है। जिसे “अंशधारकों का फंड” नोट-3 “संरक्षित एवं अतिरिक्त”, “कारपस फंड” के रूप में दर्शाया गया है। ऐसे अनुदान पर ब्याज की आय रुपये 13,19,12,551 भी कारपस फंड के हिस्से के रूप में है। जो राशि खर्च नहीं हुई है और यदि बची हुई है तो वह या तो आवश्यक रूप से शासन को वापस सौंप देनी चाहिए अथवा इसे अगले वर्ष के दौरान सहायता में अनुदान के देय रूप में समायोजित किया जाना चाहिए।

ऐसे अनुदान को “अंशधारकों के फंड” के बजाय “चालू दायित्व” के रूप में पहचाना जाना चाहिए।

3. बैंक में अधिशेष, स्थाई जमा अधिशेष, उपार्जित ब्याज का अधिशेष, जो कि स्थाई जमा पावतियों पर एकत्रित हुआ है और जिन्हें रुपये 182,44,00,000 के अनुदान एवं ब्याज से आय रुपये 13,19,12,551 के रूप में दर्शाया गया है तथा बची हुई उपयोग में नहीं ली गई राशियों को कम्पनी के स्वामित्व के अधीन आस्तियों की बजाय “ट्रस्ट में धारित आस्तियों” के रूप में दर्शाया जाना चाहिए।

4. कम्पनी ने रुपये 10,00,00,000 की राशि शासन से नियत दिनांक को प्राप्त की है और यह राशि प्रशासन एवं कार्यालयीन व्ययों हेतु है जिसे कि “शेयरधारकों का फंड” नोट-3 “संरक्षित एवं अतिरिक्त”, “सामान्य फंड-ए एंड ओ ई के व्यय हेतु प्राप्त अनुदान” के अधीन दर्शाया गया है। वह राशि जो खर्च नहीं हुई है, और यदि बची हुई है तो उसे या तो शासन को पुनः आवश्यक रूप से सौंप दिया जाना चाहिए अथवा इसे अगले वर्ष के दौरान सहायता में अनुदान के देय रूप में समायोजित किया जाना चाहिए।

ऐसे अनुदान को “अंशधारकों के फंड” के बजाय “चालू दायित्व” के रूप में पहचाना जाना चाहिए।



## विचार

हमारी राय में हमें प्राप्त श्रेष्ठ जानकारी के अनुसार तथा हमारे समक्ष की गई व्याख्या के अनुसार, वित्तीय विवरण अधिनियम में आवश्यक जानकारियों को प्रस्तुत करते हैं और जो कि निम्न के विषयगत है।

- 1) रुपये 16,84,62,889 की राशि का व्यय गलत रूप से पूंजी कार्य प्रगति पर के रूप में चिन्हित हुआ है (नोट 5) जबकि इस राशि को स्मार्ट सिटी मिशन प्रोजेक्ट हेतु व्यय के रूप में चिन्हित किया जाना था, और उसके पश्चात संबंधित दायित्वों को घटाया जाना था (अनुदान रसीद) जिसके परिणामस्वरूप 'पूंजी कार्य प्रगति पर' में अतिशयोक्तिपूर्ण कथन हुआ है और इतनी ही राशि को न्यूनशयोक्ति रूप से 'स्मार्ट सिटी मिशन प्रोजेक्ट' हेतु व्यय करने का कथन किया गया है।
- 2) रुपये 182,44,00,000, जो कि स्मार्ट सिटी मिशन प्रोजेक्ट के पेटे प्राप्त अनुदान राशि को गलत रूप से चिन्हित की गई है तथा रुपये 13,19,12,551 जो कि ब्याज की आय के रूप में अंशधारकों की पूंजी – कारपस फंड के रूप में अर्जित मानी गई है, जबकि इसे "वर्तमान चालू दायित्व" माना जाना चाहिए था, जो कि परिणामस्वरूप अंशधारकों के फंड का अतिशयोक्तिपूर्ण कथन हुआ है और इतनी ही राशि के चालू दायित्व का न्यूनशयोक्ति रूप से कथन हुआ है।
- 3) रुपये 10,00,00,000 की राशि को प्रशासन एवं अन्य कार्यालयीन व्यय हेतु प्राप्त अनुदान का गलत रूप से चिन्हित की गई है, जो कि 'अंशधारकों का फंड, साधारण फंड' के बजाय 'चालू दायित्व' के मद में होना चाहिए। परिणामस्वरूप अंशधारकों के फंड का अतिशयोक्तिपूर्ण कथन हुआ है और इतनी ही राशि के चालू दायित्व का न्यूनशयोक्ति रूप से कथन हुआ है।

उपरोक्त सही एवं स्वच्छ दृश्य उपस्थित करता है जो भारत में साधारण तौर पर स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों पर आधारित है, जो 31 मार्च 2017 को कम्पनी के मामलों में दर्शित होती है और उस दिनांक को समाप्त होने वाले वर्ष के लाभ एवं नगद प्रवाह को प्रदर्शित करता है।

## अन्य नियमन संबंधी आवश्यकताएं एवं अन्य वैधानिक जानकारियों पर प्रतिवेदन

1. जैसा कि कम्पनी (लेखांकन परीक्षक का प्रतिवेदन) आदेश 2016 ("आदेश") केन्द्र शासन द्वारा अधिनियम की धारा 143 उपधारा (11) की शर्तों के अनुसार है, हमारे द्वारा परिशिष्ट-ए में दिया गया है और यह कथन आदेश के पैरा 4 एवं 5 में निर्देशित मामलों पर प्रस्तुत किया गया है।
2. अधिनियम की धारा 143(3) की आवश्यकता के अनुसार हम प्रतिवेदित करते हैं कि
  - अ) हमारे द्वारा वे सभी व्याख्या एवं जानकारियाँ प्राप्त की गई हैं जो कि हमारे ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार लेखा परीक्षण के प्रयोजन हेतु आवश्यक थी।
  - ब) हमारी राय में कम्पनी द्वारा कानून की आवश्यकता के अनुसार उचित लेखा संबंधी पुस्तिकाएं रखी गई हैं, वे दर्शित रूप से हमारे द्वारा परीक्षण की गई पुस्तकें हैं।
  - स) स्थिति विवरण, लाभ एवं हानि के विवरण एवं नगद प्रवाह के विवरण जिनके बारे में इस प्रतिवेदन में दिया गया है, वे सभी लेखा पुस्तिकाओं के साथ अनुबंधित हैं।
  - द) हमारी राय में उपरोक्त वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के अधीन लेखांकन मानकों, सहपठित कम्पनी (लेख) नियम के नियम 7 के अनुसार है। सिवाय इसके कि –



1. एस-10 'सम्पत्ति, प्लांट एवं उपकरण' के पैरा 6 एवं 7 का पालन नहीं किया जाना, राशि रुपये 16,24,62,889 के व्यय को गलत तरीके से पूंजीगत कार्य प्रगति पर (नोट-5) के रूप में पहचाना गया है जबकि उसे ट्रस्ट में धारित आस्ति के रूप में पहचाना जाना चाहिए था।
- ई) मार्च 31, 2017 को निदेशकों द्वारा प्राप्त लिखित प्रतिनिधित्व के आधार पर एवं निदेशकगणों के बोर्ड द्वारा रिकार्ड पर लिये जाने पर कोई भी निदेशक को मार्च 31, 2017 की स्थिति तक धारा 164(2) की शर्तों के अनुसार निदेशक पद पर नियुक्त करने हेतु अयोग्य नहीं करार दिया गया है।
- फ) कम्पनी के वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्ता के संबंध में प्रतिवेदन की आवश्यकता एवं ऐसे नियंत्रण के संचालन की प्रभावशीलता 13 जून 2017 के क्रमांक जी.एस.आर. 583(ई) की अधिसूचना को दृष्टिगत रखते हुए कम्पनी पर लागू नहीं होते हैं।
- ज) अन्य मामलों के संबंध में जो कि कम्पनी (लेखा परीक्षण एवं लेखा परीक्षक) नियम 2014 के नियम 11 के तारतम्य में लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन में सम्मिलित है, वे हमारे राय में और हमारी जानकारी के अनुसार एवं दी गई व्याख्या के अनुसार हैं।
  - I) जैसा कि हमें जानकारी दी गई है, कम्पनी का कोई भी वैधानिक प्रकरण लंबित नहीं है जिससे कि कम्पनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करें।
  - II) कम्पनी ने कोई भी दीर्घ अवधि अनुबंध जिनमें व्युत्पन्न संविदाएं सम्मिलित हैं, नहीं किया है जिनमें दूरदर्शिता के अनुसार वस्तुगत रूप से घाटे हो सकते थे।
  - III) ऐसी कोई भी राशियाँ नहीं थी जिन्हें कम्पनी द्वारा निवेशक, शिक्षा एवं सुरक्षा संबंधी फंड के लिए हस्तांतरित करने की आवश्यकता थी।
  - IV) कम्पनी ने अपने वित्तीय विवरण में नवंबर 8, 2016 से दिसंबर 30, 2016 के दौरान निर्दिष्ट बैंक नोट्स के व्यवहार के संबंध में आवश्यकतानुसार खुलासा किया है।

स्थान : इन्दौर  
दिनांक 16.11.2017

गुप्ता एवं अशोक चार्टर्ड अकाउंटेंट हेतु  
एफआरएन : 02254सी

सही/-  
सी.ए. अशोक अग्रवाल  
(भागीदार)  
एम. 071274





### परिशिष्ट-ए – आज तक के लिए स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

31 मार्च 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए कम्पनी के सदस्यों का वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र अंकेक्षण प्रतिवेदन में परिशिष्ट-ए के संदर्भ में, हम प्रतिवेदित करते हैं कि :-

- i) अ) कम्पनी द्वारा उचित रूप से रिकार्ड व्यवस्थित रखे गये हैं जो सम्पूर्ण विवरण और सम्मिलित मात्रात्मक विवरण तथा स्थिर आस्तियों की स्थिति को दर्शाया गया है  
ब) यह सभी स्थिर आस्तियों का प्रबंधन द्वारा भौतिक सत्यापन वर्ष के दौरान उचित अंतराल से किया गया।  
स) ऐसे सत्यापन में किसी भी प्रकार की कोई वस्तुगत विसंगति नहीं पायी गई है।
- ii) (अ) क्योंकि वर्ष के दौरान किसी भी समय कम्पनी की कोई व्यापार संबंधी वस्तु सूची नहीं है, इसलिए वस्तु सूची का भौतिक सत्यापन कम्पनी पर लागू नहीं होता है। अतः आदेश के पैरा 3 की कंडिका (ii) की उपकंडिका (बी) लागू नहीं होता।
- iii) (अ) कम्पनी द्वारा कोई ऋण सुरक्षित अथवा असुरक्षित किन्हीं कम्पनियों, फर्म, सीमित उत्तरदायित्व वाली भागीदार अथवा अन्य पक्ष जो कि कम्पनी अधिनियम की धारा 189 के अंतर्गत पंजी में दर्ज होते हैं, को नहीं दिया है। अतएवं आदेश के पैरा 3 की कंडिका (iii) उपकंडिका (ए), (बी) एवं (सी) लागू नहीं होते।
- iv) हमारी राय में हमको दी गई व्याख्या के अनुसार कम्पनी ने ऋण एवं किये गये निवेशों के संबंध में अधिनियम की धारा 185 और 186 के प्रावधानों का पालन किया है।
- v) हमें दी गई व्याख्या एवं जानकारी के अनुसार हमारे द्वारा लेखा परीक्षण के दौरान किये गये परीक्षण के आधार पर कंपनी ने किसी भी तरह का जमा स्वीकार नहीं किया है।
- vi) केन्द्र शासन ने कम्पनी अधिनियम की धारा 148 उपधारा (1) के अधीन लागत रिकार्ड के रखरखाव को निर्दिष्ट नहीं किया है।
- vii) अ) हमें दी गई व्याख्या एवं जानकारी के अनुसार कम्पनी अविवादित वैधानिक बकाया जमा करने में नियमित है जिसमें भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, वाणिज्यिक कर, सेवा कर, कस्टम ड्यूटी, एक्साईज ड्यूटी, वेल्थ टैक्स, उपकर एवं अन्य वैधानिक बकाया जो कि उचित प्राधिकारियों के यहाँ जमा होते हैं, सम्मिलित है। वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन तक कोई भी ऐसे बकाया बाकी नहीं है, जो कि देय होने से 6 माह से अधिक की अवधि तक बकाया हो।  
ब) हमें दी गई व्याख्या एवं जानकारी के अनुसार आयकर, धन कर, सेवा कर, कस्टम ड्यूटी, एक्साईज ड्यूटी एवं उपकर जैसे कोई भी कर बकाया स्थिति में नहीं है जो किसी विवादित स्थिति में होकर जमा न किये गये हो।
- viii) हमारी राय में जो व्याख्या एवं जानकारी दी गई है उसके अनुसार कम्पनी ने किसी वित्तीय संस्थान, बैंक, शासन अथवा अन्य व्यक्ति से कोई ऋण प्राप्त नहीं किया है। अतएवं आदेश का पैरा 3 (viii) लागू नहीं है।





- ix) कम्पनी ने कोई भी आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव, पश्चातवर्ती सार्वजनिक प्रस्ताव एवं सावधिक ऋण के माध्यम से कोई राशि नहीं उठाई है। अतएवं आदेश का पैरा 3 (ix) लागू नहीं है।
- x) लेखा परीक्षण प्रक्रिया के आधार पर एवं हमें दी गई व्याख्या एवं जानकारी के अनुसार हमारे द्वारा किये गये लेखा परीक्षण के दौरान कम्पनी द्वारा किसी भी प्रकार का छलकपट अथवा कम्पनी से उसके अधिकारी अथवा कर्मचारियों द्वारा किसी प्रकार के छलकपट होना नहीं पाया गया है और ना ही इसकी कोई रिपोर्ट दर्ज हुई है।
- xi) हमें दी गई व्याख्या एवं जानकारी के अनुसार एवं कम्पनी के रिकार्ड का हमारे द्वारा परीक्षण किये जाने के आधार पर कम्पनी ने प्रबंधकीय वेतन का भुगतान नहीं किया है। तदनुसार आदेश की कंडिका (xi) लागू नहीं है।
- xii) हमारी राय में एवं हमें दी गई व्याख्या एवं जानकारी के अनुसार कम्पनी निधि कम्पनी नहीं है। तदनुसार आदेश का पैरा 3 (xii) लागू नहीं है।
- xiii) हमें दी गई व्याख्या एवं जानकारी अनुसार एवं कम्पनी के रिकार्ड का हमारे द्वारा परीक्षण के आधार पर कम्पनी द्वारा संबंधित पक्षों से किसी भी प्रकार का व्यवहार दर्ज नहीं हुआ है। तदनुसार आदेश की कंडिका (xiii) लागू नहीं है।
- xiv) हमें दी गई व्याख्या एवं जानकारी अनुसार एवं कम्पनी के रिकार्ड का हमारे द्वारा परीक्षण के आधार पर कम्पनी ने वर्ष के दौरान अंशों का एवं पूर्ण अथवा आंशिक परिवर्तनीय डिबेन्चर्स का प्राथमिकतापूर्ण आवंटन या निजी स्थापन नहीं किया है। तदनुसार आदेश का पैरा 3 (xiv) लागू नहीं है।
- xv) हमें दी गई व्याख्या एवं जानकारी अनुसार एवं कम्पनी के रिकार्ड का हमारे द्वारा परीक्षण के आधार पर कम्पनी द्वारा निदेशकगणों अथवा उनसे संबंधित व्यक्तियों के साथ किसी भी प्रकार के गैर नगदी समव्यवहार दर्ज नहीं हुआ है। तदनुसार आदेश का पैरा 3 (xv) लागू नहीं है।
- xvi) कम्पनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45—आईए के अंतर्गत पंजीकृत होना आवश्यक नहीं है।

गुप्ता एवं अशोक चार्टर्ड अकाउंटेंट हेतु  
एफआरएन : 02254सी

स्थान : इन्दौर  
दिनांक 16.11.2017

सही/—  
सी.ए. अशोक अग्रवाल  
(भागीदार)  
एम. 071274



## इन्दौर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड, इन्दौर की कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(5) के अन्तर्गत प्रतिवेदन

**संदर्भ:** केग पत्र क्रं/सीएवीआईसीओवायआईम.प्र., आईएससीडीएल(1) (1052 दि. 18/08/2016)

हमने इन्दौर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड, इन्दौर का 31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष का खाता बही का परीक्षण किया और हमें दी गई व्याख्या एवं जानकारियों के अनुसार, हम अपना प्रतिवेदन कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत निम्नानुसार प्रस्तुत करते हैं:-

<ol style="list-style-type: none"> <li>1. अगर कम्पनी विनिवेश के लिए चुनी जाती है, तो सम्पत्तियों के मूल्यांकन (अमूर्त सम्पत्ति एवं भूमि सहित) और दायित्व (प्रतिबद्ध एवं सामान्य रिजर्व सहित) का सम्पूर्ण स्थिति रिपोर्ट का परीक्षण किया जा सकता है जिसमें विनिवेश प्रक्रिया का प्रकार एवं वर्तमान स्थिति शामिल है।</li> <li>2. कृपया रिपोर्ट करें कि देन/ऋण/ब्याज आदि का किसी भी प्रकार का राईटऑफ/त्याग का मामला है। अगर है तो इसका कारण एवं इसमें संबंधित राशि कितनी है।</li> <li>3. क्या तीसरे पक्ष के पास रखा हुआ माल एवं सरकार एवं अन्य अधिकारी से उपहार स्वरूप प्राप्त सम्पत्ति का उचित रिकार्ड रखा गया है।</li> <li>4. अपूर्ण कानूनी/पंचाट के मामलों का उम्र अनुसार विश्लेषण जिसमें अपूर्ण होने के कारण एवं सभी कानूनी मामलों (विदेशी एवं स्थानीय) के लिए निगरानी तंत्र का अस्तित्व/प्रभाव दिया जा सकता है।</li> <li>5. सूची निर्धारण की प्रक्रिया हेतु कोई मानदण्ड की स्थापना की गई है ? कीमत की कम वसूली के मामलों को आकर्षित किया जाना चाहिए।</li> </ol>	<p>विनिवेश हेतु कम्पनी का चयन नहीं किया गया है। तदनुसार यह धारा कम्पनी पर लागू नहीं होती।</p> <p>हमारे लेखा परीक्षण के दौरान ऐसा कोई मामला नहीं देखा गया है।</p> <p>कम्पनी की कुछ सम्पत्तियाँ इन्दौर नगर निगम के पास रखी हुई हैं। तीसरे पक्ष के पास रखे गये माल एवं सम्पत्तियों के रेकार्ड का उचित रखरखाव हुआ है।</p> <p>हमें दी गई व्याख्या एवं जानकारी के अनुसार, कोई भी कानूनी/पंचाट मामलें अपूर्ण नहीं हैं।</p> <p>कम्पनी ने ठेकेदारों से निविदा आवेदन प्राप्ति के रूप में ई-प्रौक्थोरमेंट फीस के नाम से आय अर्जित की है। यह प्रक्रिया संचालक मंडल की बैठक में मंजूर की गई है। कीमत की कम वसूली का कोई भी मामले की सूचना नहीं है।</p>
---	---



<p>6. क्या कम्पनी ने ऑपरेशन के मानदंड को निर्धारित किया है ? क्या कम्पनी ने विचलन के स्थिति में अपने प्रदर्शन को मापा है अथवा कोई उचित कार्यवाही की है?</p> <p>7. बस स्टैंड के संचालन एवं रखरखाव के लिए ठेकेदारों से लीज रेंट की वसूली के लिए निगरानी की व्यवस्था को जाँचा जाना चाहिए एवं गैर वसूली की मात्रा का ठहराव किया जाना चाहिए।</p> <p>8. विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत केन्द्र एवं राज्य सरकार अथवा इनकी एजेंसी से प्राप्त परिवर्तित एवं उपयोग न किये हुए फंड के अभ्यर्पण के मामलों में सूचित किया जाना।</p> <p>9. वर्ष के दौरान पूर्ण किया गया कार्य एवं चालू कार्य में विलम्बन, अगर कोई हो, को सूचित किया जाना।</p>	<p>कम्पनी ने म.प्र. शासन के नियम एवं विनियमों के परिचालन मानदंड को अपनाया है एवं कम्पनी ने अपने प्रदर्शन को मापा है एवं विचलन की स्थिति में कम्पनी मान्य मापदंडों के तहत उचित कार्यवाही करेगी।</p> <p>यह धारा कम्पनी पर लागू नहीं है क्योंकि ठेकेदार के द्वारा ऐसी कोई गतिविधि नहीं चलायी गई।</p> <p>विचलन का कोई मामला संज्ञान में नहीं। दि. 31.03.2017 को अनुपयोगित फंड था जो स्मार्ट सिटी मिशन की गाइडलाइन अनुसार वित्तीय वर्ष 17-18 में प्राप्त फंड में से समायोजित होना चाहिए था।</p> <p>कम्पनी द्वारा शुरू किये गये सभी कार्य प्रगति पर है जो कि अभी पूर्ण नहीं हुए हैं।</p>
---	--

स्थान : इन्दौर  
दिनांक 16.11.2017

गुप्ता एवं अशोक चार्टर्ड अकाउंटेंट हेतु  
एफआरएन : 02254सी

सही/-  
सी.ए. अशोक अग्रवाल  
(भागीदार)  
एम. 071274



## इन्दौर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड

सीआईएन: U75100MP2016SGC035528

पंजीकृत कार्यालय : स्मार्ट सिटी कार्यालय, नेहरू पार्क परिसर, इन्दौर, मध्यप्रदेश

वेबसाइट : www.smartcityindore.org; फोन : 0731-2535572; ईमेल : smartcityindore16@gmail.com

### तुलन-पत्र 31 मार्च, 2017 को

विवरण	नोट सं.	आंकड़े 31.03.2017 के अन्त तक
<b>I. इक्विटी एवं दायित्व</b>		
(1) अंशधारक का फंड		
(अ) शेयर पूंजी	2	1,035,600,000
(ब) रिजर्व एवं आधिक्य	3	1,976,299,935
(स) शेयर वारंट द्वारा प्राप्त धन		-
(2) शेयर आवेदन राशि का रुका हुआ आवंटन		
(3) गैर-चालू दायित्व		
(अ) दीर्घ अवधि उधार		-
(ब) स्थगित कर दायित्व (शुद्ध)		-
(स) अन्य दीर्घ अवधि दायित्व		-
(द) दीर्घ अवधि प्रावधान		-
(4) चालू दायित्व		
(अ) लघु अवधि उधार		-
(ब) व्यापारिक देय		-
(अ) सूक्ष्म उद्यमों तथा लघु उद्यमों को कुल देय		-
(ब) सूक्ष्म उद्यमों तथा लघु उद्यमों के अलावा लेनदारों को कुल देय		-
(स) अन्य चालू दायित्व	4	234,728,876
(द) लघु अवधि प्रावधान		
<b>कुल</b>		<b>3,246,628,811</b>
<b>II. सम्पत्ति</b>		
गैर-चालू सम्पत्ति		
(1) (अ) स्थायी सम्पत्ति	5	
(i) वास्तविक सम्पत्ति		43,027,750
(ii) अवास्तविक सम्पत्ति		4,017,153



विवरण	नोट सं.	आंकड़े 31.03.2017 के अन्त तक
(iii) पूंजी कार्य-प्रगति-पर		185,163,810
(iv) अवास्तविक सम्पत्ति जिसका विकास जारी है		—
(ब) गैर-चालू निवेश		—
(स) स्थगित कर सम्पत्ति (शुद्ध)	6	3,410,423
(द) दीघ अवधि ऋण एवं अग्रिम		—
(इ) अन्य गैर-चालू सम्पत्ति		—
<b>(2) चालू सम्पत्ति</b>		
(अ) चालू निवेश		—
(ब) माल		—
(स) व्यापारिक प्राप्तियाँ		—
(द) नगद एवं नगद समान	7	2,936,896,995
(इ) लघु-अवधि ऋण एवं अग्रिम	8	12,798,723
(फ) अन्य चालू सम्पत्तियाँ	9	61,313,957
<b>कुल</b>		<b>3,246,628,811</b>

संलग्न नोट्स वित्तीय विवरणों का अभिन्न हिस्सा है।  
निदेशक मंडल की ओर से एवं हेतु  
**इन्दौर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड**

सही/—  
**(निशांत वरवडे)**  
अध्यक्ष  
डीआईएन 05340409  
सही/—  
**(रचना गौर)**  
मुख्य वित्त अधिकारी  
एम.नं. 410808

दिनांक : 16 नवंबर 2017  
स्थान : इन्दौर

सही/—  
**(मनीष सिंह)**  
कार्यकारी निदेशक  
डीआईएन 05277748  
सही/—  
**(अनुराग कुमार सक्सेना)**  
कम्पनी सचिव  
एम.नं. एफ8115

यहाँ तक की दिनांक तक हमारा प्रतिवेदन  
**फॉर गुप्ता एंड अशोक**  
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स  
फर्म पंजीयन क्र. 00224सी  
सही/—  
**(सी.ए. अशोक अग्रवाल)**  
भागीदार  
एम. नं. 071274



## इन्दौर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड

सीआईएन: U75100MP2016SGC035528

पंजीकृत कार्यालय : स्मार्ट सिटी कार्यालय, नेहरू पार्क परिसर, इन्दौर, मध्यप्रदेश

वेबसाइट : www.smartcityindore.org; फोन : 0731-2535572; ईमेल : smartcityindore16@gmail.com

### लाभ एवं हानि खाता 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए

	विवरण	नोट सं.	आंकड़े चालू रिपोर्टिंग अवधि के अंत में
I	प्रचालन द्वारा राजस्व	10	910,000
II	अन्य आय		83,423,039
III	<b>कुल राजस्व (I+II)</b>		<b>84,333,039</b>
IV	व्यय :		
	उपभोग की गई सामग्री की कीमत		-
	स्टॉक-इन-ट्रेड की खरीदी		-
	तैयार माल का कार्य-प्रगति-पर एवं स्टॉक-इन-ट्रेड के माल में बदलाव		-
	कार्य-प्रगति-पर एवं स्टॉक-इन-ट्रेड		-
	कर्मचारियों की सुविधाओं पर व्यय		-
	वित्त लागत	11	175
	मूल्यहास एवं ऋणमुक्ति व्यय	5	720,424
	अन्य व्यय	12	83,612,440
	<b>कुल व्यय</b>		<b>84,333,039</b>
V	अपवाद स्वरूप एवं असाधारण मद एवं कर के पूर्व का लाभ (III-IV)		(0)
VI	अपवाद स्वरूप मद		-
VII	असाधारण मद एवं कर के पूर्व का लाभ (V-VI)		(0)
VIII	असाधारण मद		-
IX	कर के पूर्व का लाभ (VII-VIII)		(0)
X	कर व्यय		
	(1) चालू कर		-
	(2) स्थगित कर		3,410,423
XI	लाभ / (हानि) जारी प्रचालन की अवधि के लिए (VII-VIII)		3,410,423
XII	लाभ / (हानि) बंद प्रचालन से		-



	विवरण	नोट सं.	आंकड़े चालू रिपोर्टिंग अवधि के अंत में
XIII	कर व्यय बन्द प्रचालन के लिए		-
II	लाभ/(हानि) बन्द प्रचालन से (कर के पश्चात) (XII-XIII)		-
III	लाभ/(हानि) की अवधि के लिए (XI+XIV)		3,410,423
IV	प्रति इक्विटी शेयर की कमाई (1) आधारभूत (2) डायल्यूटेड		

संलग्न नोट्स वित्तीय विवरणों का अभिन्न हिस्सा है।  
निदेशक मंडल की ओर से एवं हेतु  
**इन्दौर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड**

सही/-  
**(निशांत वरवडे)**  
अध्यक्ष  
डीआईएन 05340409  
सही/-  
**(रचना गौर)**  
मुख्य वित्त अधिकारी  
एम.नं. 410808

दिनांक : 16 नवंबर 2017  
स्थान : इन्दौर

सही/-  
**(मनीष सिंह)**  
कार्यकारी निदेशक  
डीआईएन 05277748  
सही/-  
**(अनुराग कुमार सक्सेना)**  
कम्पनी सचिव  
एम.नं. एफ8115

यहाँ तक की दिनांक तक हमारा प्रतिवेदन  
**फॉर गुप्ता एंड अशोक**  
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स  
फर्म पंजीयन क्र. 00224सी  
सही/-  
**(सी.ए. अशोक अग्रवाल)**  
भागीदार  
एम. नं. 071274



## इन्दौर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड

सीआईएन: U75100MP2016SGC035528

पंजीकृत कार्यालय : स्मार्ट सिटी कार्यालय, नेहरू पार्क परिसर, इन्दौर, मध्यप्रदेश

वेबसाइट : [www.smartcityindore.org](http://www.smartcityindore.org); फोन : 0731-2535572; ईमेल : [smartcityindore16@gmail.com](mailto:smartcityindore16@gmail.com)

### नगद प्रवाह विवरण 31.03.2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए

विवरण	आंकड़े चालू रिपोर्टिंग अवधि के अंत में
<b>प्रचालन गतिविधियों द्वारा नगद प्रवाह</b>	
कर पूर्व का लाभ जारी परिचालन से	-
कर पूर्व का लाभ बन्द परिचालन से	-
लाभ कर से पूर्व	-
<i>कर पूर्व का लाभ से शुद्ध नगद प्रवाह के समाधान के लिए गैर नगदी का समायोजन</i>	
लाभ का अंश (हानि) भागीदारी फर्म में निवेश से	-
मूल्यहास/ऋणमुक्ति चालू प्रचालन पर	720,424
मूल्यहास/ऋणमुक्ति बन्द प्रचालन पर	-
सम्पत्ति पर हानि/बढ़ा खाता (चालू प्रचालन)	-
सम्पत्ति पर हानि/बढ़ा खाता (बंद प्रचालन)	-
हानि (लाभ) स्थायी सम्पत्तियों के विक्रय पर	-
सहायक में निवेश की कीमत में कमी का प्रावधान	-
अन्य निवेश की कीमत में कमी का प्रावधान	-
कर्मचारी स्टॉक क्षतिपूर्ति व्यय	-
अचेतन विदेशी विनिमय हानि	-
आगे विनिमय संविदा परिशोधित पर प्रीमियम	-
सहायक लागत का परिशोधन	-
चालू निवेश के विक्रय पर शुद्ध प्राप्ति	-
ब्याज व्यय	-
ब्याज आय	-
लाभांश आय	-
प्रचालित लाभ कार्यशील पूंजी में बदलाव के पहले का	720,424
<i>कार्यशील पूंजी में गति :</i>	
व्यापारिक देय में बढ़ौत्री (घटोति)	-
दीर्घ अवधि प्रावधानों में बढ़ौत्री (घटोति)	-
लघु अवधि प्रावधानों में बढ़ौत्री (घटोति)	-
अन्य चालू दायित्वों में बढ़ौत्री (घटोति)	234,728,876
अन्य दीर्घ अवधि दायित्वों में बढ़ौत्री (घटोति)	-





विवरण	आंकड़े चालू रिपोर्टिंग अवधि के अंत में
व्यापारिक प्राप्तियों में घटोति (बढ़ोत्री)	-
माल में घटोति (बढ़ोत्री)	-
दीर्घ अवधि ऋण एवं अग्रिम में घटोति (बढ़ोत्री)	-
लघु अवधि ऋण एवं अग्रिम में घटोति (बढ़ोत्री)	(12,798,723)
अन्य चालू सम्पत्तियों में घटोति (बढ़ोत्री)	(61,313,957)
अन्य गैर-चालू सम्पत्तियों में घटोति (बढ़ोत्री)	-
बैंक अधिशेष (नगद के अलावा) में घटोति (बढ़ोत्री)	-
प्रचालन (उपयोग किया गया) से उत्पन्न नगद	161,336,620
प्रत्यक्ष कर चुकाया (शुद्ध)	-
प्रचालन गतिविधियों से नगद प्रवाह (ए)	161,336,620
<b>निवेश गतिविधियों से नगद प्रवाह</b>	
स्थायी सम्पत्तियों, सीडब्ल्यूआईपी एवं पूंजी अग्रिम की खरीद	(232,929,137)
अचल सम्पत्तियों की बिक्री से आय	
गैर-चालू निवेशों से आय	
गैर-चालू निवेशों की खरीदी	
चालू निवेशों की खरीदी	
चालू निवेशों के विक्रय/परिपक्वता से आय	
बैंक जमा में निवेश (तीन माह से अधिक की वास्तविक परिपक्वता पर)	
बैंक जमा के मोचन/परिपक्वता (तीन माह से अधिक की वास्तविक परिपक्वता पर)	
प्राप्त ब्याज	131,912,551
सहायक कंपनियों से प्राप्त लाभांश	
अन्य प्राप्त लाभांश	
निवेश गतिविधियों से नगद प्रवाह (बी)	(101,016,586)
<b>वित्तीय गतिविधियों से नगद प्रवाह</b>	
अंश पूंजी के निर्गम से आय	1,035,600,000
अंश पूंजी के निर्गम की सिक्युरिटी प्रीमियम से आय	
सरकारी अनुदान से आय	1,924,400,000
घटायें : अनुदान उपयोगी की गई	(83,423,039)
अंश आवेदन राशि से आय	
दीर्घ अवधि उधार से आय	
दीर्घ अवधि उधार का भुगतान	
लघु अवधि उधार से आय	
लघु अवधि उधार का भुगतान	
ब्याज चुकाया	
इक्विटी शेयर पर लाभांश दिया	



विवरण	आंकड़े चालू रिपोर्टिंग अवधि के अंत में
प्रिफरेंस शेयर पर चुकाया गया लाभांश	-
इक्विटी लाभांश पर चुकाया गया कर	-
अधिकृत पूंजी की बढ़ौत्री पर चुकाया गया स्टाम्प शुल्क	-
जारी शेयर व्यय	-
वित्तीय गतिविधियों से नगद प्रवाह (सी)	2,876,576,961
<b>नगद एवं नगद समकक्ष के अवयव</b>	
शुद्ध बढ़ौत्री / घटोति नगद एवं नगद समकक्ष में (ए+बी+सी)	2,936,896,995
आरंभिक नगद समकक्ष	-
नगद हस्तस्थ	-
हस्तस्थ चेक/ड्राफ्ट बैंक के पास	-
<b>कुल आरंभिक नगद एवं नगद समकक्ष</b>	
अंतिम नगद समकक्ष	-
चालू खाते में	807,896,995
जमा खाते में	2,129,000,000
अवैतनिक लाभांश खाता	-
अवैतनिक परिपक्व जमा	-
अवैतनिक परिपक्व डिबेन्चर	-
नगद जमा खाता में नामे शेष	-
<b>कुल अंतिम नगद एवं नगद समकक्ष</b>	<b>2,936,896,995</b>

संलग्न नोट्स वित्तीय विवरणों का अभिन्न हिस्सा है।  
निदेशक मंडल की ओर से एवं हेतु  
**इन्दौर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड**

सही/-  
**(निशांत वरवडे)**  
अध्यक्ष  
डीआईएन 05340409

सही/-  
**(रचना गौर)**  
मुख्य वित्त अधिकारी  
एम.नं. 410808

दिनांक : 16 नवंबर 2017  
स्थान : इन्दौर

सही/-  
**(मनीष सिंह)**  
कार्यकारी निदेशक  
डीआईएन 05277748

सही/-  
**(अनुराग कुमार सक्सेना)**  
कम्पनी सचिव  
एम.नं. एफ8115

यहाँ तक की दिनांक तक हमारा प्रतिवेदन  
**फॉर गुप्ता एंड अशोक**  
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स  
फर्म पंजीयन क्र. 00224सी  
सही/-  
**(सी.ए. अशोक अग्रवाल)**  
भागीदार  
एम. नं. 071274



## नोट 2

### अंश पूंजी

2.1 अधिकृत, जारी, अभिदत्त एवं पूर्ण प्रदत्त अंश पूंजी में रुपये 10/- प्रति सम मूल्य के इक्विटी शेयर शामिल हैं, जो निम्न हैं –

नाम	शेयरों की संख्या	2017 को अंशधारिता का %	31 मार्च, 2017 को (रुपये)
<b>अधिकृत</b> 2000000000 इक्विटी शेयर 10/- रु. प्रति	200,000,000		2,000,000,000
<b>जारी, अभिदत्त एवं पूर्ण प्रदत्त</b> 103560000 इक्विटी शेयर 10/- प्रति	103,560,000		1,035,600,000
<b>कुल</b>			<b>1,035,600,000</b>

2.2 बकाया अंशों का शोधन रिपोर्टिंग अवधि के आरंभ एवं अंत तक	31.03.2017	
	शेयरों की संख्या	(रु.)
(i) अवधि के आरम्भ में	-	-
(ii) अवधि के दौरान जारी – बोनस शेयर		
(iii) आवंटित/जारी अंश	103,560,000	1,035,600,000
(iv) अवधि के अन्त में बकाया	103,560,000	1,035,600,000
इक्विटी शेयर से संलग्न शर्तें/अधिकार :		
कम्पनी के पास केवल एक वर्ग के इक्विटी शेयर हैं जिसका मूल्य 10/- प्रति है। इक्विटी शेयर का प्रत्येक धारक प्रति शेयर एक वोट का अधिकारी है।		

### 2.3 कम्पनी में प्रति वर्ग के शेयर जो उसकी होल्डिंग कम्पनी के हैं –

नाम	शेयरों की संख्या	2017 को अंशधारिता का %	राशि रुपयों में
मध्यप्रदेश शहरी विकास कार्पोरेशन	51,780,000	50%	517,800,000
<b>कुल</b>	<b>51,780,000</b>	<b>50%</b>	<b>517,800,000</b>

**नोट :-** कम्पनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के आर्टिकल नं. 12.1(iv) के अनुसार केन्द्र सरकार एवं मेयर द्वारा नामित को छोड़कर, कम्पनी के सभी निदेशकों की नियुक्ति अथवा उसमें बदलाव एमपीयूडीसीएल की मंजूरी से किया जायेगा, अतः एमपीयूडीसीएल का कम्पनी के निदेशक मंडल पर नियंत्रण रहेगा अतएव कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 2(87)(i) के अनुसार आईएससीडीएल एमपीयूडीसीएल की सहायक है।

### 2.4 अंश पूंजी के 5% से अधिक के अंशधारक

नाम	शेयरों की संख्या	2017 को अंशधारिता का %	शेयरों की संख्या
इन्दौर नगर निगम	51,780,000	50%	517,800,000
मध्यप्रदेश शहरी विकास कार्पोरेशन	51,780,000	50%	517,800,000
<b>कुल</b>	<b>103,560,000</b>	<b>100%</b>	<b>1,035,600,000</b>

**नोट :-** मिशन स्टेटमेंट एवं गाइडलाइन के परिशिष्ट 5 के अनुसार, सिटी लेवल एसपीवी की स्थापना कम्पनी अधिनियम 2013 के तहत लिमिटेड कम्पनी है तथा राज्य एवं शहरी स्थानीय निकाय द्वारा संस्थापित है, जिसमें दोनों की अंश भागिता 50:50 है।



### नोट 3

आरक्षित एवं अधिशेष	
विवरण	31 मार्च, 2017 को (रुपये)
<b>1. कारपस फंड</b>	
अनुदान प्राप्त –	
(i) म.प्र. शासन	482,200,000
(ii) केन्द्र शासन	1,342,200,000
जोड़े : अप्रयुक्त अनुदान राशि के स्थायी जमा पर प्राप्त ब्याज	131,912,551
<b>कुल (A)</b>	<b>1,956,312,551</b>
<b>2. सामान्य फंड</b>	
ए एंड ओ ई व्यय के लिए प्राप्त अनुदान	100,000,000
घटाये : लाभ एवं हानि खाते में दर्शायी व्यय की हुई रशि तक	83,423,039
शेष अनुदान राशि आगे ले जायी गई	16,576,961
लाभ/(हानि) लाभ एवं हानि खाते से स्थानांतरित	3,410,423
<b>कुल (B)</b>	<b>19,987,384</b>
<b>कुल (A+B)</b>	<b>1,976,299,935</b>
<p><b>नोट –</b> 1. यह कि मिशन के कथन एवं मार्गदर्शन के पैरा 10.3 के अनुसार एस.पी.वी. को दी गई पूंजी बंधित अनुदान के रूप में रहेगी एवं इसे पृथक अनुदान पूंजी में रखा जावेगा। यह पूंजी का उपयोग केवल उस प्रयोजन के लिए किया जावेगा जिस हेतु अनुदान दिया गया है। और इस पर एम.ओ.यू.डी. में वर्णित की गई शर्तें एवं स्थिति विषयगत रहेगी, अतः इसे कारपस फंड के रूप में उपचारित किया जावेगा।</p> <p>2. यह कि मिशन के कथन एवं मार्गदर्शन के पैरा 10.4 के अनुसार एस.पी.वी. को आरंभिक भुगतान की गई पूंजी रुपये 200 करोड़ (अक्षरी रुपये केन्द्र शासन के 100 करोड़ योगदान एवं राज्य का हिस्सा रुपये 100 करोड़) रहेगा।</p> <p>3. 31.03.2017 तक 103.56 करोड़ की राशि की प्रदत्त पूंजी जारी की गई है जो कि एमओयूडी से अनुमोदन के अधीन है।</p> <p>4. यह कि रुपये 200 करोड़ की न्यूनतम पूंजी आधार संरचना हेतु रुपये 96.44 करोड़ का अनुदान (यानि यू.एल.बी. एवं राज्य शासन का प्रत्येक का 48.22) का परिवर्तन राज्य शासन एवं एम.ओ.यू.डी., केन्द्र शासन द्वारा अनुमोदन प्राप्त होने पर अंश पूंजी में परिवर्तित किया जावेगा और यह राशि कारपस फंड में प्रदर्शित होने वाली राशि में से होगी।</p> <p>5. यह कि केन्द्र शासन एवं राज्य शासन से प्राप्त फंड के निवेश पर एकत्रित ब्याज का उपयोग उस प्रयोजन के अलावा नहीं होगा जिस लक्ष्य और प्रयोजन हेतु यह एस.पी.वी. कम्पनी का गठन किया गया है, अतः इसे बंधित अनुदान का हिस्सा माना गया है।</p>	

### चालू दायित्व

#### नोट 4

अन्य चालू दायित्व	
विवरण	31 मार्च, 2017 को (रुपये)
परियोजना के व्यय हेतु लेनदार	233,570,341
रोक गई प्रतिभूति जमा	697,080
वाणिज्यिक कर	307,636
श्रमिक उपकर	153,819
<b>कुल</b>	<b>234,728,876</b>



**नोट 5**  
**स्थायी सम्पत्ति**  
**वास्तविक सम्पत्ति**

विवरण	उपयोगी जीवन (वर्ष)	सकल ब्लॉक			मूल्यहास				शुद्ध ब्लॉक
		आरम्भिक शेष	वर्ष के दौरान जुड़ाव	वर्ष के दौरान विलोपन	31.03.2017 को	आरम्भिक शेष	वर्ष के लिए	वर्ष के दौरान विलोपन	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
I. स्वामित्व की सम्पत्ति									(10)
A. वास्तविक सम्पत्ति									
1. कम्प्यूटर	3 Y	0	182070		182070	0	4981	-	177089
2. मोबाइल/स्टैटिक ट्रांसफर स्टेशन हुक लोडर सहित	15Y		42491845		42491845		364740		42127105
3. एलईडी टी.वी.	5 Y		89990		89990		4778		85212
4. स्केनर			515943		515943		103401		412542
5. फोटोकॉपी मशीन			204750		204750		41034		163716
6. फर्नीचर			69000		69000		6914		62086
<b>कुल (A)</b>		<b>0</b>	<b>43553598</b>	<b>0</b>	<b>43553598</b>	<b>0</b>	<b>525848</b>	<b>0</b>	<b>43027750</b>
B. वास्तविक सम्पत्ति									
1. ईएसआरआई जीआईएस सॉफ्टवेयर (i)	4Y		4211729		4211729		194576		4017153
<b>कुल (B)</b>		<b>0</b>	<b>4211729</b>	<b>0</b>	<b>4211729</b>	<b>0</b>	<b>194576</b>	<b>0</b>	<b>4017153</b>
C. पूंजी कार्य प्रगति पर									
C.1 फर्नीचर एवं फिक्चर्स		0	8599191		8599191	0	0	0	8599191
C.2 ईएसआरआई जीआईएस सॉफ्टवेयर (ii)			8101730		8101730	0	0	0	8101730
C.3 स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत परियोजना कार्य प्रगति पर									
1. बड़ा गणपति से राजमोहल्ला चौराहे तक सी.सी. रोड			6782650		6782650	0	0	0	6782650
2. महु नाका से टोरी कार्नर तक सी.सी. रोड			86822916		86822916	0	0	0	86822916
3. व्यास ब्रिज का निर्माण जिंसी डिपो व्हाया बड़ा गणपति तक निर्माण			62952404		62952404	0	0	0	62952404
4. इलेक्ट्रिक केबल कार्य			505751		505751	0	0	0	505751
5. विरासत संरक्षण कार्य			762450		762450	0	0	0	762450
6. जिंसी हाट बाजार का पुनर्निर्माण			4993668		4993668	0	0	0	4993668
7. कान्ह नदी का विकास सुभाष मार्ग से लालबाग ब्रिज			5643050		5643050	0	0	0	5643050
<b>कुल (C)</b>		<b>0</b>	<b>185163810</b>	<b>0</b>	<b>185163810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>185163810</b>
<b>महा योग (A+B+C)</b>		<b>0</b>	<b>232929137</b>	<b>0</b>	<b>232929137</b>	<b>0</b>	<b>720424</b>	<b>0</b>	<b>232208713</b>



#### नोट –

- अ) यह कि वे सम्पत्तियाँ जिन्हें 11.03.2016 से 31.03.2017 से प्रारम्भ वित्तीय वर्ष के दौरान उपयोग हेतु लिया गया है, को वर्ष के दौरान पूंजीकृत की गई और उन्हें कम्पनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II की सीधी रेखा पद्धति अनुसार मूल्यहास का प्रावधान किया गया।
- ब) यह कि स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत पूंजी डब्ल्यू आई.पी. के रूप में चलने वाली परियोजनाओं के पहचान के समय हमारे द्वारा भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान के द्वारा जारी ए.एस.-10 पर भरोसा किया गया है, जिसके अनुसार सम्पत्ति, प्लॉट एवं उपकरण की सामग्री की कीमत सम्पत्तियों के रूप में पहचानी जानी चाहिए अगर (अ) यह संभाव्य है कि सामग्री से सहयोजित भावी आर्थिक लाभ उपक्रम की ओर प्रवाहित होंगे, एवं सामग्री की कीमत का नाप विश्वसनीय तौर पर किया जावेगा। यह कि एम.पी.यू.डी.सी.एल. के द्वारा जारी मार्गदर्शन एवं मिशन संबंधी कथन के अनुसार भविष्य में होने वाले आर्थिक लाभ का प्रवाह उपक्रम को मौद्रिक एवं अमौद्रिक अवस्था में होगा, जो कि प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष तरीके से सेवा के प्रयोजन के रूप में इकाईयों के उद्देश्य के अनुसार होगा। यह कि कीमत के संबंध में, सभी कीमतों को जो कि प्रत्यक्ष रूप से सम्पत्तियों की कीमत पर लागू होती हो को डब्ल्यू आई.पी. पूंजी की लागत में जोड़ा गया है, और वह पृथक् रूप से पहचान के योग्य है।
- स) यह कि 31.03.2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु सभी परियोजनाएं निर्माणाधीन है, अतः डब्ल्यू आई.पी. पूंजी के अधीन उजागर की गई है।
- द) यह कि वर्ष के दौरान पूंजीकृत की गई सभी मूर्त सम्पत्तियाँ प्रशासनिक प्रयोजन के लिए है और उनका स्वामित्व कम्पनी के पास है।
- इ) यह कि चलायमान स्थिर हस्तांतरित स्टेशन इंज.हुक लोडर एवं ईएसआरआई जीआइएस सॉफ्टवेयर अमूर्त सम्पत्तियाँ है जो कि पी.ए.एन. सिटी परियोजना के अधीन है और मिशन के कथन एवं मार्गदर्शन के अनुसार कचरा एकत्रीकरण एवं प्रबंधन तंत्र हेतु है।

#### नोट 6

स्थगित कर सम्पत्ति/दायित्व	
विवरण	31 मार्च, 2017 को (रु.)
<b>स्थगित कर दायित्व/सम्पत्ति (सकल)</b>	
स्थगित कर दायित्व	
समय में अंतर का कारण	
डब्ल्यूडीवी कम्पनी अधिनियम के अनुसार	47044903
डब्ल्यूडीवी आयकर अधिनियम के अनुसार	43826549
अन्तर	3218353
स्थगित कर दायित्व	994471
परिशोधित नहीं किये जाने की सीमा तक राशि	14255320
आयकर अधिनियम की धारा 35डी के अनुसार	
स्थगित कर सम्पत्ति	4404893.88
कर सम्पत्ति जो स्थगित नहीं की गई	3410423
<b>कुल</b>	<b>3410423</b>

#### नोट 7

नगद एवं नगद समकक्ष	
विवरण	31 मार्च, 2017 को (रु.)
नगद हस्तस्थ	-
अनुसूचित एवं अन्य बैंक में शेष	807,896,995
बैंक में एफडीआर (परिपक्वता 1 वर्ष के अन्दर)	2,129,000,000
<b>कुल</b>	<b>2,936,896,995</b>



### नोट 8

लघु अवधि के ऋण एवं अग्रिम	
विवरण	31 मार्च, 2017 को (रु.)
वैधानिक प्राधिकारी के साथ शेष (असुरक्षित, अच्छा माना गया) प्राप्त टीडीएस	12,798,723
<b>कुल</b>	<b>12,798,723</b>

### नोट 9

अन्य चालू सम्पत्तियाँ	
विवरण	31 मार्च, 2017 को (रु.)
उपार्जित ब्याज	61,313,957
<b>कुल</b>	<b>61,313,957</b>

### नोट 10

प्रचालन से राजस्व	
विवरण	31 मार्च, 2017 को (रु.)
ई-प्रोक्योरमेंट फीस	910000
<b>कुल</b>	<b>910000</b>

### नोट 11

वित्तीय लागत	
विवरण	31 मार्च, 2017 को (रु.)
बैंक चार्जस	175
<b>कुल</b>	<b>175</b>

### नोट 12

अन्य व्यय	
विवरण	31 मार्च, 2017 को (रु.)
प्रोफेशनल चार्जस	1,951,811
ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेट	80,500
कार्यालय व्यय	3,600
प्रारंभिक व्यय	17,819,150
अंकेक्षण शुल्क	57,500
पेडअप पूंजी में बढौत्री पर आरओसी शुल्क	1,034,600
फोटोकापी एवं बाईडिंग व्यय	38,142
प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी व्यय	45,980
स्मार्ट सिटी लांचिंग व्यय	21,088,332
विज्ञापन व्यय	9,300,600
प्रोफेशनल शुल्क योजना	489,532
प्रोजेक्ट विकास हेतु प्रोफेशनल फीस	4,312,500
प्रोजेक्ट प्रबंधन सलाहकार	27,390,193
<b>कुल</b>	<b>83,612,440</b>



## इन्दौर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड

सीआईएन: U75100MP2016SGC035528

पंजीकृत कार्यालय : स्मार्ट सिटी ऑफिस, नेहरू पार्क कैम्पस, इन्दौर, मध्यप्रदेश

वेबसाइट : www.smartcityindore.org; फोन : 0731-2535572; ईमेल : smartcityindore16@gmail.com

### नोट-1

**31 मार्च 2017 को समाप्त हुई अवधि 11.03.2016 से 31.03.2017 तक की वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ**

1. **कारपोरेट जानकारीयाँ :** इन्दौर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड (कम्पनी) का आरंभ भारत में 11 मार्च 2016 को हुआ था। यह एक प्रकार का स्पेशन परपज व्हीकल (एस.पी.वी.) है जिसका सृजन इन्दौर शहर में “स्मार्ट सिटी मिशन” को लागू करने हेतु किया गया। एस.पी.वी. द्वारा स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को केन्द्र शासन के शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा जारी मिशन संबंधी विवरण एवं मार्गदर्शन के अनुसार परियोजित, आंकलित, अनुमोदित, पूंजी का लगाना, लागूकरण, प्रबंध, संचालन, निगरानी एवं मूल्यांकन किया जावेगा।
2. **वित्तीय विवरणों पर आधारित महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सार :-**
  - i) **तैयारी का आधार :-** वित्तीय विवरणों को ऐतिहासिक पारंपरिक लागत जो कि लेखांकन के अनुसरण में एकत्रण के आधार पर सामान्य तौर पर भारत में लेखांकन सिद्धांतों के रूप में स्वीकार्य है, तैयार किया गया है और जो कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 133 सपठित कम्पनी (लेखा) नियम 2014 के नियम 7 में निर्धारित विवरण के पालन में है एवं साथ ही कम्पनी अधिनियम 2013 के तत्संगत प्रावधानों के पालन में है।
  - ii) **आंकलन का उपयोग :-** वित्तीय विवरणों की तैयारी आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (GAAP) के अनुरूप होती है, जिसके लिए प्रबंधक को अनुमान और अनुमान लगाने की आवश्यकता होती है जो कि सम्पत्ति और देनादारियों की रिपोर्ट की गई राशि और आकस्मिक देनदारियों के प्रकटीकरण को प्रभावित करते हैं। वास्तविक परिणाम उन आंकलनों से अलग हो सकते हैं। किसी भी प्रकार का लेखांकन आंकलन का पुनरीक्षण प्रस्तावित तौर पर वर्तमान एवं भविष्य की अवधियों के लिए माना जाएगा।
  - iii) **नगद प्रवाह का विवरण**  
कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 133 में निर्धारित लेखांकन मानक-3 सपठित कम्पनी (लेखांकन) नियम 2014 के नियम 7 के अनुसार नगद प्रवाह के विवरण को अप्रत्यक्ष पद्धति के अधीन तैयार किया गया है।
  - iv) **वास्तविक अचल सम्पत्तियाँ**  
अचल सम्पत्तियों के बारे में उनकी कीमत में से एकत्रित किये गये मूल्यहास/एमोरटाइजेशन को घटा कर किया गया। अचल सम्पत्तियों की लागत में संबंधित परिसम्पत्तियों के अधिग्रहण और स्थापना से संबंधित कर, माल और अन्य आकस्मिकमक खर्च शामिल है। पूर्व संचालन व्यय, ब्याज एवं प्रतिबद्धता शुल्क जो कि अचल सम्पत्तियों की स्थापना की दिनांक तक पूंजीकृत किया गया है।
  - v) **मूल्यहास एवं एमोरटाइजेशन**  
वास्तविक सम्पत्तियों पर मूल्यहास की गणना सीधी रेखा पद्धति के द्वारा की गई है जिसमें सम्पत्तियों का जीवनकाल कम्पनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II में दिये गये अनुसार है और जिसकी गणना सम्पत्तियों के मूल्य के 95% पर की जाती है। वे सम्पत्तियाँ जिनका क्रय मूल्य रुपये 5000 से कम है उन्हें सम्पत्ति के रूप में मान्य नहीं किया जाता और उन्हें उसी वर्ष के दौरान भट्टे खाते में डाल दिया जाता है।  
प्रधिकारियों द्वारा निम्न उपयोगी जीवनकाल पर मूल्यहास का प्रावधान किया गया है -

अचल सम्पत्तियों की सामग्री	उपयोगी जीवन
कम्प्यूटर	3 वर्ष
कार्यालयीन उपकरण	5 वर्ष
प्लांट तथा मशीनरी	15 वर्ष
फर्नीचर	10 वर्ष





**vi) अवास्तविक सम्पत्तियाँ –**

अवास्तविक सम्पत्तियाँ जिन्हें अधिग्रहित किया गया हो उन्हें पृथक् रूप से लागत के आधार पर आरंभिक तौर पर मापा गया है। आरंभिक मान्यता के बाद, अवास्तविक सम्पत्तियों को एकत्रिकृत एमोरटाइजेशन एवं एकत्रिकृत हानियाँ, अगर कोई है तो, को भी कीमत से कम करके दर्शाया जाता है। आंतरिक तौर पर जनित अवास्तविक सम्पत्तियों को पूंजीकृत नहीं किया जाता एवं उनके व्यय को लाभ एवं हानि विवरण से उस वर्ष में निष्काशित जाता है जिस वर्ष में वे वहन किया गया हो।

अवास्तविक सम्पत्तियाँ उनकी वित्तीय जीवनकाल की आंकलित उपयोगिता के आधार पर सीधी रेखा पद्धति पर एमोरटाइज की जाती है।

एमोरटाइजेशन अवधि एवं एमोरटाइजेशन की पद्धति का पुनरीक्षण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में कम से कम एक बार किया जाता है। यदि सम्पत्तियों की अपेक्षित उपयोगिता जीवनकाल महत्वपूर्ण रूप से पूर्व के आंकलन से अलग है, तो इस एमोरटाइजेशन अवधि को तदनुसार बदला जाता है। ?

**vii) सम्पत्तियों की हानि :-** कोई सम्पत्ति को हानि के अन्तर्गत तब माना जाता है तब उसे उपयोग करने की कीमत उसकी वसूली के मूल्य से ज्यादा हो जाती है। हानियों के कारण घाटे को उस वर्ष के लाभ एवं हानि खाते में दर्ज किया जाता है जिसमें उस सम्पत्ति की हानि चिन्हित की गई हो।

**viii) राजस्व मान्यता :-** राजस्व को उस हद तक मान्य किया जाता है जब यह संभावना होती है कि वित्तीय लाभ कम्पनी को राजस्व के रूप में प्रवाहित होगा। इसको व्यापार में छूट एवं विक्रय वापसी पेटे संकलित किया जाता है। सेवाओं से प्राप्त राजस्व, और सेवाओं का प्रदर्शन की पहचान समानुपातिक पूर्णता पद्धति के अधीन किया जाता है एवं प्रदर्शन को तब प्राप्त करने के रूप में माना जाता है जब सेवाओं की प्रतिपादन से प्राप्त होने वाली राशि के बारे में कोई महत्वपूर्ण अनिश्चयता मौजूद नहीं होती है।

**ix) आयकर :-** वर्तमान कर उस वर्ष की कर योग्य आय पर वह देय कर की राशि है जो कि जो आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसार निश्चित की जाती है। स्थगित कर की पहचान, समयावधि में अंतर, कर योग्य आय एवं लेखा संबंधी आय में अंतर जो कि किसी एक अवधि में उत्पन्न होता है, की पहचान की जाती है और एक या एक से अधिक अवधि के बाद उलट करने में सक्षम है।

**x) प्रावधान :-** ऐसे प्रावधान जिनमें माप का ठोस डिग्री का आंकलन सम्मिलित हो, को मान्य किया गया है जब पिछली घटनाओं की जिम्मेदारी वर्तमान में हो और यह संभव है कि संसाधनों का बाहर की ओर प्रवाह रहेगा।

**xi) आकस्मिक उत्तरदायित्व एवं आकस्मिक सम्पत्तियाँ –** आकस्मिक उत्तरदायित्व की पहचान नहीं होती है, परन्तु उन्हें नोट्स में जाहिर किया गया है। आकस्मिक सम्पत्तियाँ न तो चिन्हित होती है और न ही उन्हें वित्तीय विवरणों में दर्शाया जाता है।

**xii) नगद एवं नगद के समरूप –** नगद अपने आप में हाथ में उपस्थित नगद होता है एवं मांग योग्य बैंक में जमा राशि होती है। नगद समरूप अपने आप में छोटी अवधि के लिए उच्च द्रव्य निवेश होते हैं (3 माह अथवा अधिग्रहण की दिनांक से 3 माह से कम) त्वरित रूप से जानी गई नगद राशि में परिवर्तित होने वाले होते हैं और जो कि उनके मूल्य में परिवर्तन के गैर महत्वपूर्ण जौखिम के विषयगत रहते हैं।

**xiii) शासकीय अनुदान –**

1. शासकीय अनुदानों को चिन्हित किया जाता है जब वाजिब सुनिश्चितता रहती है कि – i) कम्पनी उनके साथ संलग्न परिस्थितियों का पालन करेगी एवं ii) अनुदान प्राप्त किये जावेंगे।
2. शासकीय अनुदानों को जो कि प्रवर्तक योगदान की प्रकृति के हैं और जिनका संबंध निर्धारित अचल सम्पत्तियों से नहीं है, उन्हें संरक्षित पूंजी के रूप में क्रेडिट किया जाता है एवं कारपस फंड का हिस्सा माना जाता है।
3. ए एंड ओ ई व्यय से संबंधित शासकीय ग्रांट की पहचान लाभ एवं हानि लेखों में अन्य आय के रूप में की जाती है और वहन किये गये व्यय की सीमा तक की जाती है तथा उपयोग में नहीं लायी गई राशि को आगे बढ़ाकर उसके उपयोग किये जाने वाले वर्ष की आय के रूप में लेखाबद्ध किया जाता है।



xiv) **संबंधित पक्षों द्वारा जाहिर :-** लेखांकन मानक 18 के अनुसार संबंधित पक्षों के साथ समव्यवहार का उजागर करना जिन लेखांकन मानकों के द्वारा परिभाषित है, वह निम्नानुसार है।

1. संबंधित पक्षों की सूची

ए) संबंधित पक्षों की सूची जहां पर नियंत्रण रखा जाता है।

अ.क्र.	पार्टी का नाम	संबंध का प्रकार
1.	मध्यप्रदेश शहरी विकास कम्पनी लिमिटेड	धारित कम्पनी
2.	इन्दौर नगर निगम	पर्याप्त रूचि

ब) प्रबंधकीय व्यक्तिगण

अ.क्र.	पार्टी का नाम	संबंध का प्रकार
1.	श्री रोहन सक्सेना	मुख्य कार्यकारी अधिकारी
2.	सी.ए. संतोष काग	मुख्य वित्त अधिकारी
3.	सी.एस. अनुराग सक्सेना	कम्पनी सचिव

2) संबंधित पक्ष से व्यवहार

अ.क्र.	पार्टी का नाम	व्यवहार का प्रकार	राशि (रुपयों में)
1.	सी.ए. संतोष काग	वेतन	4,62,727
2.	सी.एस. अनुराग सक्सेना	वेतन	3,89,683

### 3. लेखा पर नोट्स

- यह कि 11.03.2016 को कम्पनी का आरंभ हुआ अतः 11.03.2016 से 31.03.2017 की अवधि हेतु लेखा पुस्तिका तैयार की गई है।
- निर्धारित बैंक नोट्स का प्रकटीकरण – वर्ष के दौरान कम्पनी ने मार्च 31, 2017, एम.सी.ए. अधिसूचना जीएसआर 308(ई) में परिभाषित अन्य मूल्य के नोट एवं बैंक नोट्स (एसबीएन) को निर्दिष्ट किया है। एसबीएन के विवरण जिन्हें कि धारित कर नवम्बर 8, 2016 से दिसम्बर 30, 2016 तक की अवधि के दौरान समव्यवहारित किया गया और जिन्हें मूल्यों के अनुसार एसबीएन एवं अन्य नोटों को अधिसूचना के आधार पर विवरणित किया गया है जो कि निम्नानुसार है

विवरण	एसबीएन	अन्य मूल्यवर्ग के नोट	कुल
8.11.2016 के अन्त में हस्तस्थ रोकड़	0	0	0
(+) स्वीकार्य पावतियाँ	0	0	0
(-) स्वीकार्य भुगतान	0	0	0
(-) बैंक में जमा राशि	0	0	0
30.12.2016 को हस्तस्थ रोकड़	0	0	0

इस कंडिका के प्रयोजन हेतु “निर्धारित किये गये बैंक नोट” का वही अर्थ होगा जो कि केन्द्र शासन, वित्त मंत्रालय, वित्तीय मामले संबंधी विभाग, क्रमांक एसओ 3407(ई) दिनांक 8.11.2016 की अधिसूचना में दिया गया है।



III) पूंजी लेख पर निष्पादित होने वाले बची हुई अनुबंध की आंकलित राशियों (अग्रिमों का शुद्ध) की 31.03.2017 की स्थिति निम्नानुसार है :-

अ.क्र.	विवरण	अनुबंध कीमत (करोड़ में)	पुस्तकों में उपलब्ध	शेष
1.	बियाबाणी एवं सुभाष मार्ग इन्दौर में 11 के.वी. एवं एल.टी. अन्दरग्राउन्ड केबलिंग प्रणाली की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण एवं चालू किया जाना जिसके साथ काम्पेक्ट सब-स्टेशन पर पर स्मार्ट सिटी मिशन अंतर्गत कार्य होना।	9.04	0	9.04
2.	व्यास पुल का निर्माण जिंसी डिपो व्हाया बड़ा गणपति	11.72	6.30	5.42
3.	सड़कों में सुधार (राजमोहल्ला से बड़ा गणपति)	10.44	0.68	9.76
4.	जिंसी हाट बाजार का पुर्नविकास एवं सहायक भवनों का निर्माण	9.12	0.36	8.76
5.	छत्रीबाग पुल का निर्माण	5.03	0	5.03
6.	सेंट्रल मैदान का निर्माण एवं बियाबाणी रोड तथा सुभाष मार्ग इन्दौर में इलेक्ट्रिक पोल का कार्य	2.46	0	2.46
7.	सड़कों में सुधार (महुनाका से टोरी कार्नर)	18.46	8.68	9.78

संलग्न नोट्स वित्तीय विवरणों का अभिन्न हिस्सा है।

निदेशक मंडल की ओर से एवं हेतु

**इन्दौर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड**

सही/-

**(निशांत वरवडे)**

अध्यक्ष

डीआईएन 05340409

सही/-

**(रचना गौर)**

मुख्य वित्त अधिकारी

एम.नं. 410808

दिनांक : 16 नवंबर 2017

स्थान : इन्दौर

सही/-

**(मनीष सिंह)**

कार्यकारी निदेशक

डीआईएन 05277748

सही/-

**(अनुराग कुमार सक्सेना)**

कम्पनी सचिव

एम.नं. एफ8115

यहाँ तक की दिनांक तक हमारा प्रतिवेदन

**फॉर गुप्ता एंड अशोक**

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

फर्म पंजीयन क्र. 00224सी

सही/-

**(सी.ए. अशोक अग्रवाल)**

भागीदार

एम. नं. 071274



## **Indore Smart City Development Limited**

Smart City Office, Nehru Park Campus, Indore, M.P., 452003  
Ph. No.: 0731-2535572; E-mail: smartcityindore16@gmail.com  
CIN: U75100MP2016SGC035528; Website: www.smartcityindore.org

### **NOTICE**

**NOTICE** is hereby given that the 1<sup>st</sup> Annual General Meeting of the Members of the Company shall be held on Saturday, the 23<sup>rd</sup> day of December 2017 at 4.00 PM at the Registered Office of the Company at Smart City Office, Nehru Park Campus, Indore, MP, 452003 to transact the following business.

#### **I. ORDINARY BUSINESS:**

1. To receive, consider and adopt the Audited Balance Sheet and Statement of Profit & Loss of the Company for the year ended 31st March, 2017 together with the Board's Report & Independent Auditor's Report thereon.
2. To appoint a Director in place of Mr. Gajra Mehta (DIN:07578666), who retires by rotation and, being eligible, offer himself for re-appointment.
3. To appoint a Director in place of Mr. Rajesh Nagal (DIN:07084452), who retires by rotation and, being eligible, offer himself for re-appointment.
4. To appoint a Director in place of Mr. Krishna Kumar Songaria (DIN:07623713), who retires by rotation and, being eligible, offer himself for re-appointment.
5. To take on record the appointment of statutory auditors of the Company.

Place: Indore

Date: 23/12/2017

**For & on behalf of Board of Directors of  
Indore Smart City Development Limited**

Sd/-

**Anurag Kumar Saxena**  
**Company Secretary**  
**FCS No.:8115**

#### **NOTE:**

1. A Member entitled to attend and vote at the Meeting is entitled to appoint a Proxy to attend and vote instead of himself and the proxy need not be a Member. Proxy in order to be effective must be received by the Company not less than 48 hours before the Meeting
2. All documents referred to in the accompanying Notice and Statutory Register(s) are open for inspection at the Registered Office of the Company on all working days, except Saturdays between 11.00 A.M. to 1.00 P.M.
3. Members desire of obtaining any information concerning Accounts and Operations of the Company are requested to address their questions in writing to the Company at least 7 days before the date of the Meeting.



## ATTENDANCE SLIP

### FIRST ANNUAL GENERAL MEETING

Folio No.	
No. of shares(s) held	
Name & Address of Registered shareholder	


I certify that I/we am/are a registered shareholder / proxy for the registered shareholder of the Company.

I hereby record my presence at the **1<sup>st</sup> ANNUAL GENERAL MEETING** of the Company convened on **Saturday, the 23<sup>rd</sup> day of December 2017** at **Smart City Office, Nehru Park Campus, Indore, MP, 452003**

Note: Please complete this and hand it over at the entrance of the hall.

.....  
Member's / Proxy's Signature

**Route Map of Registered office of the Company i.e. "Smart City Office, Nehru Park Campus, Indore, MP, 452003"**





## Form No. MGT-11

### Proxy Form

[Pursuant to Section 105(6) of the Companies Act, 2013 and Rule 19(3) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014]

**CIN:** U75100MP2016SGC035528

**Name of the Company:** Indore Smart City Development Limited

**Registered office:** Smart City Office, Nehru Park Campus, Indore, MP, 452003

**Name of the member (s):**

**Registered address:**

**Email ID:**

**Folio No.:**

I/We, being the members of shares of the above named company, hereby appoint

1. **Name:**

**Address:**

**Email ID:**

**Signature:** .....or failing him

2. **Name:**

**Address:**

**Email ID:**

**Signature:** .....or failing him

3. **Name:**

**Address:**

**Email ID:**

**Signature:** .....

as my/our proxy to attend and vote (on a poll) for me/us and on my/our behalf at the **1<sup>st</sup> Annual General Meeting** of the Company, to be held on **Saturday, the 23<sup>rd</sup> day of December 2017 at Smart City Office, Nehru Park Campus, Indore, MP, 452003** and at any adjournment thereof in respect of such resolutions as are indicated below:

Resolution No.

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....



5. ....
6. ....
7. ....
8. ....
9. ....
10. ....
11. ....
12. ....
13. ....

Signed this.....day of .....2017.

Signature of shareholder(s)

Signature of Proxy holder(s)

Affix  
Revenue  
Stamp

Note: This form of proxy in order to be effective should be duly completed and deposited at the Registered Office of the Company, not less than 48 hours before the commencement of the Meeting.

**Notes:**

1. Proxy to be deposited at the Registered Office of the Company, not later than FORTY-EIGHT hours before the meeting.
2. All alterations made in the Form of Proxy should be initialed.
3. Please affix appropriate Revenue Stamp before putting signature.
4. In case of multiple proxies, proxy later in time shall be accepted.
5. A proxy need not be a shareholder of the Company.



## NOTICE

**NOTICE** is hereby given that the **adjourned 2<sup>nd</sup>** Annual General Meeting of the Members of the Company shall be held on Thursday, the 26<sup>th</sup> day of September 2019 at 2.15 PM at the Registered Office of the Company at Smart City Office, Nehru Park Campus, Indore, MP, 452003 to transact the following business.

### **I. ORDINARY BUSINESS:**

1. To receive, consider and adopt the comments from Comptroller and Auditor-General of India on Financial Statement, Auditors' Report etc. for the year ended 31<sup>st</sup> March, 2017 as Annexure to Board's Report.
2. To receive, consider and adopt the Audited Balance Sheet and Statement of Profit & Loss of the Company for the year ended 31<sup>st</sup> March, 2018 together with the Board's Report & Independent Auditor's Report with comments from Comptroller and Auditor-General of India thereon.

Place: Indore  
Date: 26.09.2019

By order of Board of Directors of  
Indore Smart City Development Limited  
Sd/-  
Anurag Kumar Saxena  
Company Secretary  
FCS No.:8115

### **NOTE:**

1. A Member entitled to attend and vote at the Meeting is entitled to appoint a Proxy to attend and vote instead of himself and the proxy need not be a Member. Proxy in order to be effective must be received by the Company not less than 48 hours before the Meeting.
2. All documents referred to in the accompanying Notice and Statutory Register(s) are open for inspection at the Registered Office of the Company on all working days, except Saturdays between 11.00 A.M. to 1.00 P.M.
3. Member's desire of obtaining any information concerning Accounts and Operations of the Company are requested to address their questions in writing to the Company at least 1 day before the date of the Meeting.

### ATTENDANCE SLIP

#### **2<sup>ND</sup> ADJOURNED ANNUAL GENERAL MEETING**

<b>Folio No.</b>	
<b>No. of shares(s) held</b>	
<b>Name &amp; Address of Registered shareholder</b>	

I certify that I/we am/are a registered shareholder / proxy for the registered shareholder of the Company.

I hereby record my presence at the 2<sup>nd</sup> Adjourned Annual General Meeting of the Company convened on Thursday, the 26<sup>th</sup> day of September 2019 at Smart City Office, Nehru Park Campus, Indore, MP, 452003.

.....  
Member's / Proxy's Signature

Note: Please complete this and hand it over at the entrance of the hall.





## Form No. MGT-11

### Proxy Form

[Pursuant to Section 105(6) of the Companies Act, 2013 and Rule 19(3) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014]

**CIN:** U75100MP2016SGC035528

**Name of the Company:** Indore Smart City Development Limited

**Registered office:** Smart City Office, Nehru Park Campus, Indore, MP, 452003

**Name of the member (s):**

**Registered address:**

**Email ID:**

**Folio No.:**

I/We, being the members of shares of the above named company, hereby appoint

1. **Name:**  
**Address:**  
**Email ID:**  
**Signature:** .....or failing him
2. **Name:**  
**Address:**  
**Email ID:**  
**Signature:** .....or failing him
3. **Name:**  
**Address:**  
**Email ID:**  
**Signature:** .....

as my/our proxy to attend and vote (on a poll) for me/us and on my/our behalf at the **2<sup>nd</sup> Adjourned Annual General Meeting** of the Company, to be held on **Thursday, the 26<sup>th</sup> day of September 2019** at **Smart City Office, Nehru Park Campus, Indore, MP, 452003** and at any adjournment thereof in respect of such resolutions as are indicated below:

Resolution No.

1. ....
2. ....

Signed this.....day of .....2019.

Signature of shareholder(s)

Signature of Proxy holder(s)

Affix  
Revenue  
Stamp

Note: This form of proxy in order to be effective should be duly completed and deposited at the Registered Office of the Company, not less than 48 hours before the commencement of the Meeting.

**Notes:**

1. Proxy to be deposited at the Registered Office of the Company, not later than FORTY-EIGHT hours before the meeting.
2. All alterations made in the Form of Proxy should be initialed.
3. Please affix appropriate Revenue Stamp before putting signature.
4. In case of multiple proxies, proxy later in time shall be accepted.
5. A proxy need not be a shareholder of the Company.



## **BOARD'S REPORT**

To,  
The Members,  
Indore Smart City Development Limited,  
Indore

The Directors of your company are pleased to present the 1<sup>st</sup> Board's Report together with the Audited Financial Statements of the Company for the year ended 31<sup>st</sup> March, 2017;

### **1. STATE OF AFFAIR, FINANCIAL PERFORMANCE AND FUTURE OUTLOOK**

#### **i) FINANCIAL RESULTS**

The Financial Results of the Company from 11/03/2016 to 31/03/2017 are summarized as under:

(Amount in Rs.)  
Year ended  
31.03.2017

Total Income	84333039.00
Profit/loss before providing Depreciation and Interest	720599.00
Less: Depreciation	720424.00
Interest	175.00
Profit/loss after depreciation	0.00
Less: Exceptional Item	0.00
Less: Extraordinary Item	0.00
Less: Current Tax	0.00
Less: Deferred Tax	3410423.00
Profit /Loss after taxation	3410423.00

#### **ii) OPERATIONS AND PERFORMANCE REVIEW**

Company was formed as SPV under the Smart City Mission of Government of India to develop the City of Indore as Smart City by overall development of city in terms of heritage, spiritual, infrastructure, transportation, Solid waste management education and technological smart solution in day to day activities of resident.

During the First year of operation and performance the Company's total income was Rs. 843.33 lacs and as a result company has earned profit of Rs. 34.10 lacs.

Your Company, on its part has taken various initiatives to improve its operating efficiency and revenue earning potential to bring profitability of Company. Your Directors are committed to take stringent measures to ensure Company's success in this challenging and competitive capital markets industry.



### iii) CHANGE IN NATURE OF BUSINESS

During the year there was no change in business activity of the company.

### iv) CHANGES IN SHARE CAPITAL

During the Financial Year, the company has allotted 10,35,60,000 Equity shares at Rs. 10/- amounting to Rs. 1,03,56,00,000 including shares issued to subscribers to the Memorandum and 10,34,60,000 Equity shares of Rs. 10/- each were allotted through Right Issue dated 23<sup>rd</sup> May of 2016. Further there was no change in capital structure of the company and there are no outstanding shares issued with differential rights, sweat equity or ESOS. However Company has received Grant from Government of India and Government of Madhya Pradesh and this amount can be utilized to raise the share capital of the Company upto Rs. 200.00 Cr.

## 2. EXTRACT OF ANNUAL RETURN

The details forming part of the extract of the Annual Return in form **MGT 9**, as required under Section 92 of the Companies Act, 2013 is included in this report as "**Annexure 1**".

## 3. NUMBER OF BOARD AND COMMITTEE MEETINGS

The Board of Directors duly met Six (6) times during the year. The details of Board Meetings are as follows:-

Sr. No.	Director	No. of Board Meetings		Attendance at the previous Annual General Meeting
		Held	Attended	
1.	Mr. Parikipandla Narahari	6	5	NA
2.	Mr. Manish Singh	6	6	NA
3.	Mr. Rakesh Singh	3	2	NA
4.	Mr. Rajesh Nagal	3	2	NA
5.	Mr. Gajra Mehta	3	2	NA
6.	Mr. Kumar Vinay Pratap	3	2	NA
7.	Mr. Krishna Kumar Songaria	2	1	NA
8.	Mr. Surendra Singh Rajpoot	2	1	NA
9.	Mr. Shankar Yadav	1	1	NA
10.	Mr. Mohit Bundas	0	0	NA
11.	Mrs. Priyanka Das	3	0	NA
12.	Mr. Rishikesha Thiruvankata Krishnan	0	0	NA

\*Note: Mr. Rishikesha Thiruvankata Krishnan was appointed as Independent Director w.e.f 12.05.2017 and Mr. Mohit Bundas was appointed as Director w.e.f 23.06.2017.



During the year under review Six (6) meetings of the Board of Directors were held on, 12.03.2016, 27.04.2016, 23.05.2016, 20.09.2016, 19.12.2016 and 27.03.2017 and in respect of which proper notices were given and proceedings were properly recorded in Minutes Book.

**DETAILS OF COMMITTEE MEETING:** - The Company is not required to constitute any committee during the year under review. The Audit Committee and Stakeholders Relationship Committee were constituted on 16.11.2017.

#### 4. DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT

Pursuant to the provisions of Section 134 (5) of the Companies Act, 2013, (the Act) your Directors confirm that:

- (a) In the preparation of the annual accounts for the year ended 31<sup>st</sup> March, 2017, the applicable accounting standards had been followed along with proper explanation relating to material departures, if any.
- (b) The directors had selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the company at the end of the financial year and of the profit and loss of the company for that period;
- (c) The directors had taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of this Act for safeguarding the assets of the company and for preventing and detecting fraud and other irregularities;
- (d) The directors had prepared the annual accounts on a going concern basis;
- (e) The Company had laid down internal financial controls to be followed and that such internal financial controls are adequate and were operating effectively.

Explanation.—For the purposes of this clause, the term “internal financial controls” means the policies and procedures adopted by the company for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to company's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information; and

- (f) The directors had devised proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively.

#### 5. REPORTING OF FRAUD BY STATUTORY AUDITORS

Further there was no fraud in the Company, which was required to report by statutory auditors of the Company under sub-section (12) of section 143 of Companies Act, 2013.



## 6. STATEMENT ON DECLARATION BY INDEPENDENT DIRECTOR

The Company has received declarations from all the Independent Directors of the company confirming that they meet the criteria of independence under sub-section (6) of section 149 of the Act.

## 7. NOMINATION, REMUNERATION COMMITTEE AND STAKEHOLDERS RELATIONSHIP COMMITTEE

The Company is required to constitute Nomination and Remuneration Committee under Section 178(1) of the Companies Act, 2013 and Rule 6 of the Companies (Meetings of Board and its Powers) Rules, 2014 but as there is only one Independent Director on Board, the company has not constituted the Committee. Further the company is not required to constitute Stakeholders Relationship Committee under Section 178(5) of the Companies Act, 2013.

## 8. (i) AUDITORS REPORT

The Auditors, in their report have referred to the Notes forming part of the Final Account, considering the principle of the materiality; the notes are self explanatory and do not need any further comments under section 134 of Companies Act, 2013. Further following qualifications are cited in the report:

1. Incorrect recognition of amount of expenditure of Rs. 16,84,62,889 as capital work in progress (note 5) instead of recognition of this amount as "Expenditure for smart city mission projects" and then reduction from corresponding liability (grant receipts), which has resulted in overstatement of "capital work in progress" and understatement of "Expenditure for smart city mission projects" by the same amount,
2. Incorrect recognition of amount of Grant received for smart city mission projects of Rs. 182,44,00,000 and interest income of Rs. 13,19,12,551 earned as 'shareholders' fund- Corpus Fund' instead of as 'current liabilities', which has resulted in over statements of "shareholder's funds" and understatement of "current liabilities" by that amount,
3. Incorrect recognition of amount of 'Grant received for administration and other office expenditure' of Rs. 10,00,00,000 as 'shareholder's fund-General Fund' instead of as 'current liabilities', which has resulted in over statements of shareholders' funds and understatement of current liabilities by that amount,
4. The Bank balances, Fixed deposit balances, balances of interest accrued on Fixed deposit receipts which are represented by the grant of Rs. 182,44,00,000 and interest income of Rs. 13,19,12,551 and remaining unutilized should have been shown as 'assets held in trust' instead of as Company's own assets.



The Chairman may comments point wise on such qualifications under Section 134(3)(f) of Companies Act, 2013:

1. Explanation to Point No.(1): The treatment of expenditure incurred on capital projects in progress of Rs. 16.85 Crore needs to be recognized in accordance with the AS-26. That all the capital projects that are being taken by the company will be in control of the company through Indore Municipal Corporation. The work when completed should be capitalized as Intangible Assets, being the Company having the right to use these assets for earning income.

That also Memorandum of Association of the Company states that the companies main object is to earn revenue by levying and collecting user charges, cess, fees, taxes, selling floor area ratio / floor space index and development rights etc. in the smart city area. That the capital projects undertaken by the company will entitle the company to earn future income thus there will be future economic benefits which will flow to the enterprise.

Accordingly, the expenditure on capital projects needs to be recognised as capital work in progress.

2. Explanation to Point No. (2): That as per the Mission Statement and Guideline and further as per Article of Association, the company has received Fund from Central Government and State government in the shape of tied grant and is to be kept in separate Grant fund. This Grant Fund can be utilised only for the purpose laid down by the Central Government or the State Government or the state government undertaking. That as per para 16 of the Accounting Standard (AS) 12 "Accounting for Government Grants" as issued by "ICAI" the government grant of the nature of promoter's contribution should be credited to capital reserve and treated as part of shareholders' funds.

Hence the Project Funds of Rs. 182.44 Crore and interest income of Rs. 13.19 Crores is treated as shareholders' fund and separately shown under the head Reserve and surplus as corpus fund.

3. Explanation to Point No.(3): That in regard to treatment of balance fund towards Administrative & Office Expenses (A&OE) amounting to Rs. 1.66 Crore as on 31.03.2017, we have relied on para 15 of Accounting Standard (AS) 12 – "Accounting for Government Grants" issued by ICAI, which states that *Government grants related to revenue should be recognised on a systematic basis in the profit and loss statement over the periods necessary to match them with the related costs which they are intended to compensate. Such grants should either be shown separately under 'other income' or deducted in reporting the related expense.*

That we have adopted the policy of recognising grant related to A& OE Expenditure in Profit & Loss Account as other income to the extend the expenses incurred and unutilised amount carried over and accounted for as income in the year of utilisation.

That in regard to show it under the head current liability, we would like to state that, it is not an obligation on the company as on the Balance Sheet Date and cannot be recognised as liability in accordance with Accounting Standard (AS)-29 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent assets" which states that "A liability is a present obligation of the enterprise arising from past events, the settlement of which is expected to result in an outflow from the enterprise of resources embodying economic benefits."



Hence the same is treated as part of Revenue reserve of the company and as and when the same would be expended, it would be transferred to Profit and Loss Account of the company.

4. Explanation to Point No. (4): That with respect to treatment of Bank Balance, Fixed Deposit and Balance of Interest Accrued on Fixed Deposit Receipts, we would like to state that there is no obligation on the company as on the balance sheet date to repay back the Grant and the company has got the right towards the grant.

Thus this Bank Balance and fixed deposit are the current assets of the company and not held as money held in trust and hence recognised as Cash and Bank Balance under the head Other Current Assets which is also in confirmation with Schedule III to the Companies Act, 2013.

#### **(ii) STATUTORY AUDITORS**

On request of the Company, Comptroller and Auditor-General of India (C&AG) vide its order No. CA. V/COY/ MADHYA PRADESH, ISCDL (1)/1052 dated 18.08.2016, appointed M/s Gupta and Ashok, Chartered Accountants of Indore as Statutory Auditor for financial year ending on 31.03.2017, in terms of Section 139(5) of the Companies Act, 2013. And M/s Gupta and Ashok, Chartered Accountants have also given their consent to act as Statutory Auditor of the Company under Section 139 of the Companies Act, 2013 for the Financial Year 2016-17.

#### **(iii) COST RECORD AND/OR COST AUDIT**

The company does not falls within the provisions of Section 148 of Companies Act, 2013 read with the Companies (Cost records & Audit) Rules, 2014, therefore no such records required to be maintained.

#### **(iv) SECRETARIAL AUDIT REPORT**

Requirements of the provisions of Section 204 of the Companies Act, 2013 read with Rule 9 of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014, are applicable to the company. A Report from M/s P.S. Tripathi & Associates, Company Secretaries, the Secretarial Auditors of the Company has been received for the FY 2016-17. Secretarial Auditor as given following qualifications which are explained below:-

Point No. 2 of the Report:-

- a. Company has not appointed woman director on board in term of second proviso of section 149(1) of the Companies Act 2013, within three months from the cessation of office by Ms. Priyanka Das i.e. 16.09.2016 or next meeting of the Board whichever is later.

Explanation- Order for Nomination of Dr. Manju Sharma has been issued by Madhya Pradesh Urban Development Company Limited on 18.12.2017. The matter of her appointment as Director of the Company is considered in the Board Meeting held on 23.12.2017.



- b. Company has not appointed two independent Directors as per section 149 of the Act till 31.03.2017.

Explanation- One Independent Director has been appointed and Order for Nomination of the name of other Independent Director has not been issued by Madhya Pradesh Urban Development Company Limited. Company will appoint other Independent Director after obtaining nomination from MPUDCL.

- c. Company has not constituted Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee consisting majority of Independent Directors. This is non compliance of section 149, 177 and 178 of the Companies Act 2013.

Explanation- Audit Committee has been constituted on 16.11.2017 with one Independent Director. Further, Nomination and Remuneration Committee will be constituted after appointment of other Independent Directors.

- d. Company has not constituted various other committees as mentioned in clause no. 12.15 Articles of Association of the Company.

Explanation- Committees will be constituted after appointment of other Independent Directors.

- e. Company has not uploaded the various policies and information at its website, i.e. Notice of General Meetings, Notice of Resignation of Director, Terms and condition of Appointment of Independent Directors, Candidature of appointment of Director, Route Map of registered office and CIN.

Explanation- Steps to insert an additional Tab on Company's website [www.smartcityindore.org](http://www.smartcityindore.org) has been taken. Further, the enhancements will be done in the Indore Smart City Portal provisioned in the Command and Control Centre.

## **9. PARTICULARS OF LOANS, GUARANTEES OR INVESTMENTS UNDER SECTION 186**

During the year under review your Company has not provided loans/guarantees and made investments in terms of section 186 of the Companies Act, 2013, if any.

## **10. RELATED PARTY TRANSACTIONS**

During the year under review no transactions entered by company which falls under section 188 (1) of the Companies Act, 2013.

Further during the year under review there were no changes have occurred in the nature of business of the company.

## **11. TRANSFER TO RESERVES**

The Company has not transferred any amount to General Reserve during the year under review.





## 12. DIVIDEND

During the year under review due to requirement of funds and to strengthen the capital base of the Company, your Directors do not recommend any dividend for the Financial Year ended on March 31, 2017.

## 13. MATERIAL CHANGES AND COMMITMENTS AFFECTING FINANCIAL POSITION BETWEEN THE END OF THE FINANCIAL YEAR AND DATE OF REPORT

No material changes and commitments affecting the financial position of the Company occurred between the ends of the financial year to which this financial statement relate on the date of this report.

## 14. CONSERVATION OF ENERGY, TECHNOLOGY ABSORPTION AND FOREIGN EXCHANGE EARNING & OUTGO

### 1. CONSERVATION OF ENERGY

#### a. The steps taken or impact on conservation of energy-

The company is putting continues efforts to reduce the consumption of energy and maximum possible saving of energy.

#### b. The steps taken by the company for utilizing alternate sources of energy-

The Company has used alternate source of energy, whenever and to the extent possible

#### c. The capital investment on energy conservation equipments- NIL

### 2. TECHNOLOGY ABSORPTION

#### a. the effort made towards technology absorption-

No specific activities have been done by the Company.

#### b. the benefits derived like product improvement, cost reduction, product development or import substitution-

No specific activity has been done by the Company.

#### c. in case of imported technology imported during the last three years reckoned from the beginning of the financial year :- **NA**

#### d. the expenditure incurred on Research & Development. - **NIL**

### 3. FOREIGN EXCHANGE EARNINGS AND OUTGO

There are no Foreign Exchange earnings and outgoings were taken place during the financial year as required by Companies (Accounts) Rules, 2014.



#### **15. STATEMENT INDICATING DEVELOPMENT & IMPLEMENTATION OF RISK MANAGEMENT POLICY**

The Board of Directors of the Company state that risk associated in the ordinary course of business is duly taken care by the Board while taking business decisions. Further the company need not required to formulate any specified risk management policy.

#### **16. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY STATEMENTS**

The company is not required to provide statement on Corporate Social Responsibility as per Section 134 (3) of the companies Act, 2013 as the company do not fall under the criteria provided under section 135 (1) of Companies Act, 2013, therefore no such committee was constituted.

#### **17. ANNUAL EVALUATION OF PERFORMANCE OF BOARD**

The being the Government Company, not required to carry formal annual evaluation by the Board of its own performance and that of its committees and individual directors pursuant to Section 134 (3) (p) of the Companies Act, 2013 and Rule 8(4) of the Companies (Accounts) Rules, 2014. Although, Directors of the Company are vigilant towards their duties and responsibilities as Director of the Company.

#### **18. VOTING RIGHTS OF EMPLOYEES**

During the year under review the company has not given loan to any employee for purchase of its own shares as per section 67 (3) (c) of Companies Act, 2013. Therefore the company not required to made disclosure as per rule 16 (4) of Companies (Share Capital and Debentures) Rules, 2014.

#### **19. DISCLOSURE REGARDING ISSUE OF EMPLOYEE STOCK OPTIONS**

The Company does not have issued shares under employee's stock options scheme pursuant to provisions of Section Rule 12(9) of Companies (Share Capital and Debenture Rules, 2014). So question does not arise about voting rights not exercised by employee.

#### **20. DISCLOSURE REGARDING ISSUE OF SWEAT EQUITY SHARES**

The Company does not have issued sweat equity shares pursuant to provisions of Section 54 read with Rule 8 of Companies (Share Capital and Debenture Rules, 2014) during the Financial Year.

#### **21. DIRECTORS AND KEY MANAGERIAL PERSONNEL**

During the year Ms. Priyanka Das ceases to hold Directorship in the company. Further Mr. Rakesh Singh, Mr. Rajesh Nagal, Mr. Gajra Mehta, Mr. Kumar Vinay Pratap, Mr. Krishna Kumar Songaria, Mr. Surendra Singh Rajpoot and Mr. Shankar Yadav were appointed as Nominee Directors. Further Mr. Anurag Kumar Saxena was appointed as Company Secretary of the company, Mr. Rohan Saxena appointed as Chief Executive



Officer and Mr. Santosh Kag was appointed as Chief Financial Officer.

Further, Mr. Rishiksha Thiruvankata Krishnan appointed as Independent Director w.e.f 12/05/2017, Mr. Mohit Bundas was appointed as Director w.e.f 23/06/2017. Mr. Ashwini Kumar appointed as Director w.e.f. 14/09/2017 in place of Mr. Kumar Vinay Pratap. Mr. Nishant Warwade appointed as Nominee Director w.e.f 18/09/2017 and Mr. Parikipandla Narahari ceases to hold Directorship in the company. Mr. Rakesh Singh also ceased to hold Directorship in the company w.e.f. 18/09/2017 due to Nomination of Mr. Gautam Singh as Director in the Company. Mr. Santosh Kag ceases as Chief Financial Officer of the Company and Mrs. Rachana Parasar was appointed as Chief Financial Officer w.e.f. 29/09/2017 in place of Mr. Santosh Kag.

Mr. Gajra Mehta, Mr. Rajesh Nagal and Mr. Krishna Kumar Songaria are liable to retire by rotation at ensuing Annual General Meeting and being eligible offer themselves for reappointment.

#### **DISQUALIFICATIONS OF DIRECTORS**

During the year declarations received from the Directors of the Company pursuant to Section 164 of the Companies Act, 2013. Board appraised the same and found that none of the director is disqualified for holding office as director.

#### **22. SUBSIDIARY, ASSOCIATE COMPANIES AND JOINT VENTURE**

The Company does not have any Subsidiary Company, Joint venture or Associate Company. Although the company is a Subsidiary Company of Madhya Pradesh Urban Development Company Limited.

#### **23. DEPOSITS**

The Company has not accepted any deposits from public within the meaning of section 73 of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Acceptance of Deposits) Rules, 2014.

#### **24. SIGNIFICANT AND MATERIAL ORDERS PASSED BY THE REGULATORS OR COURTS**

There are no significant material orders passed by the Regulators / Courts/ Tribunals impacting the going concern status of the Company and its future operations.

#### **25. INTERNAL CONTROL SYSTEM AND THEIR ADEQUACY**

The internal control system with respect to financial statement and there adequacy has been duly take care by the Board of Directors of the Company. The internal controls exist in the system and that sufficient measures are taken to update the internal control system, as and when needed. The system also ensures that all transaction are appropriately authorized, recorded and reported as and when required.



## 26. HOLDING OF OFFICE BY INDEPENDENT DIRECTOR

Only 1 Independent Director is appointed in the Board of the Company and the company is required to appoint minimum number of Independent directors in the board for compliance with the Companies Act 2013.

## 27. AUDIT COMMITTEE

The Company is required to constitute Audit Committee as required under section 177 (1) of Companies Act, 2013 and Rule 6 of the Companies (Meetings of Board and its Powers) Rules, 2014. Company has constituted Audit Committee after 31.03.2017 in the Board Meeting held on 16.11.2017. Constitution of Committee is as under:

Sr. No.	Name of Director	Category	DIN	Chairman / Member
1	Mr. Rishikesha Thiruvankata Krishnan	Independent Director	00064067	Chairman
2	Mr. Rajesh Nagal	Non-executive Director	07084452	Member
3	Mr. Gajra Mehta	Non-executive Director	07578666	Member

## 28. ESTABLISHMENT OF VIGIL MECHANISM

Your company does not meet the requirements of section 177(9) of company's act, 2013 read with rule 7 of the Companies (Meetings of Board and its Powers) Rules for establishing Vigil Mechanism, therefore no such mechanism was established by the Board.

## 29. COMMISSION RECEIVED BY DIRECTORS FROM HOLDING/SUBSIDIARY

During the year under review none of the director of the company in receipt of the commission or remuneration from holding or subsidiary company of the company, if any as provided under section 197 (14) of Companies Act, 2014.

## 30. PARTICULARS OF EMPLOYEES

None of the employee of the company is drawing remuneration of Rs. 1,02,00,000/- (Rupees One Crore and Two Lakh) per annum or more if employed throughout the Financial Year or Rs. 8,50,000/- (Rupees Eight Lakh and Fifty Thousand) per month if employed for a part of the Financial Year. Further, also that none of the employee was in receipt of remuneration in excess of that drawn by the Managing Director or Whole-time Director or Manager (wherever they are appointed), and does not hold by himself or along with his spouse and dependent children, 2 (two) percent or more equity shares of the Company. Further, that the mentioned disclosure is for the employees other than Directors of the Company and details regarding Directors have been given in MGT-9 which is annexed as **Annexure-I** with this report.



### 31. VISHAKA COMMITTEE

During the financial year ended on 31.03.2017 there were not more than 10 employees in the Company; therefore Company was not required to constitute Internal Complaint Committee under the provisions of the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013.

### 32. ACKNOWLEDGEMENT

Your Directors are also thankful to the Members of the Company for their faith and confidence in the Management of the Company.

Place: Indore  
Date: 23.12.2017

**For & on behalf of Board of Directors of  
Indore Smart City Development Limited**

Sd/-  
**MANISH SINGH**  
Executive Director  
DIN: 05277748

Sd/-  
**NISHANT WARWADE**  
Chairman  
DIN: 05340409



## Annexure-I

### FORM NO. MGT 9

#### EXTRACT OF ANNUAL RETURN

As on financial year ended on 31/03/2017

Pursuant to Section 92 (3) of the Companies Act, 2013 and rule 12(1) of the Company (Management & Administration) Rules, 2014

#### I. REGISTRATION & OTHER DETAILS:

1.	CIN	U75100MP2016SGC035528
2.	Registration Date	11/03/2016
3.	Name of the Company	Indore Smart City Development Limited
4.	Category/Sub-category of the Company	Company limited by share / State Government Company
5.	Address of the Registered office & contact details	Smart City Office, Nehru Park Campus, Indore MP, 452003 IN Email Id: smartcityindore16@gmail.com Contact: 0731-2535572
6.	Whether listed company	No
7.	Name, Address & contact details of the Registrar & Transfer Agent, if any	Not Applicable

#### II. PRINCIPAL BUSINESS ACTIVITIES OF THE COMPANY

All the business activities contributing 10 % or more of the total turnover of the company shall be stated:-

S. No.	Name and Description of main Products/Services	NIC Code of the Product/Service	% to total turnover of the company
-	-	-	-

#### III. PARTICULAR OF HOLDING, SUBSIDIARY AND ASSOCIATE COMPANIES-Company not having any holding/ Subsidiary/ Joint Venture/ Associate

S. NO.	Name And Address Of The Company	CIN/GLN	Holding /Subsidiary/ Associate	% OF SHARE HELD	APPLICABLE SECTION
1.	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil



#### IV. SHARE HOLDING PATTERN (Equity Share Capital Breakup as percentage of Total Equity)-

##### I) CATEGORY-WISE SHARE HOLDING

Category of Shareholders	No. of Shares held at the beginning of the year [As on 11-March-2016]				No. of Shares held at the end of the year [As on 31-March-2017]				% Change during the year
	Demat	Physical	Total	% of Total Shares	Demat	Physical	Total	% of Total Shares	
<b>A. Promoter(s)</b>									
<b>(1) Indian</b>									
a) Individual/HUF	-	50	50	0.05	-	50	50	0.00	Nil
b) Central Govt.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c) State Govt(s)	-	49990	49990	49.99	-	51779990	51779990	50.0	Nil
d) Bodies Corp.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e) Banks/FI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
f) Any Other (Local Body)	-	49960	49960	49.96	-	51779960	51779960	50.0	Nil
<b>Sub-total(A)(1)</b>	Nil	100000	100000	100	-	103560000	103560000	100.00	Nil
<b>(2) Foreign</b>									
a) NRIs-Individuals	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) Other-Individuals	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c) Bodies Corp.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d) Banks/FI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e) Any Other	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Sub total (A)(2)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total Shareholding of Promoters(A)= (A)(1) + (A)(2)</b>	Nil	100000	100000	100	-	103560000	103560000	100.00	Nil
<b>B. Public Shareholding</b>									
<b>1. Institutions</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a) Mutual Funds	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) Banks/FI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c) Central Govt.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d) State Govt.(s)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e) Venture Capital Funds	-	-	-	-	-	-	-	-	-
f) Insurance Companies	-	-	-	-	-	-	-	-	-
g) FII's	-	-	-	-	-	-	-	-	-
h) Foreign Venture Capital Funds	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i) Other (specify)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Sub total (B)(1)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-



<b>2. Non-Institutions</b>									
a) Bodies Corp.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i) Indian	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) Overseas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) Individuals	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i) Individual Shareholders holding nominal share capital upto Rs. 1 lakh	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) Individual shareholders holding nominal share capital in excess of Rs. 1 Lakh	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c) Others (specify)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Sub-total (B)(2)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total Public</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Shareholding (B)=(B)(1) + (B)(2)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C. Shares held by Custodian for GDRs & ADRs	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Grand Total (A+B+C)</b>	Nil	100000	100000	100	-	103560000	103560000	100.00	Nil

\*Note: 50 shares held by Individuals are held in the capacity of State Government and Local body.

**ii) SHAREHOLDING OF PROMOTER -**

S.N.	Shareholder's Name	Shareholding at the beginning of the year			Shareholding at the end of the year			% Change in Shareholding during the year
		No. of Shares	% of total Shares of the company	% of Shares Pledged/encumbered to total shares	No. of Shares	% of total Shares of the company	% of Shares Pledged/encumbered to total shares	
1.	*Mr. Parikipandla Narahari	10	0.01	-	10	0.00	-	-
2.	Indore Municipal Corporation	49960	49.96	-	51779960	50.00	-	0.04
3.	*Mr. Rohan Saxena	10	0.01	-	10	0.00	-	-
4.	*Mr. Rakesh Singh	10	0.01	-	10	0.00	-	-
5.	*Mr. Rajesh Nagal	10	0.01	-	10	0.00	-	-
6.	Madhya Pradesh Urban Development Co Limited	49990	49.99	-	51779990	50.00	-	0.01
7.	**Mrs. Manju Sharma	10	0.01	-	10	0.00	-	-

\*Shares held in the Capacity of Nominee of Indore Municipal Corporation

\*\* Shares held in the Capacity of Nominee of Madhya Pradesh Urban Development Co. Limited.





**iii) CHANGE IN PROMOTERS' SHAREHOLDING (please specify, if there is no change)**

S.N.	Particulars	Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
		No. of Shares	% of total shares of the company	No. of Shares	% of total shares of the company
1.	*Mr. Parikipandla Narahari				
	At the beginning of the year	10	0.00	10	0.00.
	Transactions During the Year	-	-	10	0.00
	At the end of the year	10	0.00	10	0.00
2.	Indore Municipal Corporation				
	At the beginning of the year	49960	0.05	49960	0.05
	Allotment dated 23.05.2016	51730000	49.95	51779960	50.00
	At the end of the year	51779960	50.00	51779960	50.00
3.	*Mr. Rohan Saxena				
	At the beginning of the year	10	0.00	10	0.00
	Transactions During the Year	-	-	10	0.00
	At the end of the year	10	0.00	10	0.00
4.	*Mr. Rakesh Singh				
	At the beginning of the year	10	0.00	10	0.00
	Transactions During the Year	-	-	10	0.00
	At the end of the year	10	0.00	10	0.00
5.	*Mr. Rajesh Nagal				
	At the beginning of the year	10	0.00	10	0.00
	Transactions During the Year	-	-	10	0.00
	At the end of the year	10	0.00	10	0.00
6.	Madhya Pradesh Urban Development Co Limited				
	At the beginning of the year	49990	0.05	49990	0.05
	Allotment dated 23.05.2016	51730000	49.95	51779990	50.00
	At the end of the year	51779990	50.00	51779990	50.00
7.	**Mrs. Manju Sharma				
	At the beginning of the year	10	0.00	10	0.00
	Transactions During the Year	-	-	10	0.00
	At the end of the year	10	0.00	10	0.00

\*Shares held in the Capacity of Nominee of Indore Municipal Corporation

\*\* Shares held in the Capacity of Nominee of Madhya Pradesh Urban Development Co Limited.



**iv) SHAREHOLDING PATTERN OF TOP TEN SHAREHOLDERS: NA**

**(Other than Directors, Promoters and Holders of GDRs and ADRs):-**

S.N.	For each of the Top 10 Shareholders	Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
		No. of Shares	% of total shares of the company	No. of Shares	% of total shares of the company
1.	At the beginning of the year	-	-	-	-
2.	Transactions During the Year	-	-	-	-
3.	At the end of the year	-	-	-	-

**v) SHAREHOLDING OF DIRECTORS AND KEY MANAGERIAL PERSONNEL:**

S.N.	Shareholding of each Directors and each Key Managerial Personnel	Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
		No. of Shares	% of total shares of the company	No. of Shares	% of total shares of the company
1.	<b>*Mr. Parikipandla Narahari</b>				
	At the beginning of the year	10	0.00	10	0.00.
	Transactions During the Year	-	-	10	0.00
	At the end of the year	10	0.00	10	0.00
2.	<b>Mr. Manish Singh</b>				
	At the beginning of the year	-	-	-	-
	Transactions During the Year	-	-	-	-
	At the end of the year	-	-	-	-
3.	<b>*Mr. Rohan Saxena</b>				
	At the beginning of the year	10	0.00	10	0.00
	Transactions During the Year	-	-	10	0.00
	At the end of the year	10	0.00	10	0.00
4.	<b>*Mr. Rakesh Singh</b>				
	At the beginning of the year	10	0.00	10	0.00
	Transactions During the Year	-	-	10	0.00
	At the end of the year	10	0.00	10	0.00
5.	<b>*Mr. Rajesh Nagal</b>				
	At the beginning of the year	10	0.00	10	0.00
	Transactions During the Year	-	-	10	0.00
	At the end of the year	10	0.00	10	0.00



6.	<b>***Mrs. Priyanka Das</b>				
	At the beginning of the year	-	-	-	-
	Transactions During the Year	-	-	-	-
	At the end of the year	-	-	-	-
7.	<b>Mr. Gajra Mehta</b>				
	At the beginning of the year	-	-	-	-
	Transactions During the Year	-	-	-	-
	At the end of the year	-	-	-	-
8.	<b>Mr. Krishna Kumar Songaria</b>				
	At the beginning of the year	-	-	-	-
	Transactions During the Year	-	-	-	-
	At the end of the year	-	-	-	-
9.	<b>Mr. Kumar Vinay Pratap</b>				
	At the beginning of the year	-	-	-	-
	Transactions During the Year	-	-	-	-
	At the end of the year	-	-	-	-
10.	<b>Mr. Surendra Singh Rajpoot</b>				
	At the beginning of the year	-	-	-	-
	Transactions During the Year	-	-	-	-
	At the end of the year	-	-	-	-
11.	<b>Mr. Shankar Yadav</b>				
	At the beginning of the year	-	-	-	-
	Transactions During the Year	-	-	-	-
	At the end of the year	-	-	-	-
12.	<b>Mr. Mohit Bundas</b>				
	At the beginning of the year	-	-	-	-
	Transactions During the Year	-	-	-	-
	At the end of the year	-	-	-	-
13.	<b>Mr. Rishikesh Thiruvankata Krishnan</b>				
	At the beginning of the year	-	-	-	-
	Transactions During the Year	-	-	-	-
	At the end of the year	-	-	-	-
14.	<b>Mr. Anurag Kumar Saxena</b>				
	At the beginning of the year	-	-	-	-
	Transactions During the Year	-	-	-	-
	At the end of the year	-	-	-	-
15.	<b>Mr. Santosh Kag</b>				
	At the beginning of the year	-	-	-	-
	Transactions During the Year	-	-	-	-
	At the end of the year	-	-	-	-

\*Shares held in the Capacity of Nominee of Indore Municipal Corporation

\*\*\* During the year Mrs. Priyanka Das ceases to be the director of the company



#### v) INDEBTEDNESS -

Indebtedness of the Company including interest outstanding/accrued but not due for payment.-

Particulars	Secured Loans Excluding deposits	Unsecured Loans	Deposits	Total Indebtedness
<b>Indebtedness at the beginning of the financial year</b>				
i) Principal Amount	-	-	-	-
ii) Interest due but not paid	-	-	-	-
iii) Interest accrued but not due	-	-	-	-
<b>Total (i+ii+iii)</b>	-	-	-	-
<b>Change in Indebtedness during the financial year</b>				
i) Addition	-	-	-	-
ii) Reduction	-	-	-	-
<b>Net Change</b>	-	-	-	-
<b>Indebtedness at the end of the financial year</b>				
i) Principal Amount	-	-	-	-
ii) Interest due but not paid	-	-	-	-
iii) Interest accrued but not due	-	-	-	-
<b>Total (i+ii+iii)</b>	-	-	-	-

#### vi. REMUNERATION OF DIRECTORS AND KEY MANAGERAL PERSONNEL-

##### A.REMUNERATION TO MANAGING DIRECTOR, WHOLE-TIME DIRECTORS AND/OR MANAGER:-NIL

S.N.	Particulars of Remuneration	Directors		Total Amount
1.	Gross salary	-	-	-
	(a) Salary as per provisions contained in section 17(1) of the Income-tax Act, 1961	-	-	-
	(b) Value of perquisites u/s 17(2) Income-tax Act, 1961	-	-	-
	(c) Profits in lieu of salary under section 17(3) Income- tax Act, 1961	-	-	-
2.	Stock Option	-	-	-
3	Sweat Equity	-	-	-
4.	Commission - as % of profit - others, specify...	-	-	-
5.	Others, please specify	-	-	-
6.	Total (A)	-	-	-
7.	Ceiling as per the Act	-	-	-



## B. REMUNERATION TO OTHER DIRECTORS – NIL

S.N.	Particulars of Remuneration	Name of Directors		Total Amount
1.	Independent Directors	Nil	Nil	Nil
	Fee for attending board committee meetings	Nil	Nil	Nil
	Commission	Nil	Nil	Nil
	Others, please specify	Nil	Nil	Nil
	Total (1)	Nil	Nil	Nil
2.	Other Non-Executive Directors	Nil	Nil	Nil
	Fee for attending board committee meetings	Nil	Nil	Nil
	Commission	Nil	Nil	Nil
	Others, please specify	Nil	Nil	Nil
3.	Total (2)	Nil	Nil	Nil
4.	Total (B)=(1+2)	Nil	Nil	Nil
5.	Total Managerial Remuneration	Nil	Nil	Nil
6.	Overall Ceiling as per the Act	Nil	Nil	Nil

## C. REMUNERATION TO KEY MANAGERIAL PERSONNEL OTHER THAN MD/MANAGER/WTD

S N	Particulars of Remuneration	Key Managerial Personnel			
		CEO	CS	CFO	Total
1.	Gross salary		Anurag Kumar Saxena	Santosh Kag	
	(a) Salary as per provisions contained in section 17(1) of the Income-tax Act, 1961	Nil	389683	462727	852410
	(b) Value of perquisites u/s 17(2) Income tax Act, 1961	Nil	Nil	Nil	Nil
	(c) Profits in lieu of salary under section 17(3) Income-tax Act, 1961	Nil	Nil	Nil	Nil
2.	Stock Option	Nil	Nil	Nil	Nil
3.	Sweat Equity	Nil	Nil	Nil	Nil
4.	Commission	Nil	Nil	Nil	Nil
	- as % of profit	Nil	Nil	Nil	Nil
	others, specify	Nil	Nil	Nil	Nil
5.	Others, please specify	Nil	Nil	Nil	Nil
	Total	Nil	389683	462727	852410



## VII. PENALTIES / PUNISHMENT/ COMPOUNDING OF OFFENCES:- NIL

Type	Section of the Companies Act	Brief Description	Details of Penalty / Punishment/ Compounding fees imposed	Authority [RD/ NCLT/ COURT]	Appeal made, if any (give Details)
<b>A. COMPANY</b>					
Penalty	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Punishment	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Compounding	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
<b>B. DIRECTORS</b>					
Penalty	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Punishment	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Compounding	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
<b>C. OTHER OFFICERS IN DEFAULT</b>					
Penalty	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Punishment	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Compounding	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil

Place: Indore  
Date: 23.12.2017

**For & on behalf of Board of Directors of  
Indore Smart City Development Limited**

Sd/-  
**MANISH SINGH**  
Executive Director  
DIN: 05277748

Sd/-  
**NISHANT WARWADE**  
Chairman  
DIN:05340409



**P.S. Tripathi & Associates**

Company Secretaries

**Swati Tripathi**  
B.Com., F.C.S.

**Pratik Tripathi**  
B.Sc., A.C.A., F.C.S.

306, Manas Bhavan Extn.  
11, RNT Marg, Indore, (M.P.) India  
Tel: +91 731 4043080, 4043089  
Email: tripathi.pratik@gmail.com  
Web: www.pstripathi.com

**Form No. MR-3**

## **SECRETARIAL AUDIT REPORT**

For The Financial Year Ended 31<sup>st</sup> March, 2017

[Pursuant to Section 204(1) of the Companies Act, 2013

and Rule No. 9 of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014]

To,  
The Members,  
**Indore Smart City Development Limited,**  
Indore

We have conducted the secretarial audit of the compliance of applicable statutory provisions and the adherence to good corporate practices by **Indore Smart City Development Limited** (hereinafter called the Company). Secretarial Audit was conducted in a manner that provided us a reasonable basis for evaluating the corporate conducts/statutory compliances and expressing my opinion thereon.

Based on our verification of **Indore Smart City Development Limited's** books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Company and also the information provided by the Company, its officers, agents and authorized representatives during the conduct of secretarial audit, we hereby report that in our opinion, the Company has, during the audit period ended on 31<sup>st</sup> March, 2017, has complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the Company has proper Board-processes and compliance-mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter:

1. **We have examined the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by Indore Smart City Development Limited for the period ended on 31<sup>st</sup> March, 2017 according to the provisions of:**
  - (i) The Companies Act, 2013 (**the Act**) and the Rules made thereunder;
  - (ii) The Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 ('**SCRA**') and the Rules made thereunder;
  - (iii) The Depositories Act, 1996 and the Regulations and Bye-laws framed thereunder (**Not applicable to the Company during the Audit Period**);
  - (iv) The Foreign Exchange Management Act, 1999 and the Rules and Regulations made thereunder to the extent of Foreign Direct Investment, Overseas Direct Investment and External Commercial Borrowings, (**no such transactions reported**);



## **P.S. Tripathi & Associates**

Company Secretaries

**Indore Smart City Development Limited**  
**Secretarial Audit Report for F.Y. 2016-17**

- (v) The following Regulations and Guidelines prescribed under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 ('SEBI Act'):- **(Not applicable to the Company during the Audit Period)**
- (a) The Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011;
  - (b) The Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 1992;
  - (c) The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009;
  - (d) The Securities and Exchange Board of India (Employee Stock Option Scheme and Employee Stock Purchase Scheme) Guidelines, 1999 (Not applicable to the Company during the Audit Period);
  - (e) The Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008 (Not applicable to the Company during the Audit Period);
  - (f) The Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) Regulations, 1993 regarding the Companies Act and dealing with client;
  - (g) The Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009 (Not applicable to the Company during the Audit Period); and
  - (h) The Securities and Exchange Board of India (Buyback of Securities) Regulations, 1998 (Not applicable to the Company during the Audit Period);
- (vi) Other Laws specifically applicable to the Company, as informed by management:-  
**NIL**

## **2. We have also examined compliance with the applicable clauses of the following:**

- (i) Secretarial Standards issued by The Institute of Company Secretaries of India.

During the period under review, the Company has materially complied with the provisions of the Act, Rules, Regulations, Guidelines, Standards, etc. mentioned above subject to followings:-

- a. Company has not appointed woman director on board in term of second proviso of section 149(1) of the Companies Act 2013, within three months from the cessation of office by Ms. Priyanka Das i.e. 16.09.2016 or next meeting of the Board whichever is later.
- b. Company has not appointed two independent Directors as per section 149 of the Act till 31.03.2017.





## P.S. Tripathi & Associates

Company Secretaries

Indore Smart City Development Limited  
Secretarial Audit Report for F.Y. 2016-17

- c. Company has not constituted Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee consisting majority of Independent Directors. This is non compliance of section 149, 177 and 178 of the Companies Act 2013.
- d. Company has not constituted various other committees as mentioned in clause no. 12.15 Articles of Association of the Company.
- e. Company has not uploaded the various policies and information at its website, i.e. Notice of General Meetings, Notice of Resignation of Director, Terms and condition of Appointment of Independent Directors, Candidature of appointment of Director, Route Map of registered office and CIN.

### 3. We further report that:

The Board of Directors of the Company is duly constituted with proper balance of Executive Directors, Non-Executive Directors except Independent Directors. The changes in the composition of the Board of Directors that took place during the period under review were carried out in compliance with the provisions of the Act.

Adequate notice is given to all directors to schedule the Board Meetings, agenda and detailed notes on agenda were sent at least seven days in advance or with shorter period, wherever required, and a system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting.

Majority decision is carried through while the dissenting members' views are captured and recorded as part of the minutes, wherever exist.

- 4. **We further report that** there are adequate systems and processes in the company commensurate with the size and operations of the Company to monitor and ensure compliance with applicable laws, rules, regulations and guidelines.
- 5. **We further report that** during the audit period the company has issued and allotted equity Shares on right issue basis.

For P.S. Tripathi & Associates  
Company Secretaries

Sd/-

Pratik Tripathi

Partner

C.P. No. 5358

Place: Indore

Date: 06<sup>th</sup> December, 2017

Note: This report is to be read with Annexure to Secretarial Audit Report of even date which is annexed with this report and forms an integral part of this report.



**P.S. Tripathi & Associates**

Company Secretaries

**Indore Smart City Development Limited**  
**Secretarial Audit Report for F.Y. 2016-17**

**Annexure to Secretarial Audit Report**

**To,  
The Members,  
Indore Smart City Development Limited  
Indore**

Our report of even date is to be read along with this letter.

1. Maintenances of secretarial records are the responsibility of the management of the Company. Our responsibility is to express an opinion on these secretarial records based on our audit.
2. We have followed the audit practices and processes as were appropriate to obtain reasonable assurance about the correctness of the contents of the secretarial records. The verification was done on test basis to ensure that correct facts are reflected in secretarial records. We believe that the processes and practices, we followed provide a reasonable basis for our opinion. Our report is based on said secretarial records.
3. We have not verified the correctness and appropriateness of financial records and Books of Accounts of the Company.
4. The compliance of the provisions of corporate and other specifically applicable laws, rules, regulations, standards is the responsibility of management. Our examination was limited to the verification of procedures on test basis. We have not gone through the laws which are general in nature and applicable to the Company.
5. The Secretarial Audit report is neither an assurance as to the future viability of the Company nor of the efficacy or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Company.
6. Where ever required, we have obtained the management representation and declaration about the compliance of laws, rules and regulation and happening of events etc.

**For P.S. Tripathi & Associates**  
Company Secretaries

**Place: Indore  
Date: 06<sup>th</sup> December, 2017**

Sd/-  
**Pratik Tripathi**  
Partner  
C.P. No. 5358



**ATTACHMENT TO BOARD'S REPORT**

क्रमांक : ओ ए डी (वाणि) / D-384

**भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग**

कार्यालय महालेखाकार

(सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा)

मध्य प्रदेश, ग्वालियर – 474 002

INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (G & SSA)

MADHYA PRADESH, GWALIOR - 474 002

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

इन्दौर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड

स्मार्ट सिटी ऑफिस, नेहरू पार्क कैंपस

इन्दौर, मध्यप्रदेश – 452003

दिनांक / DATE : 04.02.2019

**विषय : इन्दौर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड, इन्दौर के 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लेखाओं पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(ख) के अधीन भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ ।**

महोदय,

मैं इन्दौर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड, इन्दौर के 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लेखाओं पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(ख) के अधीन भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ सहित प्रमाण पत्र भेज रही हूँ। जिसे आप संचालकों के प्रतिवेदन के साथ अनुलग्नक के रूप में वार्षिक लेखों में प्रकाशित करें।

वार्षिक लेखे विधान सभा में प्रस्तुत करने के बाद उसकी 5 प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें तथा पत्र की पावती भिजवाएं।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

भवदीय

सही/-

(मोना जैन)

उपमहालेखाकार (सामाजिक क्षेत्र III)

क्रमांक/

प्रतिलिपि :-

प्रधान निदेशक (मध्य क्षेत्र), भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्यालय 9, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली की ओर, इन्दौर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड, इन्दौर के 31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लेखाओं के संबंध में भारत नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ जैसी कि संबंधित कम्पनी को भेजी गई है, अग्रेषित है।

— हस्ता—

उपमहालेखाकार

(सामाजिक क्षेत्र III)

ऑडिट भवन, झंसी रोड, ग्वालियर – 474 002, दूरभाष : 0751-2323504, 2323505, 2436827, फैक्स : 0751-2631290

AUDIT BHAWAN, JHANSI ROAD, GWALIOR-474002 Tele : 0751-2323504, 2323505, 2436827, Fax : 0751-2631290

E-Mail: agaumadhyapradesh1@cacg.gov.in



**COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143 (6) (b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF INDORE SMART CITY DEVELOPMENT LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2017**

The preparation of financial statements of Indore Smart City Development Limited for the year ended 31 March 2017 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 is the responsibility of the management of the company. The Statutory Auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139 (5) of the Act are responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143 (10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 16 November 2017.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit under section 143(6)(a) of the Act of the financial statements of Indore Smart City Development Limited for the year ended 31 March 2017. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records. Based on my supplementary audit, I would like to highlight the following significant matters under section 143(6)(b) of the Act which have come to my attention and which in my view are necessary for enabling a better understanding of the Financial Statements and the related audit report.

**A. Comments on Financial Position**

**Balance Sheet**

**Reserve & Surplus (Note — 3) -**

**Corpus Fund**

**Grant Received from MP Government Rs. 48.22 crore**

**Grant Received from Central Government: Rs. 134.22 crore**

1. As per mission statement and guidelines issued by Ministry of Urban Development, Government of India (GoI), for Smart City projects, Government of Madhya Pradesh (GoMP) decided (August 2017) that Paid up Capital of each Smart City Company should be Rs. 200 crore with equal share of respective Urban Local Body and MP Urban Development Company Limited (on behalf of GoMP). Equity shares were already allotted to the extent of Rs. 103.56 crore, however, balance Rs. 96.44 crore has been shown as Corpus fund under Reserves and Surplus instead of Share Application money pending allotment. This has resulted in overstatement of Reserves and Surplus by Rs. 96.44 crore and understatement of Share application money pending allotment by Rs. 96.44 crore.



## **B. Auditor's Report**

### **Comments on Auditors Report**

2. The following comments reported by the Auditor at opinion para 1 to 3 are incorrect as per requirement of Accounting Standard-12 and Mission Statement & Guidelines issued by Gol:
  - a. Recognition of amount of grant received for smart city mission projects of Rs. 182.44 crore and interest income of Rs. 13.19 crore earned as 'Shareholder Fund — Corpus Fund' is incorrect which should have been shown as 'Current Liabilities'.
  - b. Recognition of unspent balance of grant Rs. 10 crore received for Administration and other expenses as General Fund- Shareholders fund is incorrect as it should have been recognized as Current Liabilities.

## **C. General**

### **Non-Compliance of provision of Companies Act, 2013**

3. As per Section 143 (6) (b) of the Companies Act, 2013 that any comments of the Comptroller and Auditor General of India upon, or supplement to, the audit report shall be placed before the Annual General Meeting (AGM) of the company at the same time and in the same manner as the Auditor Report.

The company failed to comply with the above provision and placed the Financial Statements in the AGM held on 23 December 2017 without the comments of the Comptroller and Auditor General in violation of above provision of Companies Act, 2013.

### **Non-compliance of Company Accounting Rule, 2014**

#### **Internal audit**

4. As per Rule 13 of Companies Accounting Rule 2014, every unlisted company having paid up share capital of fifty crores rupees or more during the preceding financial year shall be required to appoint an internal auditor or a firm of internal auditor. But the company failed to appoint an internal auditor, and the internal audit is carried out by the Chief Financial Officer of the Company who is also related party to the transaction, being key management functionary.

Place : Gwalior  
Date : 04.02.2019

For and on behalf of the  
**Comptroller and Auditor General of India**

Sd/-  
**(Rajiv Kumar Pandey)**  
Accountant General  
(General & Social Sector Audit)  
Madhya Pradesh, Gwalior



## Annexure - II

### **BOARD EXPLANATION ON COMMENTS OF COMPTROLLER AND AUDITOR-GENERAL OF INDIA ON FINANCIAL ACCOUNTS OF F.Y. 2016-17**

S. No.	Particulars	Observations	Explanations
1.	A. Comments on Financial Position  Balance Sheet Reserve & Surplus (Note-3) Corpus Fund Grant Received from MP Government: Rs. 48.22 crore Grant Received from Central Government: Rs. 134.22 crore	As per mission statement and guidelines issued by Ministry of Urban Development, Government of India (Gol), for Smart City projects, Government of Madhya Pradesh (GoMP) decided (August 2017) that Paid up Capital of each Smart City Company should be Rs 200 crore with equal share of respective Urban Local Body and MP Urban Development Company Limited (on behalf of GoMP). Equity shares were already allotted to the extent of Rs 103.56 crore, however, balance Rs 96.44 crore has been shown as Corpus fund under Reserves and Surplus instead of Share Application money pending allotment. This has resulted in overstatement of Reserves and Surplus by Rs. 96.44 crore and understatement of Share Application money pending allotment by Rs. 96.44 crore.	<p>We received Rs.48.22 Cr. from State Government via letter No. Accounts /Smart City/2017/1682 dated 25.03.2017 of Directorate Urban Administration &amp; Development MP, Bhopal in the form of grant and the same was not received in the form of share application money.</p> <p>As per the provisions of The Companies Act, share application is to be received in separate bank account specifically for deposition of share application money and in the form of share application money itself from the allottee, hence in absence of this the amount received cannot be treated as share application money.</p> <p>As per para 10.4 of the Mission Statement &amp; Guidelines issued by ministry of Urban Development, Gol, the paid up capital of the SPV should be Rs. 200.00 Cr. The paid up capital of the company is Rs.103.56 Cr. as on 31.03.2017 and balance capital of Rs. 96.44 Cr. has been allotted as on 31.03.2018.</p> <p>The amount received in the form of grant and not as share application money cannot be presented as share application money pending for allotment and hence we made disclosure for the same by way of note under Note No 3, point 4 in the Financial Statements.</p>



S. No.	Particulars	Observations	Explanations
2.	B. Auditor's Report  Comments on Auditors Report	<p>2. The following comments reported by the Auditor at opinion para 1 to 3 are incorrect as per requirement of Accounting Standard-12 and Mission Statement &amp; Guidelines issued by Gol:</p> <p>a. Recognition of amount of grant received for smart city mission projects of Rs. 182.44 crore and interest income of Rs. 13.19 crore earned as 'Shareholder Fund-Corpus Fund' is incorrect which should have been shown as 'Current Liabilities'.</p> <p>b. Recognition of unspent balance of grant Rs. 10 crore received for Administration and other expenses as General Fund-Shareholders fund is incorrect as it should have been recognized as Current Liabilities.</p>	<p>Statutory Auditors submission in response to the observation of Id. Audit party are as follows—</p> <p>1. Kind attention is drawn to Annexure 6 to the smart city mission statement &amp; guidelines which specifically provides that out of the grants-in-aid sanctioned, the unspent amount, if any remaining, is required to be either surrendered to the Government or would be adjusted towards the grants-in-aid payable during the next year.</p> <p>Therefore, such amount bears the character of liability. It cannot be recognised as shareholders' funds.</p> <p>2. Further para 5.2 of Accounting Standard (AS) 12 "Accounting for Government Grants" reads as follows—</p> <p>Many government grants are in the nature of promoters' contribution, i.e., they are given with reference to the total investment in an undertaking or by way of contribution towards its total capital outlay and no repayment is ordinarily expected in the case of such grants. These should, therefore, be credited directly to shareholders' funds.</p> <p>Further Para 10.1 of Accounting Standard (AS) 12 "Accounting for Government Grants" provides that "Where the government grants are of the nature of promoters' contribution, i.e., they are given with reference to the total investment in an undertaking or by way of contribution towards its total capital outlay (for example, central investment subsidy scheme) and no repayment is ordinarily expected in respect thereof, the grants are treated as capital reserve which can be neither distributed as dividend nor considered as deferred income."</p> <p>On the basis of financial statements and other information available, it cannot be concluded that "no repayment is ordinarily expected in respect of grant"</p> <p>Therefore, in our view there is "Incorrect</p>





S.N.	Particulars	Observations	Explanations
			recognition of amount of Grant received for smart city mission projects of Rs. 182,44,00,000 and interest income of Rs. 13,19,12,551 earned as 'shareholders' fund-Corpus Fund' instead of as 'current liabilities', which has resulted in over statements of "shareholders' funds" and understatement of "current liabilities" by that amount"
3.	C. General Non-Compliance of provision of Companies Act, 2013	<p>2. As per Section 143(6)(b) of the Companies Act, 2013 that any comments of the Comptroller and Auditor General of India upon, or supplement to, the audit report shall be placed before the Annual General Meeting (AGM) of the company at the same time and in the same manner as the Auditor Report.</p> <p>The company failed to comply with the above provision and placed the Financial Statements in the AGM held on 23 December 2017 without the comments of the Comptroller and Auditor General in violation of above provision of Companies Act, 2013.</p>	<p>There is a provision related to Annual General Meeting in the Companies Act 2013 cited under Section 96 which says:</p> <p>Every company other than a One Person Company shall in each year hold in addition to any other meetings, a general meeting as its annual general meeting and shall specify the meeting as such in the notices calling it, and not more than fifteen months shall elapse between the date of one annual general meeting of a company and that of the next:</p> <p>Provided that in case of the first annual general meeting, it shall be held within a period of nine months from the date of closing of the first financial year of the company and in any other case, within a period of six months, from the date of closing of the financial year:</p> <p>Provided further that if a company holds its first annual general meeting as aforesaid, it shall not be necessary for the company to hold any annual general meeting in the year of its incorporation:</p> <p>Provided also that the Registrar may, for any special reason, extend the time within which any annual general meeting, other than the first annual general meeting, shall be held, by a period not exceeding three months.</p> <p>In our case, the Company's 1<sup>st</sup> Financial Year is completed on 31.03.2017; and as per provisions of Section 96(1) of the Companies Act, 2013 and rules 2014 made thereunder the 1<sup>st</sup> Annual General Meeting of the Company required to be held within a period of nine months from the date of closing of the first financial year of the company i.e. on or before 30.12.2017.</p>





S. No.	Particulars	Observations	Explanations
			<p>Considering, the requirement of compliances under Section 96(1) of the Companies Act, 2013 and avoidance of violation of provisions related to convening of 1<sup>st</sup> Annual General Meeting, the Company convened its 1<sup>st</sup> Annual General Meeting at shorter notice on Saturday, 23<sup>rd</sup> day of December 2017 at 4.00 PM at the Registered Office of the Company. Consent of all Shareholders for shorter notice was also taken for the same.</p> <p>Further, we have duly sent copies of Audited Financial Statements as required under sub section (1) of section 136 to every person entitled to receive the same.</p> <p>To fulfill the requirement under Section 143(6)(b) we will put up the same in next AGM.</p>
4.	<p>Non-compliance of Company Accounting Rule, 2014</p> <p>Internal audit</p>	<p>As per Rule 13 of Companies Accounting Rule 2014, every unlisted company having paid up share capital of fifty crores rupees or more during the preceding financial year shall be required to appoint an internal auditor or a firm of internal auditor. But the company failed to appoint an internal auditor, and the internal audit is carried out by the Chief Financial Officer of the Company who is also related party to the transaction, being key management functionary.</p>	<p>We have already appointed M/s M. Mehta &amp; Co. as Internal auditor of the company.</p>

**For & on behalf of Board of Directors**

Place: Indore  
Dated: 26/09/2019

Sd/-  
**Asheesh Singh, IAS**  
 (Executive Director)  
 DIN: 07636828

**Indore Smart City Development Limited**



## **GUPTA & ASHOK**

CHARTERED ACCOUNTANTS



202, Sunrise Tower  
579, M.G. Road, INDORE-452 001  
Phone : 0731-2539821, 4068859  
guptaandashokca@gmail.com

### **INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT**

The Members,  
Indore Smart City Development Limited,  
Indore.

#### **Report on the Financial Statements**

We have audited the accompanying financial Statements of **Indore Smart City Development Limited**, ("the company"), which comprise the Balance Sheet as at March 31, 2017, Statement of Profit and Loss for the year then ended and Cash Flow Statement for the year ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

#### **Management's Responsibility for the Financial Statements**

The Company' Board of Directors is responsible for the matters stated in section 134(5) of the Companies Act, 2013 ("the Act") with respect to the preparation and presentation of these financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Company in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards specified under section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies, making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

#### **Auditor's Responsibility**

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

We have taken into account the provisions of the Act, the accounting and auditing standards and matters which are required to be included in the audit report under the provisions of the Act and the Rules made thereunder.

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing specified under section 143(10) of the Act. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.



An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risk of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal financial controls relevant to the Company's preparation and fair presentation of the financial statements that give a true and fair view in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by the Company's Directors, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion on the financial statements.

#### Basis of qualified opinion

1. a. The Company has incurred expenditure of Rs. 16,84,62,889 during the year and classified those expenses as capital work in progress under schedule 7 'Fixed Assets' to balance sheet and more particularly as follows –

C.3 Work in Progress of Projects Undergoing Under	
Smart City Mission	
	<b>Rs.</b>
1. C.C Road From Bada Ganpati To Rajmohalla Square	67,82,650
2. C.C Road From Mhow Naka To Tori Corner	8,68,22,916
3. Con.Of Vyas Bridge To Jinsi Depot Via Bada Ganpati	6,29,52,404
4. Electrical cabling work	5,05,751
5. Heritage Conservation work	7,62,450
6. Redevelopment of Jinsi Haat Bazaar	49,93,668
7. Development of Kanh River front from Subhash Marg to Lal Bagh Bridge	56,43,050
<b>Total</b>	<b>16,84,62,889</b>

- b. Attention is drawn to note (b) to schedule 7 of financial statements which states as under –  
 'That while recognizing the projects which are undergoing under the Smart City mission as Capital WIP we have relied upon AS-10 issued by the Institute of Chartered Accountants of India, according to which " the cost of an item of property, plant & equipments should be recognised as an asset if, and only if : (a) it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the enterprise; and the cost of the item can be measured reliably. That as per Mission Statement & Guideline issued by MPUDCL, the future economic benefits may flow to the enterprise in monetary or non- monetary form, directly or indirectly in the form of provision of services in accordance with the entities' objective. That



in regard to cost, all cost directly attributable to cost of assets has been added to cost of capital WIP which is separately identifiable.'

- c. The aforesaid expenditures are not assets of the Company because of absence of-
    - i. ownership over the aforesaid tabulated properties,
    - ii. necessary control over these properties to use them to generate economic benefits,
    - iii. any authority to collect any money, taxes or charges from the users of such properties
    - iv. certainty that the necessary authorities to collect any money, taxes or charges would be delegated by government bodies to the Company,
    - v. association of the expected economic benefits, direct or indirect, with the expenditure incurred [para 7(a) of AS 10],
    - v. flow of the expected economic benefits to the Company.
  - d. Therefore, In our view, the expenditure of Rs. 16,24,62,889 incurred during the year should not be classified as Capital Work in progress of the Company.
2. The Company has received a grant of Rs. 182,44,00,000 as at reporting date from the central and state government to carry out smart city mission projects which has been shown under "shareholders funds" Note 3 "Reserves and Surplus" as 'Corpus Fund'. The interest income of Rs. 13,19,12,551 on such grant also forms part of the 'Corpus Fund'. The unspent amount, if any remaining, is required to be either surrendered to the Government or would be adjusted towards the grants-in-aid payable during the next year.

Such grant should be recognized as "Current liabilities" instead of as "shareholder's funds".

3. The Bank balances, Fixed deposit balances, balances of interest accrued on Fixed deposit receipts which are represented by the grant of Rs. 182,44,00,000 and interest income of Rs. 13,19,12,551 and remaining unutilized should have been shown as 'assets held in trust' instead of as Company's own assets.
4. The Company has received a grant of Rs. 10,00,00,000 as at reporting date from the government to meet administration and office expenditure which has been shown under "shareholders funds" Note 3 "Reserves and Surplus" as 'General Fund – Grant Received for A& OE Expenditure'. The unspent amount, if any remaining, is required to be either surrendered to the Government or would be adjusted towards the grants-in-aid payable during the next year.

Such grant should be recognized as "Current liabilities" instead of as "shareholder's funds".



## Opinion

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the financial statements give the information required by the Act in the manner so required and subject to -

1. Incorrect recognition of amount of expenditure of Rs. 16,84,62,889 as capital work in progress (note 5) instead of recognition of this amount as “Expenditure for smart city mission projects” and then reduction from corresponding liability (grant receipts), which has resulted in overstatement of “capital work in progress” and understatement of “Expenditure for smart city mission projects” by the same amount,
2. Incorrect recognition of amount of Grant received for smart city mission projects of Rs. 182,44,00,000 and interest income of Rs. 13,19,12,551 earned as 'shareholders' fund- Corpus Fund' instead of as 'current liabilities', which has resulted in over statements of “shareholders' funds” and understatement of “current liabilities” by that amount,
3. Incorrect recognition of amount of 'Grant received for administration and other office expenditure' of Rs. 10,00,00,000 as 'shareholders' fund-General Fund' instead of as 'current liabilities', which has resulted in over statements of shareholders' funds and understatement of current liabilities by that amount,

give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India, of the state of affairs of the Company as at 31<sup>st</sup> March, 2017, and its profit and cash flows for the year ended on that date.

## Report on other Legal and other Regulatory Requirements

1. As required by the Companies (Auditor's Report) Order, 2016 (“the order”) issued by the Central Government of India in terms of sub-section (11) of section 143 of the Act, we give in the Annexure-A, a statement on the matters specified in paragraphs 4 and 5 of the order.
2. As required by section 143(3) of the Act, we report that:
  - a. We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit.
  - b. in our opinion, proper books of accounts as required by law have been kept by the Company so far as appears from our examination of those books.
  - c. the Balance Sheet, Statement of Profit and Loss, and cash flow statements dealt with by this report are in agreement with the books of account.
  - d. in our opinion, the aforesaid financial statements comply with the Accounting Standards under section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, except for
    1. non compliance of para 6 and 7 of AS-10' Property, Plant and Equipment' as amount of



expenditure of Rs. 16,24,62,889 has been wrongly recognized as capital work in progress (note 5) instead of its recognition as an asset held in trust,

- e. on the basis of written representations received from the directors as on March 31, 2017, and taken on record by the Board of the Directors, none of the directors is disqualified as on March 31, 2017, from being appointed as a director in terms of section 164 (2) of the Act.
- f. The requirement of reporting, with respect to the adequacy of internal financial control over financial reporting of the Company and the operating effectiveness of such controls, is not applicable to the Company in view of notification No. G.S.R. 583(E) dated 13th June, 2017; and
- g. With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, in our opinion and to the best of our information and according to the explanation given to us:
  - i. As informed to us the Company does not have pending litigation which could impact its financial position,
  - ii. The Company did not have any long-term contracts including derivative contracts for which there were any material foreseeable losses,
  - iii. There were no amounts which required to be transferred by the Company to the Investor Education and Protection Fund,
  - iv. The company has provided requisite disclosure in its Financial statements as regards dealings in Specified Bank Notes during the period from November 8, 2016 to December 30, 2016.

Place: Indore  
Date: 16.11.2017

**For Gupta & Ashok  
Chartered Accountants  
FRN: 02254C**

Sd/-  
**CA Ashok Agrawal  
(Partner)  
M. No.: 071274**



## **ANNEXURE – A TO THE INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT OF EVEN DATE**

The Annexure referred to in Independent Auditors' Report to the members of the Company on the financial statements for the year ended 31 March 2017, we report that:

- (i) (a) The company is maintaining proper records showing full particulars, including quantitative details and situation of fixed assets.
- (b) All these fixed assets have been physically verified by the management at reasonable intervals during the year.
- (c) No material discrepancies were noticed on such verification.
- (ii) (a) As the Company has no inventory at any time during the year, the requirement for physical verification of inventory is not applicable to the Company. Therefore subclause (b) of clause (ii) of Paragraph 3 of the Order is not applicable.
- (iii) (a) The company did not give any loan, secured or unsecured, to companies, firms, limited liability partnerships or other parties covered in the register maintained under section 189 of the Companies Act. Therefore, sub-clause (a), (b) and (c) of clause (iii) of paragraph 3 of the Order are not applicable.
- (iv) In our opinion and according to explanations given to us, the Company has complied with the provisions of section 185 and 186 of the Act, with respect to the loans and investments made.
- (v) According to the information and explanations given to us and on the basis of our checking during the course of audit, the company has not accepted any deposits.
- (vi) the Central Government has not specified maintenance of the cost records under sub-section (1) of section 148 of the Companies Act.
- (vii) (a) According to the information and explanation given to us, the company is regular in depositing undisputed statutory dues including provident fund, employees state insurance, income tax, sales tax, service tax, duty of custom, duty of excise, value added tax, cess and other statutory dues to the appropriate authorities. There was no such outstanding as at the last day of the financial year concerned for a period of more than six months from the date they became payable.
- (b) According to information and explanations given to us, there are no dues of income tax, wealth tax, service tax, custom duty, excise duty and cess which have not been deposited on account of any dispute.



- (viii) In our opinion and according to information and explanations given to us, the company has not obtained any loan from financial institutions, banks, government or any other person. Therefore, paragraph 3(viii) of the Order is not applicable.
- (ix) The Company has not raised any money by way of initial public offer, further public offer or term loan. Therefore, paragraph 3(ix) of the Order is not applicable.
- (x) Based upon audit procedures performed and according to the information and explanations given to us, no fraud by the company or on the company by its officers or employees has been noticed or reported during the course of our audit.
- (xi) According to information and explanations given to us and based on our examination of the records of the Company, the Company has not paid/ provided for managerial remuneration. Accordingly, the clause (xi) of the order is not applicable.
- (xii) In our opinion and according to the information and explanations given to us, the Company is not a nidhi company. Accordingly, paragraph 3(xii) of the Order is not applicable.
- (xiii) According to information and explanations given to us and based on our examination of the records of the Company, the company has not entered into any transactions with the related parties. Accordingly, the clause (xiii) of the order are not applicable.
- (xiv) According to information and explanations given to us and based on our examination of the records of the Company, the company has not made any preferential allotment or private placement of shares or fully or partly convertible debentures during the year. Accordingly, paragraph 3(xiv) of the Order is not applicable.
- (xv) According to information and explanations given to us and based on our examination of the records of the Company, the company has not entered into non-cash transactions with directors or persons connected with them. Accordingly, paragraph 3(xv) of the Order is not applicable.
- (xvi) The Company is not required to be registered under section 45-IA of the Reserve Bank of India Act 1934.

Place: Indore  
Date: 16.11.2017

**For Gupta & Ashok**  
**Chartered Accountants**  
**FR No.: 02254C**

Sd/-  
**CA Ashok Agrawal**  
**(Partner)**  
**M. No.: 071274**





# GUPTA & ASHOK

CHARTERED ACCOUNTANTS



202, Sunrise Tower  
579, M.G. Road, INDORE-452 001  
Phone : 0731-2539821, 4068859  
guptaandashokca@gmail.com

## **REPORT UNDER SECTION 143(5) OF THE COMPANIES ACT 2013 OF** **Indore Smart City Development Limited, INDORE**

Reference: CAG Letter No./CA. VICOY/MADHYA PRADESH, ISCDL(1)/1052 DATED: 18/08/2016

We have examined the books of accounts of INDORE SMART CITY DEVELOPMENT LIMITED, Indore for the year ended 31st March 2017 and as per the information and explanation given to us, we submit our report under section 143(5) of the Companies Act, 2013 as under :-

1. If the company has been selected for disinvestment, a complete Status report in term of valuation of Assets (including intangible assets & land) and liabilities {including committed & general reserves) may be examined including the mode and present stage of disinvestment process.	The Company has not been selected for disinvestment. Accordingly, this clause is not applicable to the Company.
2. Please report whether there are any cases of waiver/write off of debts/loans/interest etc., if yes, the reasons there for and the amount involved.	No such case has been observed during the course of our audit.
3. Whether proper records are maintained for inventories lying with the third parties and assets received as gift from Government or other authorities.	Some assets of the Company are lying with Indore Municipal Corporation. Proper records are maintained for inventories / assets lying with third parties.
4. A report on age-wise analysis of pending legal/arbitration cases including the reasons of pendency and existence/effectiveness of monitoring mechanism for expenditure on all legal cases(foreign and local) may be given.	As per the information and explanation given to us, there are no pending legal/arbitration cases.
5. Are there any established norms for processing of tariff fixation? The cases of under recovery of cost shall be highlighted.	The Company has earned income in the name of e-procurement fees on receipt of tender applications from contractors. The process is approved in board meetings. No cases of under recovery of cost noticed.
6. Does the company have set of operational norms? Has the management measured its performance against the norms and taken suitable action in case of deviation?	The company has adopted set of operational norms of MP Government Rules and regulation and company measures its performance and in case of deviation, suitable action will be taken by the company as per applicable norms.



<p>7. The system for monitoring the recovery of lease rent obtained from contractors for operation &amp; maintenance (O&amp;M) of bus stands shall be examined and the non- recoveries may be quantified.</p> <p>8. Cases of diversion and surrender of unutilized funds received from centre and state Government or its agencies under different schemes be reported.</p> <p>9. Details of the works completed during the year and delay in ongoing works, if any, may be reported.</p>	<p>The clause is not applicable to the Company as no such activity undertaken through contractors.</p> <p>No case of diversion was noticed. There were unutilized fund as on 31/03/2017 which would be adjusted from the funds ought to be received in FY 17-18 as per smart city mission guidelines.</p> <p>All the works began by the Company were under progress and not yet completed.</p>
---	--

**Date: 16/11/2017**  
**Place: Indore**

**For Gupta & Ashok**  
**Chartered Accountants**  
**FRN:02254C**

Sd/-  
**CA Ashok Agrawal**  
**(Partner)**  
**M.No. : 071274**



## INDORE SMART CITY DEVELOPMENT LTD.

CIN: U75100MP2016SGC035528

Regd. Off.: Smart City Office, Nehru Park Campus, Indore, M.P.

Website: www.smartcityindore.org; Ph No.0731-2535572; E mail: smartcityindore16@gmail.com

### **BALANCE SHEET AS AT 31st MARCH, 2017**

Particulars	Note No.	Figures at the end of 31.03.2017 (Rs.)
<b>I. EQUITY AND LIABILITIES</b>		
<b>(1) Shareholders' funds</b>		
(a) Share capital	2	1,035,600,000
(b) Reserves and surplus	3	1,976,299,935
(c) Money received against share warrants		-
<b>(2) Share application money pending allotment</b>		
<b>(3) Non-current liabilities</b>		
(a) Long-term borrowings		-
(b) Deferred tax liabilities (Net)		-
(c) Other Long term liabilities		-
(d) Long-term provisions		-
<b>(4) Current liabilities</b>		
(a) Short-term borrowings		-
(b) Trade payables		-
(A) total outstanding dues of micro enterprises and small enterprises		-
(B) total outstanding dues of creditors other than micro enterprises and small enterprises.		-
(c) Other current liabilities	4	234,728,876
(d) Short-term provisions		-
<b>TOTAL</b>		<b>3,246,628,811</b>
<b>II. ASSETS</b>		
<b>Non-current assets</b>		
<b>(1) (a) Fixed assets</b>	5	
(i) Tangible assets		43,027,750
(ii) Intangible assets		4,017,153



Particulars	Note No.	Figures at the end of 31.03.2017 (Rs.)
(iii) Capital work-in-progress		185,163,810
(iv) Intangible assets under development		-
(b) Non-current investments		-
(c) Deferred tax assets (net)	6	3,410,423
(d) Long-term loans and advances		-
(e) Other non-current assets		-
<b>(2) Current assets</b>		
(a) Current investments		-
(b) Inventories		-
(c) Trade receivables		-
(d) Cash and cash equivalents	7	2,936,896,995
(e) Short-term loans and advances	8	12,798,723
(f) Other current assets	9	61,313,957
<b>TOTAL</b>		<b>3,246,628,811</b>

The accompanying notes are an integral part of the financial statements

For and on behalf of the Board of Directors of  
**Indore Smart City Development Limited**

Sd/-  
**[Nishant Warwade]**  
Chairman  
DIN 05340409

Sd/-  
**[Manish Singh]**  
Executive Director  
DIN 05277748

As per our report of even date  
**For Gupta & Ashok**  
Chartered Accountants  
Firm Reg. No. 002254C

Sd/-  
**[Rachna Gaur]**  
Chief Financial Officer  
M.No.410808

Sd/-  
**[Anurag Kumar Saxena]**  
Company Secretary  
M.No. F8115

Sd/-  
**[CA Ashok Agrawal]**  
Partner  
M No: 071274

**Date: 16 Nov 2017**  
**Place: Indore**



## INDORE SMART CITY DEVELOPMENT LTD.

CIN: U75100MP2016SGC035528

Regd. Off.: Smart City Office, Nehru Park Campus, Indore, M.P.

Website: www.smartcityindore.org; Ph No.0731-2535572; E mail: smartcityindore16@gmail.com

### PROFIT & LOSS STATEMENT FOR PERIOD ENDING AS AT 31st MARCH, 2017

	Particulars	Note No.	Figures at the end of current Reporting Period (Rs.)
I	Revenue from operations	10	910,000
II	Other income		83,423,039
III	Total Revenue (I + II)		84,333,039
IV	Expenses:		
	Cost of materials consumed		-
	Purchases of Stock-in-Trade		-
	Changes in inventories of finished goods work-in-progress and Stock-in-Trade		-
	work-in-progress and Stock-in-Trade		
	Employee benefits expense		
	Finance costs	11	175
	Depreciation and amortization expense	5	720,424
	Other expenses	12	83,612,440
	Total expenses		84,333,039
V	Profit before exceptional and extraordinary items and tax (III - IV)		(0)
VI	Exceptional items		-
VII	Profit before extraordinary items and tax (V - VI)		(0)
VIII	Extraordinary items		-
IX	Profit before tax (VII- VIII)		(0)
X	Tax expense: (1) Current tax (2) Deferred tax		- 3,410,423
XI	Profit (Loss) for the period from continuing operations (VII-VIII)		3,410,423
XII	Profit/(loss) from discontinuing operations		-



	Particulars	Note No.	Figures at the end of current Reporting Period (Rs.)
XIII	Tax expense of discontinuing operations		-
XIV	Profit/(loss) from Discontinuing operations (after tax) (XII-XIII)		-
XV	Profit (Loss) for the period (XI + XIV)		3,410,423
XVI	Earnings per equity share: (1) Basic (2) Diluted		

The accompanying notes are an integral part of the financial statements  
For and on behalf of the Board of Directors of  
**Indore Smart City Development Limited**

Sd/-  
**[Nishant Warwade]**  
Chairman  
DIN 05340409

Sd/-  
**[Manish Singh]**  
Executive Director  
DIN 05277748

As per our report of even date  
**For Gupta & Ashok**  
Chartered Accountants  
Firm Reg. No. 002254C

Sd/-  
**[Rachna Gaur]**  
Chief Financial Officer  
M.No.410808

Sd/-  
**[Anurag Kumar Saxena]**  
Company Secretary  
M.No. F8115

Sd/-  
**[CA Ashok Agrawal]**  
Partner  
M No: 071274

**Date: 16 Nov 2017**  
**Place: Indore**



## INDORE SMART CITY DEVELOPMENT LTD.

CIN: U75100MP2016SGC035528

Regd. Off.: Smart City Office, Nehru Park Campus, Indore, M.P.

Website: www.smartcityindore.org; Ph No.0731-2535572; E mail: smartcityindore16@gmail.com

### Cash Flow Statement for the year ended on 31.03.2017

Particulars	Figures at the end of current Reporting Period (Rs.)
<b>Cash Flow from Operating activities</b>	
Profit before tax from continuing operations	-
Profit before tax from discontinuing operations	-
Profit before tax	-
<i>Non cash adjustments to reconcile profit before tax to net cash flows:</i>	
Share of profit(loss) from investment in partnership firm	-
Depreciation/amortisation on continuing operations	720,424
Depreciation/amortisation on discontinuing operations	-
Impairment/writeoffs on assets (continuing operations)	-
Impairment/writeoffs on assets (discontinuing operations)	-
Loss(Profit) on sale of fixed assets	-
Provision for diminution in value of investment in subsidiary	-
Provision for diminution in value of other investment	-
Employee Stock compensation expense	-
Unrealised foreign exchange loss	-
Premium on forward exchange contract amortised	-
Amortisation of ancillary cost	-
Net gain on sale of current investments	-
Interest expenses	-
Interest income	-
Dividend income	-
Operating profit before changes in working capital	720,424
<i>Movements in working capital:</i>	
Increase(decrease) in trade payable	-
Increase(decrease) in long term provisions	-
Increase(decrease) in short term provisions	-
Increase(decrease) in other current liabilities	234,728,876
Increase(decrease) in other long term liabilities	-



Particulars	Figures at the end of current Reporting Period (Rs.)
Decrease(increase) in trade receivables	-
Decrease(increase) in inventories	-
Decrease(increase) in long term loans and advances	-
Decrease(increase) in short term loans and advances	(12,798,723)
Decrease(increase) in other current assets	(61,313,957)
Decrease(increase) in other non-current assets	-
Decrease(increase) in bank balances(other than cash equ)	-
Cash generated from(used in) operations	161,336,620
Direct taxes paid (net)	-
Cash flows from operating activities (A)	161,336,620
<b>Cash Flow from investing activities</b>	
Purchase of fixed assets, CWIP and capital advances	(232,929,137)
Proceeds from sale of fixed assets	-
Proceeds from non-current investments	-
Purchase of non-current investments	-
Purchase of current investments	-
Proceeds from sale/maturity of current investments	-
Investments in bank deposits (having original maturity of more than three months)	-
Redemption/maturity of bank deposits (having original maturity of more than three months)	-
Interest received	131,912,551
Dividends received from subsidiary companies	-
Other dividends received	-
Cash flows from investing activities (B)	(101,016,586)
<b>Cash Flow from financing activities</b>	
Proceeds of issuance of share capital	1,035,600,000
Proceeds of securities premium on issuance of share capital	-
Proceeds of Government grant received	1,924,400,000
Less Grant Utilised	(83,423,039)
Share application money proceeds	-
Proceeds from long term borrowings	-
Repayment of long term borrowings	-
Proceeds from short term borrowings	-
Repayment of short term borrowings	-
Interest paid	-
Dividend paid on equity shares	-





Particulars	Figures at the end of current Reporting Period (Rs.)
Dividend paid on preference shares	-
Tax on equity dividend paid	-
Stamp Duty paid on increase in Authorized Capital	-
Share issue expenses	-
Cash flow from financing activities (C)	2,876,576,961
<b>Components of cash and cash equivalent</b>	
<b>NET INCREASE/DECREASE IN CASH &amp; CASH EQUIVALENT(A)+(B)+(C)</b>	2,936,896,995
<u>Opening Cash Equivalents</u>	
Cash on hand	-
Cheques/drafts on hand With banks;	-
<b>Total Opening cash and cash equivalents</b>	-
<u>Closing Cash Equivalents</u>	
in current accounts	807,896,995
in deposit accounts	2,129,000,000
unpaid dividend accounts	-
unpaid matured deposits	-
unpaid matured debentures	-
debit balance in cash credit account	-
<b>Total Closing cash and cash equivalents</b>	<b>2,936,896,995</b>

The accompanying notes are an integral part of the financial statements  
For and on behalf of the Board of Directors of  
**Indore Smart City Development Limited**

Sd/-  
**[Nishant Warwade]**  
Chairman  
DIN 05340409

Sd/-  
**[Manish Singh]**  
Executive Director  
DIN 05277748

As per our report of even date  
**For Gupta & Ashok**  
Chartered Accountants  
Firm Reg. No. 002254C

Sd/-  
**[Rachna Gaur]**  
Chief Financial Officer  
M.No.410808

Sd/-  
**[Anurag Kumar Saxena]**  
Company Secretary  
M.No. F8115

Sd/-  
**[CA Ashok Agrawal]**  
Partner  
M No: 071274

**Date: 16 Nov 2017**  
**Place: Indore**



## NOTE 2

### SHARE CAPITAL

2.1 The authorised, issued, subscribed and fully paid-up share capital comprises of equity shares having a par value of Rs 10/- each as follows:

Name	No. of Shares	% of Shareholding As at 2017	As at March 31, 2017 (Rs.)
Authorised 200000000 Equity Shares of Rs.10/- each	20,00,00,000		2,00,00,00,000
Issued, Subscribed & Paid up 103560000 Equity Shares of Rs.10/- each	10,35,60,000		1,03,56,00,000
<b>TOTAL</b>			<b>1,03,56,00,000</b>

2.2 Reconciliation of outstanding shares at the beginning and at the end of the reporting period	31.03.2017	
	No. of Shares	(Rs.)
(i) at the beginning of the period	-	-
(ii) Issued during the period - Bonus shares		
(iii) Shares allotted/issued	10,35,60,000	1,03,56,00,000
(iv) Outstanding at the end of the period	10,35,60,000	1,03,56,00,000
Terms/rights attached to equity shares : The company has only one class of equity shares having at par value of Rs. 10/- per share. Each holder of equity shares is intitled to one vote per share.		

2.3 Shares in respect of each class in the company held by its holding company			
Name	No. of Shares	% of Shareholding As at 2017	Amount in Rs.
Madhya Pradesh Urban Dev. Corp.	5,17,80,000	50%	51,78,00,000
<b>TOTAL</b>	<b>5,17,80,000</b>	<b>50%</b>	<b>51,78,00,000</b>
Note: That as per Article No.12.1(V) of the Articles of Association of the company "Except nominee of the Central Government and the Mayor, appointment of all the directors of the company or change therein shall be done with the approval of MPUDCL ,so MPUDCL is having control over the composition of the Board of Directors of the company and hence as per section 2(87)(i) of the Companies Act,2013 ISCDL is subsidiary of MPUDCL.			

2.4 Shareholders holding more than 5% of Share Capital			
Name	No. of Shares	% of Shareholding As at 2017	No. of Shares
Indore Municipal Corporation	5,17,80,000	50%	51,78,00,000
Madhya Pradesh Urban Dev. Corp.	5,17,80,000	50%	51,78,00,000
<b>TOTAL</b>	<b>10,35,60,000</b>	<b>100%</b>	<b>1,03,56,00,000</b>
Note: That as per annexure 5 of The Mission Statement & Guideline, the city level SPV is established as limited Company under the Companies Act, 2013 and will be promoted by state and Urban Local Body jointly , both having 50:50 equity shareholding.			



### NOTE 3

<b>RESERVE &amp; SURPLUS</b>	
<b>Particulars</b>	<b>As at March 31, 2017 (Rs.)</b>
<b>1. CORPUS FUND</b>	
Grant Recived from	
(i) MP Government	48,22,00,000
(ii) Central Government	1,34,22,00,000
Add: Interest Received on idle grant kept as fixed deposit	13,19,12,551
<b>TOTAL (A)</b>	<b>1,95,63,12,551</b>
<b>2. GENERAL FUND</b>	
Grant Received for A&OE Expenditure	10,00,00,000
Less: Recognised in P&L Statement to the extend expenditure incurred	8,34,23,039
Balance Grant Carried forward	1,65,76,961
Profit/(loss) Transferred from Profit & Loss Statement	34,10,423
<b>TOTAL (B)</b>	<b>1,99,87,384</b>
<b>TOTAL (A+B)</b>	<b>1,97,62,99,935</b>
<p>Note: 1 That as per para 10.3 of The Mission Statement &amp; Guideline, funds provided to the SPV will be in the form of tied grant and to be kept in a separate grant fund These funds will be utilised only for the purposes for which the grants have been given and subject to condition laid down by the MoUD and the hence the same is treated as corpus fund.</p> <p>2. That as per para 10.4 of The Mission Statement &amp; Guidelines, initial paid up capital of the SPV shall be 200 (Rs. 100 Crore of GOI contribution and Rs. 100 Crore of State Share).</p> <p>3. That upto 31.03.2017 paid up capital of Rs. 103.56 crores has been issued which is subject to approval from MOUD.</p> <p>4. That to meet out the minimum capital base criteria of R. 200 crores, Grant of Rs. 96.44 crores (i.e. 48.22 each of ULB and the State Govt.) shall be converted into share capital on receipt of approval from the state govt and MOUD, GOI out of the amount appearing in corpus fund.</p> <p>5. That interest accrued by investing the funds received from GOI and state government cannot be utilised for the purpose other than for the implementation of objects for purpose for which this SPV company is formed and hence the same is considered as part of tied Grant.</p>	

### CURRENT LIABILITIES

### NOTE 4

<b>OTHER CURRENT LIABILITIES</b>	
<b>Particulars</b>	<b>As at March 31, 2017 (Rs.)</b>
Creditors for project expenditure	23,35,70,341
Security deposit withheld	6,97,080
Commercial Tax	3,07,636
Labour Cess	1,53,819
<b>TOTAL</b>	<b>23,47,28,876</b>



**NOTE-5**  
**FIXED ASSETS**

Particulars	Useful Life (Years)	GROSS BLOCK				DEPRECIATION			NET BLOCK	
		Opening Balance	Addition during the year	Deducti on during the year	As at 31.03.2017	Opening Balance	For the year	Deducti on during the year		Up to 31.03.2017
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<b>I. OWNED ASSETS</b>										
<b>A.Tangible Assets</b>										
1. Computers	3 Y	0	182070		182070	0	4981	-	4981	177089
2. Mobile/Static Transfer Stations Inc. Hook Loader	15Y		42491845		42491845		364740		364740	42127105
3. LED TV	5 Y		89990		89990		4778		4778	85212
4. Scanner			515943		515943		103401		103401	412542
5. Photocopy Machine			204750		204750		41034		41034	163716
6. Furniture			69000		69000		6914		6914	62086
<b>TOTAL (A)</b>		<b>0</b>	<b>43553598</b>	<b>0</b>	<b>43553598</b>	<b>0</b>	<b>525848</b>	<b>0</b>	<b>525848</b>	<b>43027750</b>
<b>B. Intangible Assets</b>										
1. ESRI GIS Software (i)	4Y		4211729		4211729		194576		194576	4017153
<b>TOTAL (B)</b>		<b>0</b>	<b>4211729</b>	<b>0</b>	<b>4211729</b>	<b>0</b>	<b>194576</b>	<b>0</b>	<b>194576</b>	<b>4017153</b>
<b>C. Capital Work in Progress</b>										
C.1 Furniture & Fixture		0	8599191		8599191	0	0	0	0	8599191
C.2 ESRI GIS Software (ii)			8101730		8101730	0	0	0	0	8101730
C.3 Work in Progress of Projects Undergoing Under Smart City Mission										
1. C.C Road From Bada Ganpati To Rajmohalla Square			6782650		6782650	0	0	0	0	6782650
2. C.C Road From Mhow Naka To Tori Corner			86822916		86822916	0	0	0	0	86822916
3. Con.Of Vyas Bridge To Jinsi Depot Via Bada Ganpati			62952404		62952404	0	0	0	0	62952404
4. Electrical cabling work			505751		505751	0	0	0	0	505751
5. Heritage Conservation work			762450		762450	0	0	0	0	762450
6. Redevelopment Of Jinsi Haat Bazaar			4993668		4993668	0	0	0	0	4993668
7. Development of Kanh River front from Subhash Marg to Lal Bagh Bridge			5643050		5643050	0	0	0	0	5643050
<b>TOTAL (C)</b>		<b>0</b>	<b>185163810</b>	<b>0</b>	<b>185163810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>185163810</b>
<b>GRAND TOTAL (A+B+C)</b>		<b>0</b>	<b>232929137</b>	<b>0</b>	<b>232929137</b>	<b>0</b>	<b>720424</b>	<b>0</b>	<b>720424</b>	<b>232208713</b>



**Notes:**

- a) That the assets which are put to use during the financial year commencing from 11.03.2016 to 31.03.2017 has been capitalised during the year and depreciation has been provided as per Straight line method of Schedule II of The Companies Act, 2013.
- b) That while recognising the projects which are undergoing under the Smart City mission as Capital WIP we have relied upon AS-10 issued by the Institute of Chartered Accountants of India, according to which " the cost of an item of property, plant & equipments should be recognised as an asset if, and only if : (a) it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the enterprise; and the cost of the item can be measured reliably. That as per Mission Statement & Guideline issued by MPUDCL, the future economic benefits may flow to the enterprise in monetary or non-monetary form, directly or indirectly in the form of provision of services in accordance with the entities' objective. That in regard to cost, all cost directly attributable to cost of assets has been added to the cost of capital WIP which is separately identifiable.
- c) That for financial year ended as on 31.03.2017 all the projects are under construction and hence disclosed under Capital WIP.
- d) That all the Tangible assets capitalised during the year are for administration purpose and ownership belongs to the company.
- e) That Mobile Static transfer station Inc. Hookloader and ESRI GIS Software are intangible assets which are under PAN city project, for waste collection and management system as per the Mission Statement & Guideline.



## NOTE 6

<b>DEFERRED TAX ASSET/LIABILITY</b>	
<b>Particulars</b>	<b>As at March 31, 2017 (Rs.)</b>
<b>Deferred tax liabilities/assets (net)</b>	
Deferred tax liability	
Timing difference on account of	
WDV as per Companies Act	47044903
WDV as per Income Tax Act	43826549
Difference	3218353
Deferred tax Liability	994471
Amount to the extent not amortised as section 35D of IT Act	14255320
Deferred Tax Asset	4404893.88
Net Deferred Tax Asset	3410423
<b>NET DEFERRED TAX</b>	<b>3410423</b>

## NOTE 7

<b>CASH AND CASH EQUIVALENTS</b>	
<b>Particulars</b>	<b>As at March 31, 2017 (Rs.)</b>
Cash on hand	-
Balance with Scheduled & Other Banks	807,896,995
FDR With Banks (Maturity within 1 year)	2,129,000,000
<b>TOTAL</b>	<b>2,936,896,995</b>

## NOTE 8

<b>SHORT TERM LOANS &amp; ADVANCES</b>	
<b>Particulars</b>	<b>As at March 31, 2017 (Rs.)</b>
<b>Balance with Statutory Authorities (unsecured, considered good)</b>	
TDS Receivable	12,798,723
<b>TOTAL</b>	<b>12,798,723</b>

## NOTE 9

<b>OTHER CURRENT ASSETS</b>	
<b>Particulars</b>	<b>As at March 31, 2017 (Rs.)</b>
Accrued Interest on FDR	61,313,957
<b>TOTAL</b>	<b>61,313,957</b>



## NOTE 10

REVENUE FROM OPERATIONS	
Particulars	As at March 31, 2017 (Rs.)
E-Procurement Fees	910000
<b>TOTAL</b>	<b>910000</b>

## NOTE 11

FINANCE COST	
Particulars	As at March 31, 2017 (Rs.)
Bank Charges	175
<b>TOTAL</b>	<b>175</b>

## NOTE 12

OTHER EXPENSES	
Particulars	As at March 31, 2017 (Rs.)
Professional Charges	1,951,811
Green Building Certification	80,500
Office Expenses	3,600
Preliminary Expenses	17,819,150
Audit fee	57,500
ROC Charges for increase in paid-up capital	1,034,600
Photocopy and Binding Charges	38,142
Printing & Stationary Charges	45,980
Smart City Launching Expenses	21,088,332
Advertising Expenses	9,300,600
Professional Charges Planning	489,532
Professional Fees For Project Development	4,312,500
Project Management Consultant	27,390,193
<b>TOTAL</b>	<b>83,612,440</b>



## INDORE SMART CITY DEVELOPMENT LTD.

CIN: U75100MP2016SGC035528

Regd. Off.: Smart City Office, Nehru Park Campus, Indore, M.P.

Website: www.smartcityindore.org; Ph No.0731-2535572; E mail: smartcityindore16@gmail.com

### NOTE -1

#### NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS FOR THE PERIOD ENDED 31st MARCH, 2017 i.e FROM 11.03.2016 TO 31.03.2017.

1. **Corporate Information-** Indore Smart City Development Limited (the "Company") was incorporated in India on 11th March, 2016. It is a Special Purpose Vehicle (SPV) created for the implementation of the "Smart City Mission" at the Indore city. The SPV will plan, appraise, approve, release funds, implement, manage, operate, monitor and evaluate the smart city development project as per the Mission Statement & Guideline issued by Ministry of Urban Development Government of India.
2. **Summary of significant accounting policies forming part of financial statements**
  - i. **Basis of Preparation-** Financial statements are prepared under historical cost convention on accrual basis of accounting in accordance with the generally accepted accounting principles in India, to comply with the Accounting standards specified under section 133 of the Companies Act, 2013 read with rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014 and the relevant provisions of the Companies Act 2013.
  - ii. **Use of Estimates:-** The preparation of financial statements in conformity with the generally accepted accounting principles (GAAP) requires the management to make estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities and the disclosure of contingent liabilities on the date of financial statements. Actual results could differ from those estimates. Any revision to accounting estimates is recognized prospectively in current and future periods
  - iii. **Cash Flow Statement:-** Cash Flow Statement are prepared under Indirect Method as set out in the Accounting Standard - 3 specified in Section 133 of the Companies Act, 2013 read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014.
  - iv. **Tangible fixed assets-** Fixed assets are stated at cost less accumulated depreciation/amortisation. The cost of fixed assets includes taxes, freight and other incidental expenses relating to the acquisition and installation of the respective assets. An appropriate charge of pre-operative expenses, interest and commitment charges incurred up to the date of installation of fixed assets is also capitalised.
  - v. **Depreciation and amortisation-** Depreciation on tangible assets has been calculated on straight line method taking life of the assets as given in the Schedule - II of Companies Act, 2013 on 95% of value of assets.

Value of assets purchased is less than Rs. 5,000/- is not recognized as assets it is written off during the same year.

Depreciation is provided at the following useful life adopted by the Authority

Item of fixed Asset	Useful life
Computer	3 years
Office Equipment	5 Years
Plant & Machinery	15 Years
Furniture	10 Years





- vi. Intangible Assets-** Intangible assets acquired separately are measured on initial recognition at cost. Following initial recognition, intangible assets are carried at cost less accumulated amortization and accumulated impairment losses, if any. Internally generated intangible assets, are not capitalized and expensed off in the Statement of Profit and Loss in the year in which the expenditure is incurred. Intangible assets are amortized on a straight line basis over the estimated useful economic life. The amortization period and the amortization method are reviewed at least at each financial year end. If the expected useful life of the asset is significantly different from previous estimates, the amortization period is changed accordingly.
- vii. Impairment of assets-** An asset is treated as impaired when the carrying cost of the asset exceeds its recoverable value. An impairment loss is charged to Profit and Loss Account in the year in which an asset is identified as impaired.
- viii. Revenue recognition-** Revenue are recognized to the extent that it is probable that economic benefit will flow to the company as revenue can be reliably measured. It is accounted for net of trade discounts and sales return. For revenue from services, performance is recognised under the proportionate completion method and performance is regarded as being achieved when no significant uncertainty exists regarding the amount of consideration that will be derived from rendering of services.
- ix. Income Taxes-** Current tax is the amount of tax payable on the taxable income for the year as determined in accordance with the provisions of Income - tax Act, 1961. Deferred tax is recognised, on timing differences, being the difference between taxable income and accounting income that originate in one period and are capable of reversal in one or more subsequent periods.
- x. Provisions-** Provisions involving substantial degree of estimation in measurement are recognised when there is a present obligation as a result of past events and it is probable that there will be outflow of resources.
- xi. Contingent Liabilities and Contingent Assets-** Contingent Liabilities are not recognised but are disclosed in the notes. Contingent Assets are neither recognised nor disclosed in the financial statements.
- xii. Cash and cash equivalents-** Cash comprises of cash on hand and demand deposits with banks. Cash equivalents are short term (three months or less from the date of acquisition) highly liquid investments that are readily convertible into known amount of cash and which are subject to an insignificant risk of change in value.
- xi. Government Grants**
1. Government grants are recognized when there is reasonable assurance that (i) the company will comply with the conditions attached to them and (ii) the grants will be received.
  2. Government grants in the nature of promoter's Contribution which are not related to specific fixed asset are credited to Capital reserve and treated as part of corpus fund.
  3. Government Grant related to A& OE expenditure recognised in Profit & Loss Account as other income to the extent the expenses incurred and unutilised amount carried over and accounted for as income in the year of its utilisation.



**xiii. Related Party Disclosure-** As per Accounting standard 18, the disclosures of transactions with the related parties as defined in the Accounting standard are given below:-

(i) List of Related Parties

A) List of related parties where control exists.

Sr No	Name of Party	Nature of Relationship
1	MP Urban Development Company Limited	Holding Company
2	Indore Municipal Corporation	Substantial Interest

B) Key Managerial Personnel :-

Sr No	Name of Party	Nature of Relationship
1	Shri Rohan Saxena	Chief Executive Officer
2	CA. Santosh Kag	Chief Finance Officer
3	CS. Anurag Kumar Saxena	Company Secretary

(ii) Transactions with related parties

Sr No	Name of Party	Nature of Transaction	Amount(in Rs)
1	CA. Santosh Kag	Remuneration	4,62,727
2	CS. Anurag Kumar Saxena	Remuneration	3,89,683

**3. Notes to Accounts: -**

- That the company incorporated on 11.03.2016 and hence books of accounts prepared for the period from 11.03.2016 to 31.03.2017.
- Disclosure on Specified Bank Notes-During the year, the Company had specified bank notes (SBNs) or Other denomination notes as defined in the MCA Notification G.S.R. 308 (E), dated March 31,2017. The details of SBNs held and transacted during the period from November 8, 2016 to December 30, 2016, the denomination-wise SBNs and other notes as per the notification are as follows:

Particulars	SBNs	Other Denomination Notes	Total
Closing cash in hand as on 08.11.2016	0	0	0
(+) Permitted receipts	0	0	0
(-) Permitted payments	0	0	0
(-) Amount deposited in Banks	0	0	0
Closing cash in hand as on 30.12.2016	0	0	0

For the purposes of this clause, the term 'Specified Bank Notes' shall have the same meaning provided in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs number S.O. 3407(E), dated the 8th November, 2016."



- iii. The estimated amount of contracts remaining to be executed on capital account and not provided for ( net of advances) as on 31.03.2017 is as under:-

Sr No	Particulars	Contract Value ( in Crores)	Provided for in books	Balance
1	Supply, Installation, Testing and Commissioning of 11KV & LT Underground Cabling System with Compact Substation on Biyabani and Subhash Marg, Indore under Smart City Mission	9.04	0	9.04
2	Construction of Vyas Bridge Jinsi Depo via Bada Ganpati	11.72	6.30	5.42
2	Improvement of Roads (Raj Mohalla to Bada Ganpati)	10.44	0.68	9.76
3	Redevelopment of JinsiHaat Bazaar & Construction of Ancillary Buildings	9.12	0.36	8.76
4	Construction of Chandrabhaga Bridge	5.03	0	5.03
5	Construction of Central Median and Erection of Electrical Pole on Biyabani Road & Subhash Marg, Indore.	2.46	0	2.46
6	Improvement of Roads (Mhow Naka to Tori Corner)	18.46	8.68	9.78

**For and on behalf of the Board of Directors of  
Indore Smart City Development Limited**

Sd/-  
**[Nishant Warwade]**  
Chairman  
DIN 05340409

Sd/-  
**[Manish Singh]**  
Executive Director  
DIN 05277748

As per report of even date annexed  
**For Gupta & Ashok**  
Chartered Accountants  
Firm Reg. No. 002254C

Sd/-  
**[C.A. Rachna Gaur]**  
Chief Financial Officer  
M.No.410808

Sd/-  
**[Anurag Kumar Saxena]**  
Company Secretary  
M.No. F8115

Sd/-  
**[CA Ashok Agrawal]**  
Partner  
M No: 071274

**Date: 16 Nov 2017**  
**Place: Indore**



**इन्दौर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड**  
**Indore Smart City Development Limited**

स्मार्ट सिटी कार्यालय, नेहरू पार्क परिसर, इन्दौर, मध्यप्रदेश, 452003  
Smart City Office, Nehru Park Campus, Indore, Madhya Pradesh, 452003

दूरभाष/Ph. No.: 0731-2535572

ईमेल/Email: smartcityindore16@gmail.com | वेबसाइट/Website: www.smartcityindore.org